

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार


1986 से प्रकाशित

14 जनवरी-20 जनवरी 2013

मूल्य 5 रुपये

जनता को विकल्प
की तलाश है

संतोष भारतीय

हम कैसा समाज
बना रहे हैं?

कमल मोरारका

अन्ना समर्थक भर
देंगे गांधी मैदान

पटना में वी के सिंह

गांधी मैदान से शुरु होगी
परिवर्तन की लड़ाई

छात्र युवा संघर्ष मोर्चा



जन्तंत्र रैली पटना चला 30 जनवरी गांधी मैदान

यह संसद संविधान विरोधी है

सरकार को आम जनता की कोई चिंता नहीं है. संविधान के मुताबिक, भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है. इसका साफ मतलब है कि भारत का प्रजातंत्र और प्रजातांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार आम आदमी के जीवन की रक्षा और उसकी बेहतरी के लिए वचनबद्ध है. लेकिन सरकार ने इस लोक कल्याणकारी चरित्र को ही बदल दिया है. सरकार बाजार के सामने समर्पण कर चुकी है, लेकिन संसद में किसी ने सवाल तक नहीं उठाया. अगर भारत को लोक कल्याणकारी की जगह नव उदारवादी बनाना है तो इसका फ़ैसला कैसे हो? क्या यह फ़ैसला सिर्फ़ सरकार या कुछ राजनीतिक दल कर सकते हैं? नहीं, इसका फ़ैसला देश की जनता करेगी. यह देश की जनता का अधिकार है कि वह किस तरह की सरकार से शासित होना चाहती है. इसलिए हमारी यह मांग है कि इस संसद को भंग किया जाए, ताकि जनता फ़ैसला कर सके कि उसकी सरकार का चरित्र कैसा हो, वह संविधान द्वारा स्थापित लोक कल्याणकारी हो या नव उदारवादी.

सरकार ने संविधान की प्रस्तावना (प्रीएम्बल) की आत्मा और उसकी भावनाओं को दरकिनार कर दिया है. संविधान का भाग 4, जिसे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ़ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, उसकी पूरी तरह से उपेक्षा हो रही है. सरकार के साथ-साथ विपक्षी पार्टियां भी इस मुद्दे पर चुप हैं. बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान की भावनाओं को दरकिनार करने का हक़ सरकार को किसने दिया है? दरअसल, गरीबों और आम लोगों के हितों की बजाय निजी कंपनियों के हितों के लिए नीतियां बनाई जा रही हैं. संसद में इसके खिलाफ़ कोई आवाज़ भी नहीं उठा रहा है. इसलिए हमारी मांग है कि इस संसद को फ़ौरन भंग किया जाए. कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और सारे राजनीतिक दल अपना पक्ष जनता

के सामने रखें और बताएं कि वे बाज़ारवाद के मूल्यों पर सरकार चलाना चाहते हैं या फिर संविधान की आत्मा और भावनाओं को लागू करना चाहते हैं.

इस संसद ने देश के लोगों का प्रतिनिधित्व करने का हक़ इसलिए भी खो दिया है, क्योंकि देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं. जल, जंगल, ज़मीन के मुद्दे पर देश के गरीबों का भरोसा ख़त्म हो गया है. सरकार नदियों और जल स्रोतों का निजीकरण कर रही है. खदानों के नाम पर जंगलों को निजी कंपनियों को बेचा जा रहा है और आदिवासियों को बेदखल किया जा रहा है. इतना ही नहीं, किसानों की उपजाऊ ज़मीनों का अधिग्रहण करके सरकार निजी कंपनियों के साथ मिलकर उसकी बंदरबांट कर रही है. जिस ज़मीन पर देश के लोगों का हक़ है, वह निजी कंपनियों को बांटी जा रही है. सरकार की इन नीतियों से आम जनता परेशान है और सांसदों ने जल, जंगल, ज़मीन के मुद्दे को संसद में उठाना भी बंद कर दिया है. इसलिए इसका फ़ैसला होना ज़रूरी है कि देश के जल, जंगल, ज़मीन पर किसका हक़ है. इस बात का फ़ैसला करने का हक़ भी देश की जनता को है, इसलिए अगले चुनाव में यह तय होगा कि देश की जनता किन नीतियों के पक्ष में है, इसलिए इस संसद का भंग होना अनिवार्य है.

संविधान के तहत सरकार को यह दायित्व दिया गया है

कि जितने भी वंचित हैं, जैसे कि दलित, आदिवासी, घुमंतू, मधुआरे, महिलाएं, पिछड़े एवं मुसलमान, इन सबकी ज़िंदगी बेहतर करने के लिए नीतियां बनाई जाएं. देश के फ़ैसले में इन लोगों की हिस्सेदारी हो. इसके लिए यह ज़रूरी है कि इन्हें समान अवसर और सत्ता में हिस्सेदारी मिले. सत्ता में हिस्सा देना तो दूर, सरकार किसी के मुँह का निवाला तो किसी के हाथ से काम को छीनने का काम कर रही है. भ्रष्टाचार, घोटालों, महंगाई और बेरोज़गारी की वजह से देश के हर वर्ग के लोगों का विश्वास इस संसद से उठ गया है. इसलिए हम यह मांग करते हैं कि इस संसद को भंग कर फ़ौरन चुनाव की घोषणा हो, ताकि नई सरकार लोगों की आशाओं के अनुरूप काम कर सके.

एक तरफ़ देश में गरीबी है, भुखमरी है, बेरोज़गारी है, अशिक्षा है और दूसरी तरफ़ देश में मूलभूत सेवाओं को बहाल करने के लिए सरकार कर्ज़ लेती है. विदेशी पूंजी के लिए देश के सारे दरवाज़े खोलने को सरकार एकमात्र विकल्प बता रही है, जबकि विदेशी बैंकों में भारत का काला धन जमा है. अगर यह काला धन वापस आ जाता है तो देश की आर्थिक स्थिति सुधर सकती है. दुनिया भर के देश अपने यहां का काला धन वापस लाकर अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने में लगे हैं, लेकिन हमारी संसद काला धन वापस लाने के मुद्दे पर ख़ामोश है. देश के लोगों को यह भी नहीं पता है कि किन-किन लोगों का कितना काला धन विदेशी बैंकों में जमा है. इसलिए इस संसद को भंग किया जाना चाहिए, ताकि अगली सरकार काला धन वापस ला सके.


सरकार ने डीजल के दाम बढ़ा दिए. इसकी वजह से महंगाई पर ज़बरदस्त असर पड़ा है. देश के कई शहरों में टैम्पो और ऑटोरिक्षा वाले आंदोलन कर रहे हैं. किराया बढ़ गया है. यूपीए गठबंधन में शामिल पार्टियों ने उसका साथ छोड़ दिया.

(शेष पृष्ठ 2 पर)



CHAUTHI
DUNIYA

Now in English



Rs 5

Available at
your nearest
news stand



सचिवों द्वारा इस तरह मुख्यमंत्री की ओर से सरकारी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने का काम मायावती के समय से शुरू हुआ था, जो आज भी जारी है।

दिल्ली का बाबू

यूपी के बाबू का हमला



क्या मुख्यमंत्रियों के सचिवों को मुख्यमंत्री की ओर से सरकारी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना चाहिए? उत्तर प्रदेश में यह आम बात हो गई है, जिस पर अभी तक किसी तरह का प्रश्न नहीं उठाया गया है, लेकिन अब 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने इसे चुनौती दी है। सूत्रों का कहना है कि सचिवों द्वारा इस तरह मुख्यमंत्री की ओर से सरकारी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने का काम मायावती के समय में शुरू हुआ था, जो आज भी जारी है। सूत्रों का कहना है कि मायावती के मुख्यमंत्रित्व काल में सरकारी दस्तावेजों पर उनके सचिव विजय सिंह इस टिप्पणी के साथ दस्तखत करते थे कि मुख्यमंत्री ने इस पर चर्चा करके अनुमति दे दी है। इस समय 1990 बैच की आईएएस अधिकारी अनीता सिंह अखिलेश यादव की ओर से सरकारी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करती दिखाई दे रही हैं। अमिताभ ठाकुर ने इस पर प्रश्न खड़ा किया है और इस पर न्यायालय का फ़ैसला चाहते हैं। उनका कहना है कि इस तरह के कार्यों से ताकत के दुरुपयोग को बढ़ावा मिलता है। अब देखना यह है कि अमिताभ ठाकुर द्वारा उठाए गए इस मामले का क्या परिणाम निकलता है। ■

गृह मंत्रालय की अनुशंसा नामंजूर

राज्य सरकारें बाबूओं की नियुक्ति के समय सामान्यतः गृह मंत्रालय की अनुशंसा स्वीकार करती हैं। दिल्ली जो चाहती है, सामान्यतः उसे वह मिल जाता है, लेकिन गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पार्रिकर का सोचना कुछ अलग है। कुछ महीनों से राज्य में आईएएस एवं आईपीएस अधिकारियों की नियुक्ति पर मनोहर पार्रिकर और केंद्र सरकार के बीच सबकुछ अच्छा नहीं चल रहा है। हाल में हुई एनडीसी की बैठक में, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कर रहे थे, मनोहर पार्रिकर ने केंद्र की इस नीति का विरोध किया। उनका कहना था कि अगर केंद्र सरकार पूर्व सलाह के बिना राज्य में अधिकारियों की नियुक्ति संबंधी अनुशंसा करती है तो राज्य सरकार उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। कुछ सप्ताह पहले पार्रिकर ने गृह मंत्रालय की अनुशंसा अस्वीकार कर दी और अपनी मर्जी से बी विजयन को राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया। यही नहीं, मनोहर पार्रिकर अपने इस कदम को तब तक जारी रखने की योजना बना रहे हैं, जब तक गृह मंत्रालय राज्यों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील नहीं होता। ■

बाबूओं की उपेक्षा



भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कई मंत्रालयों ने अपना प्रचार कार्य दूसरी संस्थाओं से कराना शुरू कर दिया है। भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों का आरोप है कि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अपने मंत्रालय या विभाग की सूचना उनके साथ साझा नहीं करते हैं। सूत्रों का कहना है कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं संस्कृति मंत्रालय आदि अपना प्रचार कार्य निजी संस्थाओं से कराने लगे हैं, लेकिन भारतीय सूचना सेवा को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से समर्थन मिला है। सूचना एवं प्रसारण सचिव उदय कुमार वर्मा ने दूसरे मंत्रालय के अपने साथियों को लिखा है कि वे भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों को काम दें, अब सवाल यह है कि क्या उदय वर्मा का सहयोग अन्य मंत्रालय के अधिकारी करेंगे। यह तो समय ही बताएगा। ■

dilipcherian@gmail.com



दिलीप चेरियन

साउथ ब्लॉक

वी उमाशंकर संयुक्त सचिव बनेंगे

1993 बैच के आईएएस अधिकारी वी उमाशंकर को रक्षा विभाग में संयुक्त सचिव बनाया जाएगा। वह आर के घोष की जगह लेंगे।

भोपाल सिंह, संजीव, गीतांजलि और उर्विला निदेशक बने

1992 बैच के आईओएएस अधिकारी भोपाल सिंह को गृह मंत्रालय में निदेशक बनाया गया है। वह वी कंडावेलू की जगह लेंगे। 1991 बैच के आईओएएस अधिकारी संजीव कुमार भोला को रक्षा मंत्रालय में निदेशक बनाया गया है। वह नितिन चयांडे की जगह लेंगे। 2001 बैच की आईएएस अधिकारी गीतांजलि एम को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय में निदेशक बनाया गया है। वह अग्रिम कौशल की जगह लेंगी। इसी तरह 1986 बैच की आईआरपीएस अधिकारी उर्विला काठी को जल संसाधन मंत्रालय में निदेशक बनाया गया है।

प्रसाद राव उप निदेशक बने

1986 बैच के आईएएस अधिकारी प्रसाद राव को यूनिट आईडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया में उप निदेशक बनाया गया है। वह एम एस सीतारमण की जगह लेंगे।

दिनेश और अविनाश अतिरिक्त सचिव बने

1982 बैच के आईएएस अधिकारी दिनेश सिंह को सांख्यिकी एवं योजना कार्यान्वयन मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव बनाया गया है। वह पंकज जैन की जगह लेंगे। इसी तरह 1982 बैच के आईएएस अधिकारी अविनाश श्रीवास्तव को कृषि एवं सहकारिता विभाग में अतिरिक्त सचिव बनाया गया है। वह बलविंदर कुमार की जगह लेंगे।

सत्यानंद जनरल मैनेजर बने

1992 बैच के आईएएस अधिकारी सत्यानंद को खाद्य एवं जन वितरण विभाग के अंतर्गत पटना एफसीआई (फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया) का जनरल मैनेजर बनाया गया है। ■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

यह संसद संविधान विरोधी है

पृष्ठ एक का शेष

कांग्रेस पार्टी बिल्कुल अकेली खड़ी है। देश की जनता पर मुश्किल फ़ैसले थोपना क्या प्रजातंत्र है? एलपीजी यानी कुकिंग गैस की कीमत मनमाने ढंग से बढ़ा दी गई और दलीलें दी गई कि पेट्रोलियम कंपनियों को नुकसान हो रहा है। दूसरी तरफ एक के बाद एक केंद्रीय मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने प्रजातंत्र में कैबिनेट की सामूहिक ज़िम्मेदारी के मंत्र को बड़ी आसानी से भुला दिया है। पहले सरकार फ़ैसला नहीं ले रही थी और अब जब फ़ैसले लेने लगी तो आम जनता की मुसीबत बढ़ाने का फ़ैसला ले रही है। इसलिए हमारी मांग है कि संसद को भंग कर फ़ौरन चुनाव हों, ताकि राजनीतिक पार्टियां इन मुद्दों पर अपनी राय जनता के सामने रखें। इस बात का फ़ैसला हो सके कि क्या हम संविधान के मुताबिक देश में नीतियां बनाना चाहते हैं या फिर बाज़ार के अनुकूल नीतियों के पक्ष में हैं।

हमारा मानना है कि जनसंसद दिल्ली की संसद से बड़ी है, क्योंकि जनसंसद यानी देश की जनता ने दिल्ली की संसद संविधान के अनुसार बनाई है। भारत का संविधान, भारत के लोगों यानी वी द पीपुल के संकल्प का परिणाम है। इसलिए जनसंसद का स्थान दिल्ली की संसद से बहुत बड़ा है और बहुत ऊंचा है। संसद में बैठे हुए लोग यह कह रहे थे कि कानून तो संसद में बनते हैं, रास्ते पर थोड़े ही बनते हैं और वे जनसंसद या जनता को मानने को ही तैयार नहीं थे। पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं को कोयला घोटाले के सवाल पर स्पष्ट आदेश दिया कि रास्ते पर उतरते। हमें जनता के सामने जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ भाजपा वाले भी कह रहे हैं कि हमें जनता के सामने जाना पड़ेगा। उन्होंने मान लिया है कि दिल्ली की संसद से जनसंसद बड़ी है। दिल्ली की संसद में देश के भविष्य के बारे में कोई सोचना दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि अलग-अलग पक्षों और अधिकांश पार्टियों में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। चिंता की बात यह है कि जो भ्रष्टाचार मिलकर हो रहा है, वह बहुत बड़ा खतरा है, जैसे कोयला घोटाला। कोयला घोटाले में सब शामिल हैं। दू जी स्पेक्ट्रम घोटाला,

आज की संसद को भंग करके नई संसद जनता को बनानी है और नई संसद बनाने के लिए जनता की शर्तें होंगी। यह जनता का हक है, अधिकार है। जनता की संसद जब बनेगी, तब उसमें जन लोकपाल आएगा, ग्राम विकास आएगा, राइट टू रिजेक्ट आएगा, ग्राम सभा को शक्तियां मिलेंगी, साथ ही अंग्रेजों द्वारा बनाए गए सारे सड़े-गले कानूनों को बदला जाएगा।



इसमें सब फंसे हुए हैं। आज जनता सोचती है कि संसद में बैठे लोग देश को उज्वल भविष्य नहीं दे सकते। अगर देश को उज्वल भविष्य देना है, चाहे वह भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो या महात्मा गांधी के संकल्प का ग्राम विकास हो, क्योंकि गांधी जी कहते थे कि देश बदलने के लिए पहले गांव को बदलना होगा, जब तक गांव नहीं बदलेंगे, तब तक देश कैसे बदलेगा। गांधी जी ने कहा था कि मानवता और प्रकृति दोनों का दोहन नहीं होना चाहिए। विकास की दो शर्तें गांधी जी ने रखी थी कि न मानवता का दोहन हो, न प्रकृति का दोहन हो। आज हम देख रहे हैं कि सब मिलकर प्रकृति का दोहन कर रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, कोयला, जंगल काट रहे हैं। विदेशी लोगों को बुला रहे हैं, किसानों की ज़मीनें जबरदस्ती छीन रहे हैं, उन पर बड़े-बड़े उद्योग लगा रहे हैं, जिसकी वजह से हवा प्रदूषित हो रही है, पानी प्रदूषित हो रहा है और समाप्त हो रहा है। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा, कभी न कभी विनाश होगा। ऐसा विकास सही विकास नहीं है, ऐसा महात्मा गांधी कहते थे। देश में कई जगह ग्राम स्वराज के अच्छे प्रयोग हुए हैं। जहां पेट्रोल नहीं, डीजल नहीं, कोयला नहीं, हमने सिर्फ प्रकृति का उपयोग किया और लोग स्वावलंबी हो गए। बारिश की एक-एक बूंद को रोका, पानी का संचयन किया, रिचाज किया, ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ाया, गांव की मिट्टी गांव में रखी जिससे कृषि का विकास हुआ। हाथ के लिए काम, पेट के लिए रोटी गांव में ही मिल गई। इसकी वजह से शहर की तरफ जाने वाले लोगों की रोकथाम हो गई।

अब देश की जनता के लिए सोचने का समय आ गया है। अगर जनता आज नहीं सोचेगी तो हमारी आने वाली पीढ़ियां खतरे में पड़ जाएंगी। तब तक ये लोग कुछ बाकी रखेंगे या नहीं, इसमें संदेह है। दिल्ली की संसद सफल नहीं हो रही, सब मिलकर देश को लूट रहे हैं। अंग्रेजों ने जितना लूटा, उससे ज्यादा ये लोग लूट रहे हैं। अंग्रेजों ने डेढ़ सौ सालों में जितना भारत को नहीं लूटा, पैंसठ सालों में इन्होंने देश को उससे ज्यादा लूट लिया। यह बात स्पष्ट हो गई है कि संसद में बैठे लोग और सत्ता में बैठी सरकार देश को अच्छा भविष्य नहीं देंगे।

26 जनवरी, 1950 को पहला गणतंत्र बना। उसी दिन देश में प्रजा की सत्ता आ गई। प्रजा इस देश की मालिक हो गई। सरकार की तिजोरी में जमा होने वाला पैसा जनता का है। पूरी जनता इस पैसे का कहीं नियोजन नहीं कर सकती, इसीलिए संविधान के मुताबिक हमने प्रातिनिधिक लोकशाही स्वीकार की। मालिक ने अपने प्रतिनिधि सेवक के नाते भेजे। राष्ट्रपति ने जिन अधिकारियों का चयन किया, वे सरकारी सेवक हैं यानी जनता के सेवक हैं। जब जनता ने सेवक को भेजा है और सेवक अच्छा काम नहीं कर रहा तो उसे निकालने का अधिकार जनता का है, क्योंकि जनता मालिक है। मालिक ने जिन सेवकों को भेजा था, वे देश एवं समाज की भलाई का सही काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए उन्हें निकालने का समय आ गया है। इसलिए जनता की भलाई के लिए इस देश की संसद को भंग होना चाहिए। यह जनता के हाथ में है। अगर पूरे देश में जनता सड़कों पर उतर आए तो संसद भंग होगी। उसकी जगह नई संसद बनानी है, जिसके लिए जनता नए प्रतिनिधि चुनेगी, जो चरित्रवान हों। हम लोग चरित्रवान प्रतिनिधियों के चयन में मदद करने के लिए सारे देश में घूमेंगे। नए चुने जाने वाले प्रतिनिधि को चरित्रवान, सेवाभावी, सामाजिक और राष्ट्रीय दृष्टिकोण वाला होना चाहिए यानी उनकी छवि ठीक हो, वह सेवाभावी हो और सक्षम हो। उसे एक हलफनामा (एफिडेविट) देना होगा और उसके बाद यदि उसने उसका पालन नहीं किया तो जनता उस प्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार रखेगी। इससे देश का भविष्य बदलने की शुरुआत हो सकती है। आज तो प्रतिनिधि को वापस बुलाने का ही कोई प्रावधान नहीं है, जिसकी वजह से किसी प्रतिनिधि को कोई डर ही नहीं रहता। वह कहता है कि पांच साल के लिए मुझे चुन लिया गया है, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। पांच साल के लिए तो हम राजा बन गए।

आज की संसद को भंग करके नई संसद जनता को बनानी है और नई संसद बनाने के लिए जनता की शर्तें होंगी। यह जनता का हक है, अधिकार है। जनता की संसद जब बनेगी, तब उसमें जन लोकपाल आएगा, ग्राम विकास आएगा, राइट टू रिजेक्ट आएगा, ग्राम सभा को शक्तियां मिलेंगी, साथ ही अंग्रेजों द्वारा बनाए गए सारे सड़े-गले कानूनों को बदला जाएगा। सभी को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार और सभी के लिए विकास की योजनाएं बनेंगी। देश को स्वावलंबी बनाएंगे। देश में जनतंत्र है, जनतंत्र के मुताबिक कानून होने चाहिए। संविधान में सामाजिक विषमता दूर करने की बात कही गई, आर्थिक विषमता दूर करने की बात कही गई, जाति-पात का भेद समाप्त करने की बात कही गई। यह जाति-पात लोगों को बांट रही है। संविधान का पालन संसद में बैठे लोग कहां कर रहे हैं? इसीलिए जनता को आज की संसद बर्खास्त करके नई संसद बनाकर और चरित्रवान उम्मीदवारों को चुनकर अपने लिए नए भविष्य का निर्माण करना होगा। इस परिवर्तन के लिए हम जनता से जागते, उठते और आंदोलन करने का आह्वान करते हैं। ■

वी.के.सिंह

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 04 अंक 45

दिल्ली, 14 जनवरी-20 जनवरी 2013

RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक

संतोष भारतीय

संपादक समन्वय

डॉ. मनीष कुमार

सहायक संपादक

सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)

प्रथम तल, विराट कॉम्प्लेक्स के पीछे, सदावर पटेल पथ,

कृष्णा अपार्टमेंट के नजदीक, बोरिंग रोड, पटना-800013

फोन : 0612 2570092, 9431421901

ब्यूरो चीफ (लखनऊ)

अजय कुमार

जे-3/2 डालीवाग कॉलोनी, हजरतगंज, लखनऊ-226001

फोन : 0522-2204678, 9415005111

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के-2, गैसन, चौधरी बिल्डिंग, कनांट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय

के-2, गैसन, चौधरी बिल्डिंग कनांट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कंप कार्यालय एन-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.

संपादकीय

0120-6451999

6450888

6452888

011-23418962

विज्ञापन व प्रसार

+91-9266627366

फैक्स न.

0120-2544378

पृष्ठ-16+4 (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड) हर सुक्रवार को प्रकाशित

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है। बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा।



अन्ना हजारे एवं वी के सिंह मानते हैं कि देश में परिवर्तन के लिए छात्रों और नौजवानों को आगे आना होगा.

पटना

गांधी मैदान से शुरु होगी परिवर्तन की लड़ाई



चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

भारतीय लोकतंत्र के लिए आने वाला समय काफी महत्वपूर्ण है. लोगों का इस व्यवस्था से भरोसा उठने और उसके नतीजे के तौर पर जनता के सड़क पर उतरने की घटनाएं लगातार जारी हैं. दामिनी वाली घटना में जिस तरह से युवा लगातार दिल्ली और देश के बाकी हिस्सों में आंदोलन कर रहे हैं, इसे भारतीय लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत माना जा सकता है. यह माना जा सकता है कि भारतीय लोकतंत्र अब परिपक्व होने की कगार पर है. इसी कड़ी में देखें तो जन लोकपाल के लिए आंदोलन करके अन्ना हजारे ने देश में न सिर्फ भ्रष्टाचार, बल्कि एक निष्क्रिय एवं असंवेदनशील व्यवस्था के खिलाफ जनभावना जागृत करने का काम किया. अब एक बार फिर अन्ना हजारे का आंदोलन शुरू होने वाला है, पटना के गांधी मैदान से. 30 जनवरी को अन्ना हजारे इस ऐतिहासिक गांधी मैदान से अपने नए आंदोलन की शुरुआत करेंगे और देश में व्यवस्था परिवर्तन के लिए एक नई लड़ाई का आगाज करेंगे. शुरु में प्रशासन ने गांधी मैदान में रैली करने की अनुमति देने में थोड़ी आनाकानी की, लेकिन बाद में अन्ना एवं वी के सिंह की अपील पर या कहें कि जनभावना को समझते हुए रैली के लिए अनुमति दे दी. अब बिहार की जनता को 30 जनवरी का इंतजार है, जब अन्ना गांधी मैदान पहुंचेंगे और व्यवस्था परिवर्तन के लिए एक नए आंदोलन की घोषणा करेंगे. अन्ना हजारे ने बिहार और देश की जनता के नाम एक अपील जारी करके लोगों से इस आंदोलन का नेतृत्व करने का निवेदन भी किया है.



उमेश कुमार सिंह

अन्ना की अपील

देश में व्यवस्था परिवर्तन की मांग उठ रही है. अब इस मांग को अनदेखा नहीं किया जा सकता है. देश में भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, अशिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सीमा पार कर गई हैं. अराजकता चरम सीमा पर है. इसके खिलाफ देश भर में नौजवानों ने गुस्सा प्रकट किया है, जिसकी शुरुआत दिल्ली के छात्रों और नौजवानों ने की है. उन्होंने दामिनी के समर्थन में जिस आक्रोश का प्रदर्शन किया है, वह स्वागत योग्य है. मैं दिल्ली और देश के नौजवानों को बधाई देता हूं. दामिनी ने अपना बलिदान देकर देश के नौजवानों के सामने एक चुनौती पेश की है कि वे व्यवस्था परिवर्तन के लिए खड़े हो जाएं और ऐसी सरकार एवं व्यवस्था के निर्माण की अगुवाई करें, ताकि अपराध, भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी खत्म हो तथा सभी को न्याय मिल सके. पटना के गांधी मैदान में 30 जनवरी को मैंने बिहार के नौजवानों एवं नागरिकों को नए आंदोलन की शुरुआत में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है. मैं 30 जनवरी को गांधी मैदान पहुंचूंगा और देश के लोगों से अपील करूंगा कि इंतजार करने का वक्त खत्म हो गया है और नौजवानों द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलने का समय आ गया है. मैं बिहार के नागरिकों-नौजवानों के साथ सारे देश के लोगों से अपील करता हूं कि वे 30 तारीख को पटना के गांधी मैदान में पहुंचें और इस ऐतिहासिक आंदोलन का नेतृत्व करें. मैं विशेषकर महिलाओं, युवतियों एवं छात्रों से अपील करता हूं कि वे पटना के गांधी मैदान में जरूर आएँ और देश को बदलने के अभियान का नेतृत्व करें. मैं बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपील करता हूं कि वे आंदोलन में सहायक बनें और 30 जनवरी को गांधी मैदान में सभा करने की अनुमति प्रदान करें. आशा है, बिहार के मुख्यमंत्री जनता की भावना के खिलाफ खड़े नहीं होंगे. मैंने भूतपूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वी के सिंह से आग्रह किया है कि वह गांधी मैदान में होने वाली इस सभा के आयोजन की जिम्मेदारी संभालें. मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि वे जनरल वी के सिंह के दिशा-निर्देशन में 30 जनवरी की सभा के आयोजन में जुट जाएं. बिहार से महात्मा गांधी ने आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत की थी. बिहार से ही लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने देश में संपूर्ण क्रांति का संघर्ष प्रारंभ किया था. बिहार में ही भगवान बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ था. इसलिए देश को बदलने, देश में जनता के प्रति जवाबदेह विधायिका और कार्यपालिका का निर्माण करने तथा ग्राम सभाओं को सर्वशक्तिशाली बनाने के साथ महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और कुशिक्षा के खिलाफ संघर्ष की शुरुआत बिहार से ही हो सकती है.

मैं बिहार में पैदा हुए सभी महापुरुषों को प्रणाम करने और बिहार की जनता को नमन करने 30 जनवरी को पटना आ रहा हूं.

में जगह-जगह बैठकें चल रही हैं. पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वी के सिंह ने दिल्ली में बीते 31 दिसंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 30 जनवरी की रैली की घोषणा और देश के युवाओं से इसमें शामिल होने की अपील की. दिल्ली के बाद पटना में भी जनरल सिंह लोगों से मिल रहे हैं. वहां उन्होंने बीती 2 जनवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. 30 जनवरी को अन्ना हजारे की अगुवाई में होने वाली रैली के मकसद के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि हम ऐसे लोगों को साथ लाना चाहते हैं, जो इस देश में परिवर्तन चाहते हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम एक पत्र भी लिखा, जिसमें गांधी मैदान में रैली करने की अनुमति देने के बारे में कहा गया था. पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले ही जिला प्रशासन से गांधी मैदान में रैली की अनुमति मिल गई थी. गौरतलब है कि पहले जिला प्रशासन ने 26 जनवरी का हवाला देते हुए गांधी मैदान में रैली करने की अनुमति देने से मना कर दिया था. अन्ना हजारे एवं वी के सिंह मानते हैं कि देश में परिवर्तन के लिए छात्रों और नौजवानों को आगे आना होगा. इसलिए वे छात्रों एवं नौजवानों से खास अपील भी कर रहे हैं कि 30 जनवरी की रैली में शामिल हों. इस अपील का असर भी देखने को मिल रहा है. बिहार में जहां युवा वर्ग अन्ना हजारे को लेकर उत्साहित नज़र आ रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश में भी छात्रों का एक बड़ा वर्ग रथयात्रा के ज़रिए उत्तर प्रदेश, झारखंड एवं बिहार के कई हिस्सों तक पहुंचेगा और अन्ना हजारे की रैली में पहुंचने के लिए लोगों को आमंत्रित करेगा. इससे पहले छात्र युवा संघर्ष मोर्चा बनारस में जनरल वी के सिंह एवं अन्ना हजारे की रैली का आयोजन सफलतापूर्वक कर चुका है और अब वह 30 जनवरी की रैली के लिए तैयारियां कर रहा है. इस संबंध में उत्तर प्रदेश छात्र युवा संघर्ष मोर्चा से जुड़े उमेश कुमार सिंह जी और उनके साथी रवीश सिंह, रविकांत राय, निर्भय सिंह और शशांक सिंह बताते हैं कि जनवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में प्रयाग से पटना के लिए एक रथयात्रा शुरू की जाएगी. यह यात्रा इलाहाबाद से शुरू होकर भदोही, मिर्जापुर, राँबटसगंज, बनारस, आजमगढ़, गाज़ीपुर, मऊ, बलिया, बक्सर, भभुआ, सासाराम, रोहतास, डेहरीम गया, डाल्टनगंज एवं आरा होते हुए पटना पहुंचेगी. इस रूट में जितने भी कॉलेज एवं विध्यालय आएंगे, उन सभी जगहों पर छात्र युवा संघर्ष मोर्चा के लोग जाएंगे और छात्रों एवं युवाओं से 30 जनवरी को गांधी मैदान की रैली में शामिल होने की अपील करेंगे.



अन्ना समर्थक भर देंगे गांधी मैदान

खरोज सिंह feedback@chauthiduniya.com

तीस जनवरी को अन्ना हजारे की पटना में होने वाली रैली को लेकर पूरे बिहार में ज़बरदस्त उत्साह देखा जा रहा है. पटना रैली के शिल्पकार जनरल वी के सिंह की दो दिवसीय पटना दौरे ने तो कार्यकर्ताओं का मनोबल इतना बढ़ा दिया है कि हर कोई अन्ना की रैली में आने की बात करने लगा है. जनरल सिंह के दौरे का सबसे बड़ा असर यह हुआ कि अन्ना हजारे को चाहने वाला हर कार्यकर्ता अपने साथ सी-सी समर्थकों को गांधी मैदान लाने का दावा कर रहा है. दरअसल यह जादू किया है जनरल वी के सिंह ने. उन्होंने अपने दौरे के पहले दिन ही साफ कर दिया कि यह जनता की रैली है और उसके नायक अन्ना हजारे हैं. इसलिए हर बिहारवासी की यह जिम्मेदारी है कि वह भ्रष्टाचार की इस लड़ाई को सफल बनाने में अपना सहयोग दे. गांधी संग्रहालय में कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ के बीच जनरल सिंह ने यह स्पष्ट कर दिया कि अभी हम लोगों का सारा ध्यान 30 जनवरी की रैली पर ही केंद्रित होना चाहिए. इस रैली को सफल बनाकर हम पूरे देश को यह संदेश दे सकते हैं कि बिहार हमेशा से क्रांति का अगुआ रहा है.

जनरल सिंह ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि इस समय हर किसी को देश की चिंता करनी चाहिए. देश में इस समय जो हालात हैं, उससे चिंता होती है. अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग शुरू नहीं की गई तो इस देश का क्या होगा यह कहना मुश्किल है. इसलिए उन्होंने अन्ना समर्थकों से कहा कि आपके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है. अतः आपको आगे बढ़कर काम करना होगा. अन्ना चाहते हैं कि देश का हर नागरिक भ्रष्टाचार के खिलाफ इस लड़ाई में साथ चले. जनरल सिंह के अनुसार, यह आंदोलन पूरी तरह गैर राजनीतिक है, लेकिन आगे इसका स्वरूप क्या होगा इस बारे अभी कुछ भी कहना मुश्किल है. पटना में जनरल वी के सिंह ने सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे कई संगठनों के अलावा मुसलमानों के एक बड़े प्रतिनिधिमंडल से भी आगामी रैली के संबंध में विचार विमर्श किया. इस प्रतिनिधिमंडल ने भरोसा दिलाया कि 30 जनवरी की रैली में मुसलमानों की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी रहेगी. डॉक्टरों एवं वकीलों के कई प्रतिनिधिमंडलों ने भी जनरल सिंह से मुलाकात कर रैली को सफल बनाने का भरोसा दिलाया. जनरल सिंह अन्ना समर्थकों को यह समझाने में सफल रहे कि व्यवस्था परिवर्तन की जो लड़ाई बिहार के गांधी मैदान से शुरू होने

वाली है वह देश के लिए बेहद जरूरी है. उनके अनुसार, गांधी मैदान में जमा होने वाले लाखों लोग तीस जनवरी को भ्रष्टाचार मिटाने का सकेल्प लेकर यह साबित करेंगे कि वे सही मायनों में इस देश से प्यार करते हैं. जनरल सिंह ने कहा कि यह रैली अन्य रैलियों से काफी अलग होगी. गौरतलब है कि इस रैली के लिए किसी भी तरह के चंदे और नगदी के लेन-देन पर मनाही है. रैली को सफल बनाने में सहयोग की इच्छा रखने वाले पोस्टर बैनर छपवाकर और अन्य जरूरी सामग्री देकर अपना योगदान दे सकते हैं. उन्होंने बताया कि रैली के लिए पटना को ही चुना गया है, क्योंकि बिहार की धरती पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण और महात्मा गांधी जैसे लोगों ने आंदोलन की शुरुआत की थी, इसलिए अन्ना ने भी बिहार को चुना है. रैली के आँचिप पर प्रकाश डालते हुए जनरल वी के सिंह ने बताया कि देश में अमीरों और गरीबों के बीच खाई चौड़ी होती जा रही है. इस अंतर को समाप्त करने की ज़रूरत है. उनके अनुसार यह एक सामाजिक आंदोलन है. चूंकि यह जनता का आंदोलन है इसलिए कोई भी आदमी रैली के संबंध में जानकारी या सुझाव मोबाइल नंबर 09650268680 या ई-मेल

jantantrally2013@gmail.com पर दे सकता है. जनरल सिंह ने कहा कि ऐसी कोई समस्या नहीं है, जिसका हल नहीं निकाला जा सकता. भ्रष्टाचार इस व्यवस्था में इतनी गहरी जड़ें जमा चुका है कि आम आदमी हताश एवं निराश हो रहा है. अन्ना जी चाहते हैं कि देश का हर नागरिक एक ऐसी व्यवस्था में सांस ले, जिसमें भ्रष्टाचार का नामनिशान न हो. जनरल सिंह ने इस रैली को सफल बनाने के लिए हर बिहारवासी से दिन-रात मेहनत करने की अपील की. देखा जाए तो जनरल सिंह के इस दौरे ने अन्ना हजारे की प्रस्तावित रैली का खाका तैयार कर दिया है. अब सूबे के हर ज़िले में रैली की तैयारी और बैठकों का दौर शुरू हो गया है. लोग अपनी पहल पर इस तरह की व्यवस्था बना रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच रैली की जानकारी पहुंचाई जा सके. नुककड़ नाटकों के माध्यम से भी रैली के लिए माहौल बनाया जा रहा है. स्कूल एवं कॉलेजों में भी अन्ना हजारे की रैली को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं. ऐसा अनुमान है कि अन्ना की इस रैली में युवाओं की भारी हिस्सेदारी रहेगी. इस बीच महिलाएं भी गली-मोहल्लों में जाकर लोगों से गांधी मैदान में 30 जनवरी को होने वाली रैली में शामिल होने की अपील कर रहीं हैं.



कमोवेश यही स्थिति देश के दूसरे शहरों की है. नौजवानों का यह आंदोलन एक आंदोलन न होकर इंटरनेट का भ्रम है, ऐसा सोचने वालों के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता.



अभिषेक रंजन सिंह

arsingh@chauthiduniya.com

आजाद भारत के इतिहास में शायद पहली मर्तबा ऐसा हुआ, जब छात्र, नौजवान, महिलाएं एवं सामाजिक संगठनों ने अपने स्तर पर भारत बंद और काला दिवस मनाने का फैसला किया. हालांकि राजनीतिक दलों द्वारा आयोजित किए जाने वाले भारत बंद की तरह इस बंद का असर यातायात और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर नहीं पड़ा. देश भर में जनजीवन पूरी तरह सामान्य रहा और बाज़ार भी आम दिनों की तरह खुले रहे, लेकिन सड़कों से गुजरने वाले लोगों के चेहरे पर उन दरिदों के प्रति गुस्से की झलक साफ देखी जा सकती थी, जिन्होंने दामिनी की ज़िंदगी और उसके परिवारीजनों के सपनों को तबाह कर दिया. दिल्ली में भारत बंद का आह्वान जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू), दिल्ली विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया समेत कई शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं ने किया. ये वही छात्र थे, जिन्होंने दामिनी के साथ हुए सामूहिक बलात्कार के विरोध में राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट और विजय चौक को मिस्र के तहरीर चौक में तब्दील कर दिया था. बग़ैर किसी राजनीतिक पार्टियों के समर्थन के नौजवानों एवं छात्रों के इस आक्रोश ने इमरजेंसी की याद दिला दी. दिल्ली पुलिस ने भी इंडिया गेट के आसपास के इलाकों में धारा 144 लागू करते हुए कई प्रमुख सड़कों को बंद कर दिया. सिंगापुर में बलात्कार पीड़िता की मौत के बाद दो दिनों तक दिल्ली मेट्रो के 10 स्टेशन बंद कर दिए गए, ताकि प्रदर्शनकारी कहीं भी एकजुट होने में कामयाब न हो पाएं.

इस भारत बंद के बारे में कई बुद्धिजीवियों का कहना है कि नौजवानों के बीच कोई न कोई नेता होना चाहिए, ताकि आंदोलन को सही नेतृत्व मिले. इन तथाकथित बुद्धिजीवियों का यह भी मानना है कि कोई भी लड़ाई बिना नेता के सही अंजाम तक नहीं पहुंचती. यहां सवाल यह है कि देश की जनता आखिर किसे नेता माने और क्यों माने. दिल्ली में पिछले दिनों हुए प्रदर्शन और भारत बंद के बाद यह सवाल भी उठ रहा है कि कड़कड़ती सर्दियों के बावजूद सड़कों पर हज़ारों की संख्या में उतरी जनता का गुस्सा क्या सिर्फ बलात्कार पीड़िता को इंसाफ़ दिलाना मात्र था? शायद नहीं, क्योंकि दरिदगी की शिकार हुई दामिनी की मौत भले ही एक तात्कालिक कारण हो सकती है, लेकिन जनता का यह आक्रोश सरकार की कई जनविरोधी नीतियों और देशव्यापी भ्रष्टाचार की वजह से भी पैदा हुआ, जिसकी अब तक अनदेखी होती रही है. भारत बंद करने वाले नौजवान प्रदर्शनकारियों की एक ही मांग है कि सरकार सामूहिक दुष्कर्म करने वाले सभी आरोपियों को फांसी जैसी सख्त सज़ा दिलाए. साथ ही आईपीसी की धारा में संशोधन कर बलात्कार जैसे कृत्य के लिए मृत्युदंड का प्रावधान किया जाए, ताकि देश में महिलाओं की आबरू के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस कोई न कर सके. भारत के लोगों के बारे में अक्सर कहा जाता है कि यहां की जनता जुल्म सहने की आदी

सबक छोड़ गया भारत बंद

देश की जनता ने कई बार भारत बंद देखे हैं. लाल, हरे, नीले, भगवा एवं तरह-तरह के रंगों के झंडों तले कभी वामदल, कभी लोकदल, कभी बसपा, कभी समाजवादी पार्टी, कभी भारतीय जनता पार्टी तो कभी कांग्रेस ने सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ़ जनता को लामबंद करने के लिए बंद का आह्वान किया. बीते कुछ वर्षों पर गौर करें तो हर साल किसी न किसी मुद्दे पर राजनीतिक दलों द्वारा भारत बंद किया गया. राजधानी दिल्ली पहले हुए तमाम बंद का गवाह रहा है. इस बंद में जनता की सहज भागीदारी भले न रही हो, लेकिन सियासी पार्टियों के लिए भारत बंद का आयोजन किसी महत्वपूर्ण दस्तावेज़ की तरह है. दिल्ली में एक छात्रा के साथ चलती बस में हुए गैंगरेप के विरोध में विगत 3 जनवरी को भारत बंद का आयोजन किया गया. इस भारत बंद की ख़ास बात यह रही कि इसमें किसी राजनीतिक दल की कोई भूमिका नहीं रही.

हो चुकी है. पहले उसने राजा-महाराजाओं की गुलामी की, उसके बाद अंग्रेजों की और अब अपने जनप्रतिनिधियों की. लोकतंत्र में ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास करने वाले लोगों का यह भी कहना है कि जनता को लोकतांत्रिक तरीके से ही विरोध करना चाहिए, क्योंकि उनके पास वोट देने का अधिकार है. अगर जनता

चाहे तो देश की व्यवस्था में काफी बदलाव ला सकती है. लोकतांत्रिक मूल्यों की ऐसी दलील देने वालों का सम्मान किया जा सकता है, लेकिन उनकी यह बात मानने का वक्त और सज़ा जनता में नहीं रह गया है. देश में क़ानून बनाने का काम संसद के सदस्यों का है, लेकिन संसद भवन और राज्यों की विधानसभा में बैठे कई माननीय सदस्य खुद बलात्कारी हैं, जिनके ऊपर इस तरह के कई मुक़दमे चल रहे हैं. ऐसे में सवाल यह है कि अगर बलात्कार जैसे कृत्यों के लिए फांसी की सज़ा मुक़रर की जाती है तो कई सफ़ेदपोश नेताओं की गर्दनो की भी नाप ले ली जाएगी और उन्हें भी फांसी पर लटका दिया जाएगा. असल में देश की जनता यही चाहती है कि अपराधी चाहे नेता हो या आम आदमी, सज़ा सबको बराबर मिलनी चाहिए. दिल्ली की सड़कों पर युवाओं का यह आक्रोश कई संकेत दे रहा है. जो लोग ऐसा सोचते हैं कि मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ज़रिए ही छात्र और नौजवान सड़कों पर उतरे, उनका यह सोचना ग़लत है. दिल्ली देश की राष्ट्रीय राजधानी है, निश्चित रूप से यहां रहने वाले ज़्यादातर लोग इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग साइट्स का इस्तेमाल करते हैं. कमोवेश यही स्थिति देश के दूसरे शहरों की है. नौजवानों का यह आंदोलन एक आंदोलन न होकर इंटरनेट का भ्रम है, ऐसा सोचने वालों के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता. भारत के सभी राजनीतिक दल इस बात को समझ लें कि अब उन्हें ऐसी ही भीड़ का सामना हर जगह करना पड़ सकता है. जिस तरह उग्र भीड़ डकैतों-बदमाशों को पीट-पीटकर मार डालती है, वैसी ही दशा अब भारत में विधायकों, सांसदों एवं मंत्रियों की हो सकती है. नौजवानों का यह आक्रोश भ्रष्ट राजनेताओं एवं अधिकारियों के लिए एक सबक है, जो भारत के लोकतंत्र को लूटतंत्र बनाने पर आमदा हैं. दामिनी के बहाने अभी तो सिर्फ़ बलात्कार के आरोप में फांसी की मांग हो रही है, लेकिन वह दिन भी दूर नहीं, जब किसानों से उनकी ज़मीनें छीनने, मजदूरों को उनका वाज़िब हक़ न देने, बेरोज़गारों को रोज़गार न देने, भूमिहीनों को जीवन-बसर करने के लिए ज़मीन न देने वाली सरकारों से जनहित के लिए क़ानून बनाने की मांग उठेगी. अगर सरकार फिर भी उनकी बातें नहीं मानेगी तो वह दिन दूर नहीं, जब नेताओं को लोग सड़कों पर घसीटेंगे और उन्हें जन अदालत लगाकर सज़ा देंगे. भारत में ऐसी घटना न हो, लोकतंत्र में हर किसी को फ़ायदा हो, चारों तरफ़ अमन और शोषण मुक्त समाज बने, इसके लिए राजनेताओं को चाहिए कि वे जनता को अपने विश्वास में लें, उसे वोटबैंक और बेवकूफ़ न समझें, वरना दिल्ली से उपजा यह आक्रोश पूरे देश में फैलने में देर नहीं लगेगी. ■

दलितों का असली रहनुमा कौन है

मायावती को दलित नेता के तौर पर जाना जाता है. भले ही उन्होंने सरकार बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को अपने साथ लाकर बसपा के वोट बैंक में इजाफ़ा किया हो, लेकिन उनकी पहचान तो एक दलित नेता के तौर पर ही है. यहां सवाल यह है कि क्या दलित होना और दलितों के लिए काम करना एक ही बात है. उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार ने भले ही प्रमोशन में आरक्षण का विरोध किया है, लेकिन आंकड़ों की मानें तो अखिलेश सिंह यादव की सरकार में दलितों का उत्पीड़न मायावती सरकार की तुलना में कम हुआ है. समाजवादी पार्टी की मौजूदा सरकार ने अपनी नीतियों से यह साबित कर दिया है कि उसे दलितों के बारे में मायावती से अधिक चिंता है.

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

अगर पिछले कुछ वर्षों पर नज़र डाली जाए तो दलित उत्पीड़न पर रोक लगाने में अखिलेश सरकार का रिकार्ड अपनी पूर्ववर्ती मायावती सरकार से बेहतर दिख रहा है. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, पीड़ितों को मुआवज़ा और शिकायतों की संख्या तो यही बता रही है. पिछले दो वित्तीय वर्षों एवं चालू वित्तीय वर्ष में दलितों के साथ उत्पीड़न के मामलों पर नज़र डालें तो पिछली सरकार के मुक़ाबले दलित उत्पीड़न के मामलों में काफी कमी दर्ज की गई है. सरकारी व्यवस्था में दामिनी सरीखी घटनाओं के विपरीत दलित उत्पीड़न के मामलों का तेज़ी से निस्तारण किया कराया जा रहा है. इन मामलों को लेकर न तो कोई सड़क पर उतरा है और न ही इन मुद्दों को मीडिया में उचित जगह दी गई है.

दिल्ली में छात्रा के साथ हुए बलात्कार के विरोध में सड़कों पर उतरे प्रदेशवासियों ने एक बार भी इन दलित महिलाओं एवं युवतियों का दर्द नहीं समझा. गौरतलब है कि दलित उत्पीड़न के मामलों (हत्या, बलात्कार, गंभीर चोट, आगजनी, लूटपाट, अपमान, बेगारी, मतदान से वंचित करने, मार्ग रोकने, गांव-घर छोड़ने पर विवश करने आदि) में सरकार द्वारा आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है. भारत सरकार की अधिसूचना जारी होने की तिथि (23 दिसंबर 2011) से राहत राशि में भी वृद्धि कर दी गई है. नए संशोधन के मुताबिक दलित महिला की लज्जा भंग होने पर प्रत्येक पीड़ित को 1.20 लाख रुपये देने का प्रावधान है. इसमें 50 फीसदी राशि जांच के तुरंत बाद तथा शेष 50 प्रतिशत मामले की जांच समाप्त होने पर देने का प्रावधान है. पहले इस तरह के अपराध में प्रत्येक पीड़ित को पचास हज़ार रुपया दिया जाता था. मायावती सरकार में जनपद स्तर पर अनुसूचित जाति उत्पीड़न के मामलों में काफी इजाफ़ा हुआ. वर्ष

2011-12 में सिर्फ़ बलात्कार के चार दर्जन से ज़्यादा मामलों में आर्थिक सहायता प्रदान की गई थी. अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत वित्तीय वर्ष 2010-11 में उत्पीड़न के 241, वित्तीय वर्ष 2011-12 में 296 तथा मौजूदा वित्तीय वर्ष में 15 दिसंबर 2012 तक कुल 185 मामलों में आर्थिक सहायता प्रदान की गई है. दलित उत्पीड़न के सबसे अधिक मामले पिछले वित्तीय वर्ष 2011-12 में दर्ज किए गए हैं. आंकड़ों के लिहाज़ से देखें तो उत्तर प्रदेश की मौजूदा समाजवादी पार्टी की सरकार से कहीं अधिक दलितों का उत्पीड़न बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हुआ. दलितों का सबसे बड़ा हितैषी बताने वाली मायावती भी दलित समाज के लोगों को सुरक्षित वातावरण मुहैया कराने में असफल साबित हुई. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, दलित उत्पीड़न की वजह से वित्तीय वर्ष 2010-11 में 45 लाख 87 हज़ार 5 सौ रुपये, वित्तीय वर्ष 2011-12 में 52 लाख 80 हज़ार रुपये और मौजूदा वित्तीय वर्ष 2012-13 में सरकारी ख़जाने पर 36 लाख 10 हज़ार रुपये का बोझ पड़ा है.

दलितों के नाम पर बसपा प्रमुख मायावती उत्तर प्रदेश में चार बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं. मायावती का तिलिस्म तब टूटा, जब उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला प्रकाश में आया. इन्होंने सब वजहों से वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में जनादेश दिया. चुनावी नतीजे के छह महीने तक मायावती मौन रहीं, लेकिन संसद के शीतकालीन सत्र शुरू होते ही उन्होंने प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर राज्यसभा में दलितों के हित की लड़ाई फिर शुरू कर दी. मायावती समाजवादी पार्टी की सरकार पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाती हैं, लेकिन दलित उत्पीड़न के सरकारी आंकड़े उनके आरोपों की पोल खोल रहे हैं. ऐसे में अब उत्तर प्रदेश की जनता को यह तय करना होगा कि वास्तव में मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव दलित विरोधी हैं या फिर मायावती. ■





प्रावधान के मुताबिक, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल तीन वर्षों का है। सामान्य स्थिति में कार्यकाल समाप्त होने से पहले किसी को अध्यक्ष पद से हटाने की परंपरा नहीं रही है।



बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग खामोशी का राज क्या है

अशरफ अल्थानवी

feedback@chauthiduniya.com

बिहार का अल्पसंख्यक आयोग अपनी संवैधानिक शक्ति के बावजूद व्यवहारिक रूप से निःशक्ति और कमजोर हो चुका है। यह वही आयोग है, जो कभी राज्य के अल्पसंख्यकों के हितों की हिफाजत में अपनी अग्रणी भूमिका के लिए पूरे देश में ख़ास पहचान रखता था। सत्ताभक्ति और स्वार्थ ने इसके चेहरे को इतना बदल दिया है कि इसकी पहचान ही गुम हो गई है। बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा 1992 में मिला था। उस समय लालू प्रसाद की सरकार थी। आयोग के अध्यक्ष प्रो. जाबिर हुसैन की कोशिशों से आयोग को संवैधानिक अधिकार मिला था। जब तक प्रो. जाबिर हुसैन इस पद पर रहे, आयोग पूरी सक्षमता के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाता रहा। प्रो. जाबिर हुसैन दो टर्म यानी छह वर्षों तक इस पद पर रहे। जब वह बिहार विधान परिषद् के अध्यक्ष बने तो प्रो. सोहेल अहमद खान ने इस जिम्मेदारी को संभाला। उन्होंने भी आयोग की गरिमा को बनाए और बचाए रखने में कोई कमी नहीं की। राज्य के अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा का पूरा प्रयास किया गया। उनके कार्यकाल में भी अल्पसंख्यकों को न्याय दिलाने तथा उनसे जुड़े मसलों पर आयोग का प्रभाव रहता था। अगर आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के दौरान इसके कार्यक्षेत्र को और अधिक व्यापक एवं व्यवहारिक तथा इसके फ़ैसलों और आदेशों के कार्यान्वयन के प्रति कार्यपालिका को जवाबदेह बनाया गया होता तो आज बिहार के अल्पसंख्यकों की स्थिति कुछ और ही होती। जब राज्य में एनडीए की सरकार बनी तो यह उम्मीद जगती थी कि सामाजिक न्याय की सरकार में अल्पसंख्यकों को समुचित न्याय देने के मामले में बरती गई लापरवाही को दोहराया नहीं जाएगा और न्याय के साथ विकास का नारा लगाने वाली सरकार में अल्पसंख्यकों को नज़रअंदाज़ नहीं किया जाएगा। यह भी उम्मीद थी कि अल्पसंख्यक आयोग पूरी संवैधानिक शक्ति के साथ अपना काम करेगा, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो सका। प्रावधान के मुताबिक, आयोग को प्रतिवर्ष अल्पसंख्यकों की सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक स्थिति पर अपनी रिपोर्ट देनी है, जिसे विधानमंडल के दोनों पटलों पर रखा जाना है, ताकि सरकार इसकी अनुशंसा के आलोक में आवश्यक कार्रवाई कर सके। मगर नीतीश सरकार में आज तक आयोग की एक भी रिपोर्ट न तो तैयार हुई और न विधानमंडल के सदनों में पेश की गई। इसके बावजूद नौशाद अहमद राजशाही ठाठ-बाट के साथ आयोग के अध्यक्ष बने हुए हैं, जबकि सत्ता की बागडोर संभालने के कुछ ही दिनों बाद नीतीश कुमार ने राबड़ी शासनकाल में नियुक्त प्रो. सोहेल अहमद खान को इस बहाने आयोग के अध्यक्ष पद से हटा दिया था कि उन्होंने इस साल का प्रतिवेदन विधानमंडल में प्रस्तुत नहीं किया था।

प्रावधान के मुताबिक, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल तीन वर्षों का है। सामान्य स्थिति में कार्यकाल समाप्त होने से पहले किसी को अध्यक्ष पद से हटाने की परंपरा नहीं रही है, लेकिन सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोहेल अहमद खान को उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही अध्यक्ष पद से हटा दिया और 5 अगस्त, 2006 को अपने चहेते नौशाद अहमद को अध्यक्ष बना दिया। तीसरी बार उन्हें अध्यक्ष बनाते हुए सरदार हरचरण सिंह को दोबारा उपाध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाया गया। हालांकि इस बार ईसाई समुदाय से सामाजिक कार्यकर्ता पद्मश्री सुधा वर्गीज को भी उपाध्यक्ष बनाते हुए उन्हें राज्यमंत्री का दर्जा और सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। एक और ख़ास बात यह है कि नीतीश कुमार नए तरीके से काम करने की बात करते रहे हैं। इसके तहत उनकी यह नीति रही है कि किसी को भी दो कार्यकाल से अधिक अवसर नहीं दिया जाएगा। मगर नौशाद अहमद के मामले में उनकी इस नीति का पालन नहीं किया जाना भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। सवाल यह भी है कि प्रो. सोहेल अहमद खान को उनके कार्यकाल से पहले केवल इस बुनियाद पर हटाया गया कि उन्होंने आयोग की वार्षिक रिपोर्ट पेश नहीं, मगर वर्तमान अध्यक्ष नौशाद अहमद ने आज तक एक भी रिपोर्ट पेश नहीं की, फिर भी उन्हें तीसरी बार किस आधार पर अध्यक्ष बना दिया? जबकि सत्ताधारी जदयू के

अल्पसंख्यक नेता भी इस आयोग की निष्क्रियता और कामकाज के तरीके पर सवाल उठाते रहे हैं। इन लोगों का भी मानना है कि इससे अच्छी स्थिति में तो यह आयोग तब था, जब बिहार की कमान लालू प्रसाद तथा राबड़ी देवी के हाथों में थी।

आज इस आयोग का हाल यह है कि सामान्य स्थिति तो दूर अल्पसंख्यक विरोधी बड़ी घटना के बाद भी राज्य के किसी ज़िले का न तो दौरा किया जाता है और न अल्पसंख्यकों से जुड़े मसलों पर राय-मशविरा होता है। नौशाद अहमद अल्पसंख्यकों की समस्याओं पर ध्यान देने या उन्हें न्याय दिलाने की बजाय इस बात की कोशिश में अधिक लगे रहते हैं कि मुख्यमंत्री हर हाल में उनसे खुश रहें और किसी भी क्रीम पर उनकी कुर्सी सुरक्षित रहे। वह ज़्यादातर जदयू के सक्रिय कार्यकर्ता की भूमिका में नज़र आते हैं। मुख्यमंत्री के पीछे-पीछे चलना उनका ख़ास शौक है। उनके साथ उनकी यात्राओं में वह शामिल होते हैं। इसी कड़ी में वह उनके साथ पाकिस्तान भी गए थे। मुख्यमंत्री जब अल्पसंख्यकों से जुड़े कार्यक्रम में जाते हैं, तो वहां नौशाद जाना नहीं भूलते। इसके अलावा जदयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की प्रेस-कॉन्फ्रेंस में भी वह काफ़ी मुस्तैद नज़र आते हैं। इससे अलग अगर अल्पसंख्यक

हालत यह है कि राज्य में अल्पसंख्यकों के प्रति जो सरकार का रुख है, वही रुख अल्पसंख्यक आयोग का भी है। मिसाल के तौर पर फारबिसगंज पुलिस फायरिंग के मामले को ही लिया जा सकता है। इस मामले में सरकार और आयोग दोनों का रवैया शर्मनाक तथा अन्यायपूर्ण रहा है। इस घटना पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग तथा मानवाधिकार से जुड़े कई संगठनों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सरकार के सामने कई सवाल खड़े किए। इन संस्थानों की टीम ने वहां का दौरा किया और पीड़ितों को न्याय दिलाने तथा अपराधियों को सज़ा दिलाने के लिए अपनी अनुशंसाएं भेजीं, मगर राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने न तो फारबिसगंज का दौरा किया और न इस घटना के पीड़ितों को न्याय दिलाने तथा अपराधियों को सज़ा दिलाने की कोशिश ही की। हाल यह हुआ कि आज तक प्रभावित परिवारों को मुआवज़ा तक नहीं दिया गया। हद तो तब हो गई, जब आयोग के अध्यक्ष नौशाद अहमद ने इस मामले में एक प्रेस बयान तक नहीं दिया। इतना ही नहीं, जिस प्रकार इस घटना में राज्य सरकार ने ज़िंदादिली से अल्पसंख्यकों को दोषी ठहराने की कोशिश की, वैसा ही रुख नौशाद अहमद का भी रहा है।

आयोग की चुप्पी का मतलब यह कतई नहीं है कि राज्य में अल्पसंख्यकों के साथ नाइंसाफी नहीं हो रही है या नाइंसाफी कम है, बल्कि सच्चाई तो यह है कि इसकी एक लंबी फेहरिस्त बन गई है। शिक्षक बहाली के मसले को ही लें, तो राज्य में 35 हजार शिक्षकों की नियुक्ति के दौरान भी उर्दू वालों के साथ शिक्षा विभाग ख़ासकर इसके मंत्री और प्रधान सचिव द्वारा साज़िश की गई। जहां 12,882 उर्दू शिक्षक नियुक्त हो सकते थे, वहीं सरकार की साज़िश और हकूमारी की नीति की वजह से मात्र 2500 उर्दू शिक्षकों को नौकरी मिल सकी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बावजूद उर्दू शिक्षक पद के हज़ारों उम्मीदवारों को न्याय नहीं मिल सका। इस मामले में भी राज्य अल्पसंख्यक आयोग चुप्पी साधे रहा। इसी प्रकार मदरसा के शिक्षकों के अधिकार हनन और उर्दू, फ़ारसी तथा अरबी के मामले में भी अल्पसंख्यकों का गला घोटने वाली सरकारी नीति का आयोग ने न तो किसी भी स्तर पर विरोध किया और न इस संबंध में सरकार से अपनी ओर से किसी तरह की अनुशंसा ही की।

राज्य में कार्यरत दूसरे आयोग सरकार के अप्रत्यक्ष दबाव के बावजूद सक्रिय हैं और कमोवेश अपनी भूमिका से यह अहसास दिलाने में सक्षम हैं कि उनका अस्तित्व सिर्फ सरकारी कागज़ों तक ही सिमटा हुआ नहीं है। मिसाल के तौर पर राज्य महिला आयोग को ही देखें तो राज्य के किसी भी हिस्से में महिलाओं पर अत्याचार की कोई घटना जैसे ही सामने आती है, तो महिला आयोग न सिर्फ सामने आता है बल्कि कई मौकों पर वह संबंधित क्षेत्रों का दौरा भी करता है और पीड़ित को इंसाफ़ दिलाने के लिए ज़रूरी पहल भी करता है। इसी प्रकार दलित-उत्पीड़न के मामले में महादलित आयोग भी फ़ौरन आगे आता है और सरकार पर आवश्यक कार्रवाई के लिए दबाव बनाता है। राज्य में दलितों और महादलितों के हितों की रक्षा के लिए अलग से थाने भी काम कर रहे हैं, जहां इससे संबंधित उत्पीड़न के मामले दर्ज होते हैं। इसी प्रकार महिलाओं की सुरक्षा तथा उनके हितों का खयाल रखने तथा उन्हें कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए महिला थाने खोले गए हैं। जहां ऐसे थाने नहीं हैं, वहां महिला सेल का गठन किया गया है। मगर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा तथा उनके हितों की रक्षा की बात करें तो कहीं कुछ नहीं है। भले ही उनके जान-माल की हिफाजत की बातें ख़ूब की जाती हैं। आम सवाल यह है कि आखिर इस भेदभावपूर्ण नीति की वजह क्या है और यह कब तक चलती रहेगी? यह सवाल राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय का है। वैसे सियासी गलियारे में इस बाबत हो रही चर्चाओं का निचोड़ तो यही कहना है कि भाजपा के अंदरूनी दबाव के कारण नीतीश अल्पसंख्यकों के मामले में भेदभावपूर्ण और दोहरी नीति अपना रहे हैं और अल्पसंख्यक आयोग उन्हीं की नीति को ख़ामोशी के साथ अमलीजामा पहनाने के प्रयास में लगा है। यह आम राय है कि राज्य सरकार की अल्पसंख्यक विरोधी नीतियों को 100 प्रतिशत कार्यान्वित करने और कराने का श्रेय अगर राज्य के किसी पदधारक को जाता है, तो वह है अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नौशाद अहमद।

राज्य में कार्यरत दूसरे आयोग सरकार के अप्रत्यक्ष दबाव के बावजूद सक्रिय हैं और कमोवेश अपनी भूमिका से यह अहसास दिलाने में सक्षम हैं कि उनका अस्तित्व सिर्फ सरकारी कागज़ों तक ही सिमटा हुआ नहीं है। मिसाल के तौर पर राज्य महिला आयोग को ही देखें तो राज्य के किसी भी हिस्से में महिलाओं पर अत्याचार की कोई घटना जैसे ही सामने आती है, तो महिला आयोग न सिर्फ सामने आता है बल्कि कई मौकों पर वह संबंधित क्षेत्रों का दौरा भी करता है और पीड़ित को इंसाफ़ दिलाने के लिए ज़रूरी पहल भी करता है। इसी प्रकार दलित-उत्पीड़न के मामले में महादलित आयोग भी फ़ौरन आगे आता है और सरकार पर आवश्यक कार्रवाई के लिए दबाव बनाता है। राज्य में दलितों और महादलितों के हितों की रक्षा के लिए अलग से थाने भी काम कर रहे हैं, जहां इससे संबंधित उत्पीड़न के मामले दर्ज होते हैं। इसी प्रकार महिलाओं की सुरक्षा तथा उनके हितों का खयाल रखने तथा उन्हें कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए महिला थाने खोले गए हैं। जहां ऐसे थाने नहीं हैं, वहां महिला सेल का गठन किया गया है। मगर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा तथा उनके हितों की रक्षा की बात करें तो कहीं कुछ नहीं है। भले ही उनके जान-माल की हिफाजत की बातें ख़ूब की जाती हैं। आम सवाल यह है कि आखिर इस भेदभावपूर्ण नीति की वजह क्या है और यह कब तक चलती रहेगी? यह सवाल राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय का है। वैसे सियासी गलियारे में इस बाबत हो रही चर्चाओं का निचोड़ तो यही कहना है कि भाजपा के अंदरूनी दबाव के कारण नीतीश अल्पसंख्यकों के मामले में भेदभावपूर्ण और दोहरी नीति अपना रहे हैं और अल्पसंख्यक आयोग उन्हीं की नीति को ख़ामोशी के साथ अमलीजामा पहनाने के प्रयास में लगा है। यह आम राय है कि राज्य सरकार की अल्पसंख्यक विरोधी नीतियों को 100 प्रतिशत कार्यान्वित करने और कराने का श्रेय अगर राज्य के किसी पदधारक को जाता है, तो वह है अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नौशाद अहमद।

आयोग के अध्यक्ष के रूप में उनकी भूमिका पर गौर करें तो स्थिति निराशाजनक है। अब तक के अपने कार्यकाल में वह अल्पसंख्यकों के हितों के मामले में कभी भी सरकार के सामने मुखर नहीं हो सके। अल्पसंख्यकों के विरोध में जब भी कोई घटना घटती है, तो वह अरबी रुमाल कंधे पर रखकर और टोपी पहन कर मैदान में कूद जाते हैं और फिर सरकार की विफलताओं पर पर्दा डालने का खेल शुरू हो जाता है। इसी खेल ने उन्हें तीसरी बार अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाया है। कुर्सी का यह खेल आगे भी जारी रहेगा, इस की पूरी गारंटी है। ज़ाहिर है, ऐसे में राज्य के अल्पसंख्यकों को अपनी राह खुद निकालने का प्रयास करना होगा।

आज इसी वजह से अल्पसंख्यक आयोग प्रभावहीन हो गया है। अब तो लोगों को इसके अस्तित्व पर ही संदेह होने लगा है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों को आघात पहुंचाया जा रहा है, लेकिन आयोग पीड़ितों को न्याय दिलाना तो दूर वह एक बयान तक नहीं देता। हमेशा डर बना रहता है कि कहीं उनकी कुर्सी खतरे में न पड़ जाए। आज





सपा मुसलमानों को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जाने से परहेज नहीं करती. इसीलिए उसके द्वारा पिछले कुछ महीनों में प्रदेश में हुए दंगों के दाग भी इधर-उधर फैलाने की कोशिश की जा रही है.

उत्तर प्रदेश सपा और मुस्लिम आरक्षण




अनंद कुमार

उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के उत्थान के प्रति समाजवादी पार्टी गंभीर है या फिर वह अपना वोटबैंक बचाए रखने के लिए मुसलमानों की रहनुमा और हितैषी बनने का दिंदोरा पीटती है? मुसलमानों के बीच आजकल यह एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है, जिसका जवाब आम से लेकर खास मुसलमान तक जानना चाहता है. बसपा और कांग्रेस तो समाजवादी पार्टी पर मुसलमानों को बरगलाने का आरोप लगाते ही रहते हैं, जामा मस्जिद के इमाम एवं मुलायम सिंह के करीबी अब्दुला बुखारी जैसे तमाम नेता भी अक्सर सपा सरकार की नीयत पर सवाल खड़े करते रहते हैं. ऐसे में समाजवादी पार्टी की मजबूरी हो गई है कि वह मुसलमानों के हितों के नाम पर कुछ न कुछ हो-हल्ला मचाती रहे, ताकि उसकी मुस्लिमपरस्त राजनीति पर कोई आंच न आए. कभी समाजवादी पार्टी सरकार मुसलमानों को खुश करने के लिए आतंकवादियों पर से मुकदमे हटाने की बात करती है तो दूसरे ही पल वह अदालत में यू टर्न लेते हुए ऐसी किसी संभावना से इंकार कर देती है. मुसलमानों को खुश करने के लिए अब सपा एक और शिगूफा छोड़ने जा रही है. वह जल्द ही मुसलमानों को नौकरियों में आरक्षण के लिए बिगुल बजाने की तैयारी कर रही है. सपा सचचर कमेटी और रंगनाथ मिश्र आयोग की सिफारिशों पर अमल करने के लिए केंद्र पर दबाव बनाकर अपना मकसद पूरा करना चाहती है. प्रोन्नति में आरक्षण के मुद्दे पर तनातनी झेल रही कांग्रेस पर सपा मुस्लिम आरक्षण का बाउंसर मारने की तैयारी में है. वह विधानसभा में मुसलमानों को नौकरियों में आरक्षण का प्रस्ताव पारित करके गेंद केंद्र के पाले में डाल सकती है. गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के समय मुसलमानों को 18 प्रतिशत आरक्षण की वकालत की थी और सत्ता में आने के बाद पार्टी के दिग्गज नेता आजम खां भी इसे लेकर अपनी सरकार पर दबाव बना रहे हैं.

समाजवादी पार्टी यदि अपने घोषणा पत्र में किए गए वायदे के अनुरूप मुसलमानों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार के पास भेज देती है तो केंद्र सरकार के लिए उसकी काट करना आसान नहीं होगा. वैसे सपा के नज़दीकी लोगों का कहना है कि समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम आरक्षण का ख़ाका खींचने की विधिवत कवायद शुरू कर दी है. ऐसा करके वह जहां अपने घोषणापत्र के वायदे को पूरा करने की दिशा में एक कदम उठाएगी, वहीं केंद्र सरकार पर भी पूरी तरह दबाव बनाने में कामयाब होगी. सपा की तरफ से कहा जाएगा कि अगर दलितों के लिए प्रोन्नति में आरक्षण के मसले पर केंद्र सरकार एवं अन्य पार्टियां एकजुट हो सकती हैं तो वह मुसलमानों के आरक्षण से कन्नी कैसे काट सकती है. सपा इस मसले को उठाकर एक तीर से दो निशाने साधने की तैयारी में है. सपा को लगता है कि आरक्षण का मुद्दा उठाकर वह जहां एक तरफ मुसलमानों की लड़ाई तेज़ कर पाएगी, वहीं दलित आरक्षण का मसला इसके आगे खुद-ब-खुद फीका पड़ जाएगा. सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव तो मुस्लिमपरस्ती के लिए जाने ही जाते हैं. पार्टी के महासचिव

प्रो. राम गोपाल यादव ने सचचर कमेटी की सिफारिशों को जिस ढंग से आधार बनाकर अल्पसंख्यकों की हालत दलितों से भी बदतर बताकर निर्णायक लड़ाई का संकेत दिया, उससे साफ हो गया कि प्रोन्नति में आरक्षण का मुद्दा सिर्फ घोषणापत्र तक ही सीमित नहीं रहेगा. सूबे की सपा सरकार गुपचुप तरीके से सभी जिलों में अल्पसंख्यकों की आर्थिक स्थिति का सर्वे करा चुकी है. वह इस बात पर गंभीरता से विचार कर रही है कि मुस्लिमों को राज्य के विकास से कैसे जोड़ा जाए और केंद्र की योजनाओं से उन्हें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभांशित कराया जाए. जिस तरह गरीब मुस्लिमों के लिए केंद्र द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं के पैसों की लूट मची है, इससे भी सपा दुःखी है. यह लूट यूपीए सरकार द्वारा बरती जा रही बेहद लापरवाही और शिथिल कार्यशैली का नतीजा बताई जा रही है. मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में मल्टी सेक्टर डेवलपमेंट कार्यक्रमों के लिए पैसा तो खूब आता है, लेकिन वह ज़रूरतमंदों तक पहुंच रहा है, इस बात का कोई भीतिक सत्यापन नहीं होता. सहारनपुर में आईटीआई बनाने के लिए केंद्र



की तरफ से 250 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे, जिसमें से आधा पैसा खर्च भी हो गया, लेकिन उसका कोई लेखा-जोखा केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है. जबकि आईआईटी निर्माण के नाम पर एक ईंट भी नहीं रखी गई. इस एक मामले को देखते हुए पूरे प्रदेश की स्थिति का अंदाजा सहज लगाया जा सकता है. मल्टी सेक्टर डेवलपमेंट प्लान के तहत अगर राष्ट्रीय स्तर पर जारी की गई धनराशि के आंकड़ों पर नज़र दौड़ा जाए तो पता चलता है कि इस मद में उत्तर प्रदेश को वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए 12761.48 लाख रुपये मिले थे, मगर एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ है.



यह सपा का दोहरा चरित्र ही कहा जाएगा कि एक तरफ तो वह दलितों को प्रोन्नति में आरक्षण का विरोध करती है, वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों

के लिए आरक्षण की वकालत करती है. वह प्रोन्नति में आरक्षण का मुखर विरोध विभिन्न सदन में करती रहती है. राम गोपाल यादव तो यहां तक कहते हैं कि उनकी पार्टी जल्द ही समान विचारधारा वाले दलों से संपर्क करके प्रोन्नति में आरक्षण के विरोध की लड़ाई और तेज़ करेगी. उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ जिस तरह जनक्रोश सड़कों पर फूट रहा है, उससे तमाम राजनीतिक दलों को जनता की नज़्र का एहसास हो जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि कोई भी देश या समाज यह बर्दाश्त नहीं करेगा कि योग्यता पर अयोग्यता शासन करे और सीनियर पर जूनियर हावी हो.

दरअसल, सपा मुसलमानों को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जाने से परहेज नहीं करती. इसीलिए उसके द्वारा पिछले कुछ महीनों में प्रदेश में हुए दंगों के दाग भी इधर-उधर फैलाने की कोशिश की जा रही है. उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर राम गोपाल यादव कहते हैं कि जिन लोगों ने सौहार्द्र बिगाड़ने की कोशिश की, उनके चेहरों से जनता परिचित है. प्रदेश में जो दंगे हुए, वे सब सुनियोजित एवं योजनाबद्ध तरीके से कराए गए. हम दोषियों को चिन्हित कर कार्यवाही कर रहे हैं. जो लोग कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाने की कोशिश करेंगे, वे जेल के अंदर होंगे, चाहे वे पार्टी के हों या फिर कोई और. कहने का तो राम गोपाल यादव जैसे नेता सभी संप्रदायों के लोगों को सुरक्षा प्रदान कराना सरकार की प्राथमिकता बताते हैं, लेकिन हकीकत में उनकी सरकार के इशारे पर कई जगह दंगों की जांच और मुआवज़ा बांटने में उन्हीं लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है, जो दंगे के लिए कुसूरवार थे. समाजवादी पार्टी और सरकार, दोनों ही तुष्टिकरण की राजनीति में लगे हैं. इस बात का नज़र का कुछ माह पूर्व समाजवादी पार्टी की कोलकाता में संपन्न हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी देखने को मिला था, जहां सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने मुसलमानों की दुर्दशा पर चिंता जताई और उसके लिए केंद्र एवं कांग्रेस को लताड़ा. उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार ने उसी परंपरा (तुष्टिकरण की नीति) को आगे बढ़ाते हुए (अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए) कई महत्वपूर्ण कदम उठाकर सभी हदें पार कर दीं. लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखकर मुस्लिम वोटबैंक मजबूत करने में लगी समाजवादी पार्टी सरकार ने यहां तक कह दिया कि अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु भारत सरकार के 15 सूत्रीय कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित कराकर अधिक से अधिक अल्पसंख्यक वर्ग को लाभांशित कराया जाए. हाल की बात है, अखिलेश मंत्रिमंडल के सबसे बुजुर्ग मंत्रियों में से एक स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन ने बयान दिया कि सपा

सरकार स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) पर प्रतिबंध को गैरज़रूरी मानती है. वर्तमान सपा सरकार के कार्यकाल में सिमी की कोई गतिविधि सामने नहीं आई है. इसलिए राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में सिमी पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा रहा है. उनका कहना था कि पिछली सरकारों, खास तौर पर मायावती के शासन में सिमी के नाम पर बहुत से बेगुनाह मुसलमान फंसाए गए. केंद्र ने सिमी पर पाबंदी लगा रखी है और मायावती सरकार ने हमेशा केंद्र को लिखकर भेजा कि उत्तर प्रदेश में सिमी पर प्रतिबंध जारी है. सपा सरकार की ओर से ऐसा नहीं किया जाएगा. समाजवादी पार्टी को इस बात की जरा भी चिंता नहीं है कि अल्पसंख्यकों को लुभाने के चक्कर में वह जनता में विद्वेष बढ़ा रही है. भारतीय जनता पार्टी इस पर कड़ा प्रतिवाद कर रही है. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी कहते हैं कि मुलायम सिंह प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, इसलिए वह सरकारी खजाने को अनाप-शानाप तरीके से उड़ा रहे हैं. सपा की तुष्टिकरण नीति के कारण अलविदा की नमाज के बाद हूडूदंग मचाने वालों को महीनों बाद भी पुलिस पकड़ने से हिचकिचा रही है. जबकि अदालत बार-बार कार्रवाई के आदेश दे रही है. आतंकवादियों पर से मुकदमे उठाने के लिए भी सपा सरकार ने पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन अदालत के हस्तक्षेप के बाद उसे अपना कदम वापस खींचना पड़ा. उन्होंने कहा कि सपा सरकार में हिंदुओं के देवी-देवताओं और महापुरुषों का अपमान किया जा रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं. मुलायम सिंह प्रदेश को हिंदू-मुसलमानों में बांटकर प्रधानमंत्री का ताजा हथियाना चाहते हैं, भाजपा उनकी यह मंशा कभी पूरी नहीं होने देगी. बसपा और समाजवादी पार्टी दोनों को ही प्रदेश की दुर्दशा के लिए ज़िम्मेदार बताते हुए भाजपा नेता ने कहा कि दोनों की जातिवादी राजनीति ने प्रदेश को पीछे की तरफ ढकेल दिया है. ■

मेरी दुनिया... दोषी कौन ?



ब्रेकिंग न्यूज़

'एक नाबालिक लड़के ने एक नाबालिक लड़की का बलात्कार किया'



पति द्वारा पत्नी के साथ जबरन शारीरिक संबंध को भी बलात्कार माना जाता है, लेकिन इसके लिए कानून में बालिंग होने की हालत में कहीं साफ-साफ ज़िक्र नहीं है।

महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं



फ़िरदौस ख़ान

firdaus@chauthiduniya.com

देश में महिलाएं बेहद असुरक्षित हैं। बलात्कार के आदिन सामने आने वाले मामले इस बात के सुबूत हैं। बलात्कारियों में गैर ही नहीं, जन्मदाता पिता और भाई से लेकर चाचा, मामा, दादा, करीबी रिश्तेदार और पड़ोसी तक शामिल हैं। बलात्कारी उन बच्चियों और महिलाओं को ज़्यादातर अपना शिकार बनाते हैं, जो उन्हें कमज़ोर लगती हैं। इनमें कम उम्र की बच्चियां और निम्न वर्ग की महिलाएं शामिल हैं, क्योंकि पुलिस सिर्फ ताकतवरों की सुनती है, जबकि कमज़ोर तबके की महिलाओं को डरा-धमका कर भगा दिया जाता है। बलात्कार के मामले में पीड़ित महिला और उसके परिवार को ख़ासी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। पहले तो पुलिस उन्हें प्रताड़ित करते हुए मामला दर्ज करने से इंकार कर देती है। अगर मीडिया के दबाव की वजह से मामला दर्ज हो भी गया तो पुलिस मामले को लटकाए रखती है। ऐसे मामले आदिन सामने आते रहते हैं। बलात्कार पीड़ित की वक़्त पर चिकित्सीय जांच नहीं कराई जाती, जिससे उसका मामला कमज़ोर पड़ जाता है, क्योंकि घटना के 24 घंटे बाद चिकित्सीय जांच में बलात्कार की पुष्टि हो पाना मुश्किल हो जाता है। अदालत की पूरी कार्रवाई तो सबूतों के आधार पर ही होती है। अदालतों में भी अक्सर पीड़ित महिलाओं को मायूसी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अदालतों में उन्हें बदचलन साबित कर दिया जाता है और लचर कानून व्यवस्था के चलते अपराधी आसानी से बच निकलते हैं। आदिवासी महिला मथुरा का मामला इसकी मिसाल है। 1978 में 16 साल की आदिवासी लड़की मथुरा के साथ महाराष्ट्र के ठाणे पुलिस थाने में सामूहिक बलात्कार किया गया। मामला अदालत पहुंचा और आरोपियों को इस आधार पर छूट मिल गई कि मथुरा शारीरिक संबंध बनाने की आदी थीं। सवाल यह है कि क्या अपनी मर्जी से शारीरिक संबंध बनाने वाली महिला के साथ किसी को भी ज़बरदस्ती करने की छूट दी जा सकती है?

बलात्कार के लगातार बढ़ते मामले चिंता का विषय हैं। देश में 1971 से 2011 तक बलात्कार के मामलों में 837 फ़ीसद इज़ाफ़ा हुआ है, जो सभ्य समाज के माथे पर कलंक है। पिछले साल देश में बलात्कार के 24,003 मामले दर्ज किए गए। इनमें आंध्र प्रदेश में 1442, अरुणाचल प्रदेश में 42, असम में 1700, बिहार में 932, छत्तीसगढ़ में 1014, गोवा में 28, गुजरात में 437, हरियाणा में 725, हिमाचल प्रदेश में 160, जम्मू-कश्मीर में 277, झारखंड में 776, कर्नाटक में 635, केरल में 1094, मध्य प्रदेश में 3396, महाराष्ट्र में 1658, मणिपुर में 53, मेघालय में 124, मिज़ोरम में 74, नागालैंड में 14, उड़ीसा में 1112, पंजाब में 473, राजस्थान में 1757, सिक्किम में 15, तमिलनाडु में 675, त्रिपुरा में 204, उत्तर प्रदेश में 2040, उत्तराखंड में 125, पश्चिम बंगाल में 2356, अंडमान-निकोबार में 13, चंडीगढ़ में 27, दादर एवं नगर हवेली में 04, दमन एवं दीव में 01, दिल्ली में 549 और पुडुचेरी में 07 मामले शामिल हैं। इनमें दस साल से कम उम्र की बच्चियों और 50 साल से ज़्यादा उम्र की महिलाओं का बलात्कार किया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस में दर्ज यौन उत्पीड़न के मामलों में सिर्फ़ दो फ़ीसद लोगों को सज़ा हो पाती है, जबकि 98 फ़ीसद लोग बाइज़लत बरी होने में कामयाब हो जाते हैं। देश की लचर कानून व्यवस्था की वजह से पीड़ितों को बरसों संघर्ष करने के बाद भी इंसाफ़ नहीं मिल पाता। रुचिका गिरहोत्रा कांड को ही लीजिए। हरियाणा पुलिस के पूर्व पुलिस महानिदेशक एवं लॉन टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष शंभू प्रताप सिंह राठौर द्वारा प्रदेश की उभरती टेनिस खिलाड़ी रुचिका गिरहोत्रा से छेड़छाड़ और मौत का मामला करीब दो दशकों से चंडीगढ़ की विशेष सीबीआई अदालत में चलता रहा। पंचकुला में 14 वर्षीय रुचिका के साथ 12 अगस्त, 1990 को शंभू प्रताप सिंह राठौर ने छेड़छाड़ की थी। इसके बाद पुलिस प्रताड़ना से तंग आकर रुचिका ने 28 दिसंबर, 1993 को आत्महत्या कर ली। दो दशकों की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 21 दिसंबर, 2009 को अदालत ने राठौर को छह महीने की कैद और एक हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई।

राजस्थान की भंवरी देवी पिछले 19 बरसों से इंसाफ़ के लिए दर-दर की ठोकें खा रही हैं, लेकिन अभी तक उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। जयपुर के गांव भटेरी की भंवरी देवी के साथ 22 सितंबर, 1992 को गांव के गुर्जरों ने सामूहिक बलात्कार किया था। पांच आरोपियों में से तीन की मौत हो चुकी है। भंवरी देवी का कहना है कि भले ही कितने साल बीत गए हों, लेकिन वह आखिरी सांस तक लड़ती रहेंगी। उनका बड़ा बेटा कई साल पहले अपनी पत्नी के साथ गांव छोड़कर चला गया, क्योंकि उसे लगता था कि मां की वजह से उसकी बदनामी हो रही है। इस देश में ऐसी न जाने कितनी मथुरा और भंवरी देवियां हैं, जिनकी पूरी उम्र इंसाफ़ मिलने के इंतज़ार में बीत गई। यह हमारे समाज की विडंबना है कि यहां बलात्कारी तो सिर उठाकर चलता है, लेकिन पीड़ित को मुंह छुपाकर जीना पड़ता है, क्योंकि समाज बलात्कारी को सज़ा देने की बजाय पीड़ित महिला को कलंकिनी या कुलटा की संज्ञा दे डालता है। ऐसी हालत में पीड़ित महिलाएं आत्महत्या तक कर लेती हैं। बलात्कार पीड़ितों द्वारा खुद को जला लेने या

फांसी लगाकर खुदकुशी करने की घटनाएं भी सुनने को मिलती रहती हैं। पिछले महीने पंजाब के पटियाला ज़िले के गांव बादशाहपुर की सामूहिक बलात्कार की शिकार 18 वर्षीय युवती ने पुलिस द्वारा कार्रवाई न किए जाने से दुखी होकर आत्महत्या कर ली। गांव के दो लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया था। देश में महिला पुलिसकर्मियों और महिला जजों की भी काफी कमी है। इसके वजह से जहां मामले की कार्रवाई महिला पुलिस अधिकारी नहीं कर पातीं, वहीं अदालतों में भी आरोपियों के वकील महिलाओं से ऐसे अश्लील सवाल कर डालते हैं, जिनका जवाब देने में उन्हें असुविधा का सामना करना पड़ता है। बलात्कार की परिभाषा को लेकर भी अक्सर सवाल उठते रहे हैं। 1983 में बलात्कार विरोधी कानून में संशोधन भी हुआ, जिसके तहत बलात्कार में शील भंग की जगह यौन हिंसा शब्द का इस्तेमाल किया गया।

भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के मुताबिक, जब कोई पुरुष किसी महिला के साथ उसकी मर्जी के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाता है, तो उसे बलात्कार कहते हैं। बलात्कार तब माना जाता है, जब कोई पुरुष किसी महिला साथ इन हालात में से किसी एक भी परिस्थिति में संबंध बनाता है, जैसे उसकी इच्छा के विरुद्ध, उसकी सहमति के बिना, उसकी सहमति डरा-धमका कर ली गई हो, उसकी सहमति नकली पति बनकर ली गई हो जबकि वह उसका पति नहीं है, उसकी सहमति तब ली गई हो जब वह दिमागी रूप से कमज़ोर या पागल हो, उसकी सहमति तब ली गई हो जब वह शराब या अन्य नशीले पदार्थ के कारण होश में न हो, अगर वह 16 साल से कम उम्र की है, चाहे उसकी सहमति से हो या बिना सहमति के, 15 साल से कम उम्र की पत्नी के साथ पति द्वारा किया गया सहवास भी बलात्कार है। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 बलात्कार के लिए दंड का प्रावधान बताती है। इसकी उपधारा (1) के अनुसार, जो उपबंधित मामलों के सिवाय बलात्कार करेगा, वह दोषी में से किसी तरह की कैद से, जिसकी अवधि सात साल से कम नहीं होगी, लेकिन जो आजीवन के लिए दस साल के लिए हो सकेगी, सज़ा दी जाएगी और जुर्माना भी होगा। अगर वह

राजस्थान की भंवरी देवी पिछले 19 बरसों से इंसाफ़ के लिए दर-दर की ठोकें खा रही हैं, लेकिन अभी तक उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। जयपुर के गांव भटेरी की भंवरी देवी के साथ 22 सितंबर, 1992 को गांव के गुर्जरों ने सामूहिक बलात्कार किया था। पांच आरोपियों में से तीन की मौत हो चुकी है। भंवरी देवी का कहना है कि भले ही कितने साल बीत गए हों, लेकिन वह आखिरी सांस तक लड़ती रहेंगी।

महिला जिससे बलात्कार किया गया है, उसकी पत्नी है और 12 साल से कम उम्र की नहीं है, तो वह दोषी में से किसी तरह की कैद से, जिसकी अवधि दो साल तक हो सकेगी या जुर्माना या दोनों सज़ाएं दी जाएंगी। पर्याप्त और विशेष कारणों से जो फ़ैसले किए जाएंगे, उनमें सात साल से कम अवधि की कैद की सज़ा दी जा सकेगी। बलात्कार मामला, जिसमें अपराध साबित करने की ज़िम्मेदारी दोषी पर हो, न कि पीड़ित महिला पर यानी वह मामला, जिसमें दोषी व्यक्ति को अपने नियुक्त होने का सुबूत देना हो। उपधारा (2) के तहत बताया गया है कि जो कोई पुलिस अधिकारी होते हुए उस पुलिस थाने की सीमाओं के भीतर जिसमें वह नियुक्त है, बलात्कार करेगा या किसी थाने के परिसर में, चाहे उस पुलिस थाने में, जिसमें वह नियुक्त है, स्थित है या नहीं, बलात्कार करेगा या अपनी अभिरक्षा या अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में किसी महिला से बलात्कार करेगा या लोक सेवक होते हुए, अपनी शासकीय स्थिति का फ़ायदा उठाकर किसी ऐसी महिला से, जो ऐसे लोक सेवक के रूप में उसकी अभिरक्षा या उसके अधीनस्थ किसी लोक सेवक की अभिरक्षा में है, बलात्कार करेगा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा उसके अधीनस्थित किसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान या महिलाओं या बालकों की किसी संस्था के प्रबंधन में या कर्मचारी होते हुए अपनी शासकीय स्थिति का फ़ायदा उठाकर किसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह स्थान या संस्था के किसी निवासी से बलात्कार करेगा या किसी अस्पताल के प्रबंधन में या कर्मचारी होते हुए अपनी शासकीय स्थिति का लाभ उठाकर उस अस्पताल में किसी महिला से बलात्कार करेगा या किसी महिला से, यह जानते हुए कि वह गर्भवती है, बलात्कार करेगा या किसी महिला से, जो 12 साल से कम उम्र की है, बलात्कार करेगा या सामूहिक बलात्कार करेगा, उसे सख्त कैद, जिसकी अवधि दस साल से कम नहीं होगी, लेकिन जो आजीवन हो सकेगी, की सज़ा दी जाएगी और जुर्माना भी किया जाएगा। लेकिन अदालत ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों से, जो फ़ैसले में शामिल किए जाएंगे, दोषी में से किसी तरह की कैद, जिसकी अवधि दस साल से कम हो सकेगी, की सज़ा दे सकेगी।

भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (क) के तहत अलग रहने

समाज का शर्मनाक रवैया

अफ़सोस की बात यह भी है कि बलात्कार के दिल दहला देने वाले मामलों को लेकर मीडिया समेत समाज के अन्य तबकों का रवैया भी बेहद शर्मसार कर देने वाला रहता है। मीडिया में बलात्कार की घटनाओं को मिर्च-मसाला लगाकर परोसा जाता है। साफ-सुथरे शब्दों में सूचना देने की बजाय वहशी दरिंदों ने अपनी हवस की प्यास बुझाई जैसे बेहूदा वाक्यों का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जाता है। इतना ही नहीं, कहीं रैप गायक हनी सिंह में हूं बलात्कारी जैसे अश्लील गाने गा रहे हैं, तो कहीं एक ट्रिंक का नाम ही बलात्कार रख दिया गया है। मुंबई के बांद्रा इलाके में स्थित एक बार के मालिक का बेहूदा तर्क है कि ट्रिंक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इसका नाम बलात्कार रखा गया है।

के दौरान किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ सहवास करने पर दो साल तक की कैद और जुर्माने की सज़ा का प्रावधान है। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (ख) के तहत लोक सेवक द्वारा अपनी अभिरक्षा में किसी महिला के साथ सहवास करने पर पांच साल तक की कैद और जुर्माने की सज़ा दी जाएगी। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (ग) के अनुसार, जेल, प्रतिप्रेषण गृह आदि के अधीक्षक द्वारा सहवास की हालत में पांच साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (घ) के अनुसार, अस्पताल के प्रबंधक या कर्मचारी वर्ग आदि के किसी सदस्य द्वारा उस अस्पताल में किसी महिला के साथ सहवास करने पर पांच साल तक की कैद और जुर्माने की सज़ा दी जाएगी। भारतीय दंड संहिता की धारा 377 प्रकृति विरुद्ध अपराध के बारे में है, जो यह बताती है कि जो कोई किसी पुरुष, महिला या जीव वस्तु के साथ प्रकृति के विरुद्ध स्वेच्छया इंद्रिय-भोग करेगा, उसे उग्रकैद और जुर्माने की सज़ा दी जाएगी। अन्य यौन अपराधों से संबंधित कानून भी हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति किसी महिला की मर्यादा को भंग करने के लिए उस पर हमला या ज़बरदस्ती करता है, तो उसे दो साल की कैद या जुर्माना या दोनों सज़ाएं होंगी। अपहरण के संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 363 (क) है। इसके तहत किसी नाबालिग लड़के, जिसकी उम्र 16 साल से कम है या नाबालिग लड़की जिसकी उम्र 18 साल से कम है, को उसके संरक्षक की अनुमति के बिना कहीं ले जाना अपहरण का अपराध है और इसके लिए अपराधी को सात साल की कैद और जुर्माना हो सकता है। अगर कोई बहला-फुसला कर भी बच्चों को ले जाए तो कहने को तो बच्चा अपनी मर्जी से गया, लेकिन कानून की नज़र में वह अपराध होगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 509, 294 के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति किसी महिला की मर्यादा का अपमान करने की नीयत से किसी शब्द का उच्चारण करता है या कोई ध्वनि निकालता है या कोई इशारा करता है या किसी वस्तु का प्रदर्शन करता है, तो उसे एक साल की कैद या जुर्माना या दोनों सज़ाएं होंगी। अगर कोई व्यक्ति दूसरों को परेशान करते हुए सार्वजनिक स्थान पर या उसके आसपास कोई अश्लील हरकत करता है या अश्लील गाने गाता, पढ़ता या बोलता है, तो उसे तीन महीने कैद या जुर्माना या दोनों सज़ाएं होंगी। महिला अशिक्षित रूप (प्रतिश्रेष्ठ) अधिनियम 1986 के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति विज्ञापनों, प्रकाशनों, लेखों, तस्वीरों, आकृतियों द्वारा या किसी अन्य तरीके से महिला का अभद्र रूप या प्रदर्शन करता है, तो उसे दो से सात साल की कैद और जुर्माने की सज़ा होगी।

पति द्वारा पत्नी के साथ जबरन शारीरिक संबंध को भी बलात्कार माना जाता है, लेकिन इसके लिए कानून में बालिंग होने की हालत में कहीं साफ-साफ़ ज़िक्र नहीं है। कानून विवाहित महिलाओं के साथ पतियों द्वारा किए गए बलात्कार को अपराध नहीं मानता है। इससे यही लगता है कि महिलाएं अपने पतियों की शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करने वाली गुलाम हैं और विवाह पुरुषों को अपनी पत्नियों के साथ बलात्कार करने का लाइसेंस है। इस मामले में सिर्फ़ दो तरह की महिलाएं कानून से सुरक्षा पा सकती हैं। एक वे, जिनकी उम्र 15 साल से कम है और दूसरी वे, जो अपने पतियों से अलग रह रही हैं। हालांकि सरकार इस संदर्भ में एक विधेयक लाने पर विचार कर रही है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफ़ारिशों के बाद कानून मंत्रालय ने प्रस्तावित कानून का एक ड्राफ्ट तैयार किया है। इसमें आईपीसी, सीआरपीसी 1973 और साक्ष्य कानून 1872 के कुछ खंडों में संशोधन कर उन्हें दुष्कृत्य की नई परिभाषा के अनुसार बदला जा रहा है। इस प्रस्तावित बिल के बाद वैवाहिक बलात्कार को एक अपराध माना जाएगा और पत्नी की शिकायत के बाद पति को तीन साल कैद की सज़ा दी जा सकेगी। 1970 में पहली बार अमेरिका में वैवाहिक बलात्कार पर बहस शुरू हुई थी। इसके सकारात्मक नतीजे सामने आए और आज अमेरिका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जैसे कई देशों में वैवाहिक बलात्कार को अपराध माना जाता है। फ़िलहाल भारत में इस मुद्दे पर अभी बहस जारी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, हर सातवीं महिला कभी न कभी पति द्वारा बलात्कार की शिकार होती है।

अफ़सोस की बात यह भी है कि कानून में प्राकृतिक यौनाचार को बलात्कार माना जाता है, जबकि किसी तरह के अप्राकृतिक यौनाचार को बलात्कार से मुक्त रखा गया है। ऐसी हालत में जो लोग किसी वस्तु के ज़रिये महिलाओं का यौन उत्पीड़न करते हैं, वह साफ़ बच निकलते हैं। इसलिए ऐसे कानून बनाए जाने की ज़रूरत है, जिनसे आरोपी बचने न पाए। जब तक ऐसे सख्त कानून नहीं बनते और उन्हें ईमानदारी से लागू नहीं किया जाता, तब तक महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। ■





संसदीय विशेषाधिकार का पेंच

इस बार हम बात करेंगे संसदीय विशेषाधिकार के बारे में. कैसे और कब फंसता है संसदीय विशेषाधिकार का पेंच. सबसे पहले एक उदाहरण से इस मामले को समझने की कोशिश करते हैं. अमेरिका से एटमी डील के दौरान यूपीए सरकार को जब सदन में विश्वास मत हासिल करना था, उसके कुछ घंटे पहले सदन में भारत के संसदीय इतिहास की सबसे शर्मनाक घटना हुई. भाजपा के तीन सांसदों ने सदन में नोटों की गड़बड़ा लहराते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर यह आरोप लगाया कि ये नोट उन्हें सरकार के पक्ष में विश्वास मत के दौरान वोट देने के लिए घूस के रूप में मिले हैं, जिसे एक मीडिया चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन के दौरान अपने कैमरे में कैद कर लिया था और उसे लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चटर्जी को सौंप दिया था. बाद में कुछ गैर सरकारी संगठनों और लोगों ने जब सूचना के अधिकार के तहत आवेदन करके वीडियो टेप सार्वजनिक करने की मांग की, तो लोकसभा ने उन टेप को सार्वजनिक करने से मना कर दिया. लोकसभा ने बताया कि वीडियो टेप अभी संसदीय समिति के पास हैं और जांच की प्रक्रिया चल रही है. जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक इस सूचना के दिए जाने से धारा 8 (1)(सी) का उल्लंघन होता है. इस धारा में बताया गया है कि ऐसी सूचना जिसके सार्वजनिक किए जाने से संसद या किसी राज्य के विधानमंडल के विशेषाधिकार का हनन होता है, उसे सूचना के अधिकार के तहत दिए जाने से रोका जा सकता है. ऐसा ही एक मामला और है, जिसमें वर्तमान केंद्रीय सूचना



आयुक्त शैलेश गांधी ने महाराष्ट्र के सामान्य प्रशासनिक विभाग से मुख्यमंत्री राहुत कोष में मुंबई ट्रेन धमाकों के बाद प्राप्त अनुदानों के खर्चों का ब्योरा मांगा था. सूचना यह कहकर देने से खारिज कर दी गई कि मुख्यमंत्री राहुत कोष एक निजी ट्रस्ट है और सूचना कानून के दायरे में नहीं आता, जबकि शैलेश का मानना था कि राहुत कोष एक पब्लिक बॉडी है और आयकर छूट का लाभ उठाती है. मुख्यमंत्री जनता का सेवक होता है, इसलिए इस सूचना के दिए जाने से विधानमंडल के विशेषाधिकारों का हनन नहीं होता है.

एक मासिक पत्रिका से जुड़े रमेश तिवारी ने उत्तर प्रदेश के स्पीकर और स्टेट असेंबली के सचिव के पास एक आवेदन किया था. आवेदन के माध्यम से यह जानना चाहा था कि क्या कोई लेजिसलेटर अपने आप से कोई सरकारी ठेका ले सकता है और यदि ऐसा ठेका लिया गया है, तो क्या ऐसे सदस्य की असेंबली से सदस्यता रद्द की जा सकती है?

असेंबली से रमेश को जब कोई जवाब नहीं मिला, तो मामले को वह उत्तर प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त के समक्ष ले गए. आयोग के तत्कालीन मुख्य सूचना आयुक्त एमए खान ने स्पीकर और सचिव को सूचना के अधिकार कानून के तहत नोटिस जारी कर दिया. नोटिस पाते ही सबसे पहले तो रमेश का आवेदन खारिज कर दिया गया और उसके बाद असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास किया गया, जिसके माध्यम से सूचना आयोग को चेतावनी दी गई कि आयोग का इस मामले में कोई लेना-देना नहीं है और इस तरह की सूचना मांगे जाने से और आयोग द्वारा नोटिस भेजे जाने से विधानमंडल के विशेषाधिकार का हनन होता है. आयोग को आगे से ऐसे मामलों में सावधान रहने की चेतावनी दी गई.

राहुल विभूषण ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और

तीन सांसदों के बीच हुए पत्र व्यवहार की प्रतिलिपि मांगी थी. दरअसल एक पेट्रोल पंप को अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने के कारण बंद कर दिया गया था. इस पेट्रोल पंप को दोबारा खुलवाने के लिए तीन सांसदों ने पेट्रोलियम मंत्री को पत्र लिखा था. राहुल ने इस पत्र के जवाब की प्रतिलिपि मांगी थी, जिसे यह कहकर देने से मना कर दिया गया कि इसे दिए जाने से संसद के विशेषाधिकारों का हनन होता है. आयोग में सुनवाई के दौरान सूचना आयुक्त ने माना कि सांसद द्वारा लिखे गए पत्र का संसद या संसदीय कार्यालय से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है और इस सूचना के सार्वजनिक किए जाने से संसद के किसी विशेषाधिकार का कोई हनन नहीं होता है. आयुक्त ने मांगी गई सूचना को 15 दिनों के भीतर आवेदक को सौंपे जाने का आदेश दिया. कुल मिलाकर देखें तो ज्यादातर मामलों में लोक सूचना अधिकारी संसदीय विशेषाधिकार की आड़ में सूचना देने से मना कर देते हैं, जबकि वास्तव में वह मामला संसदीय विशेषाधिकार से जुड़ा नहीं होता है.

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

यदि आपने सूचना कानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार कानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है:

चौथी दुनिया

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (बीएमयूड नगर)
उत्तर प्रदेश, पिन-201301
ई-मेल: rti@chauthiduniya.com

आयोग के तत्कालीन मुख्य सूचना आयुक्त एमए खान ने स्पीकर और सचिव को सूचना के अधिकार कानून के तहत नोटिस जारी कर दिया. नोटिस पाते ही सबसे पहले तो रमेश का आवेदन खारिज कर दिया गया और उसके बाद असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास किया गया, जिसके माध्यम से सूचना आयोग को चेतावनी दी गई कि आयोग का इस मामले में कोई लेना-देना नहीं है और इस तरह की सूचना मांगे जाने से और आयोग द्वारा नोटिस भेजे जाने से विधानमंडल के विशेषाधिकार का हनन होता है.

ज़रा हट के

घर का काम करेगा रोबोट



अगर आप बैठे देखते रहें और आपका काम कोई दूसरा कर दे तो कैसा रहेगा. अब वह दिन दूर नहीं जब बुजुर्ग और बीमार लोगों को अपने कामों के लिए किसी पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं होगी. वैज्ञानिक एक ऐसा रोबोट बनाने में जुटे हैं, जो इंसान के रोजमर्रा के कामों में मदद कर सकेगा. इस रोबोट में कृत्रिम मांसपेशियां लगाई जाएंगी, ताकि वह आसानी से चल फिर सके. यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरीख के आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस लैब के इंजीनियरों के मुताबिक 1.2 मीटर लंबा यह रोबोट बच्चे की तरह दिखेगा. इसे रोबाय नाम दिया है. रोबोट में लगाई जाने वाली कृत्रिम शिराओं को नौ महीने में तैयार कर लिया जाएगा. रोबोट के हाथों को बनाने का काम पहले ही शुरू हो चुका है. इसकी त्वचा को नरम रखा जाएगा, ताकि छूने में सहज महसूस हो. इसका अनावरण मार्च में ज्यूरीख में रोबोट ऑन टूर नामक कार्यक्रम में किया जाएगा.

डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, शोधकर्ताओं ने उम्मीद जताई है कि रोबाय सर्विस रोबोट का ब्यू प्रिंट बनेगा. सर्विस रोबोट वह मशीन होती है जो कुछ हद तक मनुष्य के कामों को स्वतंत्रतापूर्वक करने में सक्षम होती है. शोधकर्ताओं ने कहा कि सर्विस रोबोट लोगों के साथ रहने की जगह को साझा करते हैं इसलिए इनका पर्यावरण के अनुकूल और सुरक्षित होना अत्यंत महत्वपूर्ण है.

शर्त का खामियाजा

आज के समय में लोग किसी के आगे झुकने को तैयार नहीं है. अपने को बदनाम होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते हैं. उन्हें चाहे इसके लिए मरना ही क्यों न पड़े जैसे कि शर्त जीतने के लिए कुछ लोग किसी भी हद से गुजरने से गुरेज़ नहीं करते हैं, चाहे उन्हें इसका खामियाजा ही क्यों न भुगतना पड़े. ट्यूनिशिया के एक आदमी पर शर्त जीतने का ऐसा जुनून चढ़ा कि उसे अस्पताल पहुंचना पड़ा. शर्त तो वह जीत गया, लेकिन असहनीय दर्द के चलते वह जीवन की बाज़ी हार गया. यहां के दो दोस्तों के बीच अडे खाने की शर्त लगी. इसके अनुसार एक ने दूसरे को 28 अडे खाने पर रकम देने की बात कही. ताव में आकर दूसरे युवक ने एक के बाद एक करके सभी 28 अडे खा लिए. लेकिन यह क्या? थोड़ी ही देर में उसे शर्त महंगी पड़ गई, जब अंडों के सेवन से व्यक्तित्व के पेट में दर्द शुरू हो गया. दर्द इतना बढ़ गया कि उसे शीघ्र ही अस्पताल पहुंचाया गया. जहां डॉक्टरों की काफ़ी कोशिशों के बाद भी उसे बचाया न जा सका.



कोमा में जाना महंगा पड़ा



कि सी व्यक्ति में अचानक से बड़ा बदलाव देखना बड़ा ही अचंभित करने वाली बात होती है. जैसे किसी हादसे के चलते कोई अगर अपनी जुबान यानी मातृभाषा बोलना भूल अपरिचित भाषा बोलने लगे तो इसे अचंभा ही कहा जाएगा. न्यूयॉर्क के 81 वर्षीय एक व्यक्ति एक हादसे में कोमा में चले गए. तीन हफ्ते बाद जब उन्हें होश आया तो घरवालों के खुशी का ठिकाना न रहा. लोग उनसे बातचीत को उतावले थे, लेकिन यह क्या एक बार फिर उनकी खुशियों पर तुषारापात होता दिखा. पूर्व में फरटिदार अंग्रेजी बोलने और समझने वाला यह व्यक्ति घरवालों की अंग्रेजी समझ ही नहीं पा रहा था. बदले में वह व्यक्ति जो जुबान बोल रहा था, कुछ लोगों ने उसकी पहचान वेल्स भाषा के रूप में की. हेरान-परेशान परिजनों ने डॉक्टर से शिकायत की. डॉक्टर ने इसे एक ख़ास मेडिकल डिसऑर्डर बताते हुए उसे अंग्रेजी सिखाने की सलाह दी. लिहाज़ा परिवार वालों ने उस बुजुर्ग को अंग्रेजी सिखाना शुरू किया. सीखने के अगले दो दिन में ही एक बार फिर परिजनों को हेरान होना पड़ा. अब वह व्यक्ति फरटिदार अंग्रेजी बोल और समझ रहा था जबकि वेल्स भूल चुका था.

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

राशिफल



आचार्य चंद्रशेखर



मेप

21 मार्च से 20 अप्रैल

इस सप्ताह आप अपने व्यापार को नया रूप देने की चेष्टा करेंगे. नौकरीपेशा लोगों की ख्याति अपने कार्यालय में बढ़ेगी. इस सप्ताह कृषि और उद्योग दोनों वर्ग अच्छा करेंगे. परिवार में किसी मांगलिक कार्य में शरीक होने का समय रहेगा. दंपत्य जीवन में तनाव की स्थिति न आने दें. विद्यार्थी अपनी प्रतिभा का अछा प्रदर्शन करेंगे.



वृष

21 अप्रैल से 20 मई

इस सप्ताह आप अपने कार्यस्थल पर तनाव और प्रतियोगिता का अनुभव करेंगे. व्यापारी अपने व्यापार में फायदे लेने में सफल होंगे. नौकरीपेशा लोग अपने आशियाने बनाने पर ध्यान देंगे. पैसे के लेन-देन से संबंधित तनाव बढ़ेगा. पारिवारिक दायित्व भी बढ़ेगा. विद्यार्थी भी अच्छी तरह से अध्ययन में लगे होंगे.



मिथुन

21 मई से 20 जून

आप अपने क्रोध को इस सप्ताह नियंत्रण में रखें. नौकरीपेशा और व्यापारी दोनों प्रगति की राह पर होंगे. किसी भी संपत्ति की खरीद-बिक्री से संबंधित दस्तावेज़ को जांच-पड़ख कर कोई निर्णय लें. दंपत्य जीवन और संतान सुख अच्छा रहेगा. विद्यार्थी पढ़ाई के प्रति अपनी लगन बढ़ाएं. अचानक किसी यात्रा का योग बनेगा.



कर्क

21 जून से 20 जुलाई

इस सप्ताह आपको मिश्रित फल प्राप्त होगा और आप उत्साहित रहेंगे. व्यवसायी अगर किसी कानूनी मामले में उलझे हैं, तो उन्हें इससे निजात मिलेगी. किसी पैतृक धन से संबंधित कोई अच्छी खबर मिलेगी. पारिवारिक मामलों में आप सुख का अनुभव करेंगे. विद्यार्थी अपनी उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत रहेंगे और सफल होंगे.



सिंह

21 जुलाई से 20 अगस्त

इस सप्ताह आप नए-नए कार्यों को लेकर खुश रहेंगे. व्यापारी वर्ग और नौकरीपेशा दोनों वर्ग आमतौर पर खुश रहेंगे. आपके विरोधी और प्रतिद्वंद्वी आपसे हार मानेंगे. सावधान रहें कोई लेन-देन से संबंधित किसी धोखे का शिकार न हों. स्वास्थ्य आमतौर पर ठीक रहेगा. किसी के बहकावे में आकर कोई निर्णय न लें.



कन्या

21 अगस्त से 20 सितंबर

इस सप्ताह आपके संघर्ष में कमी होगी और आप आगे के लिए अग्रसर रहेंगे. व्यर्थ के खर्च पर लगाम लगाए. किसी स्थायी संपत्ति के क्रय से संबंधित बात होगी और आप उसमें सफल रहेंगे. पारिवारिक रूप से आप उत्साह में रहेंगे और सामूहिक कार्यक्रम की योजना भी बनेगी. संतान के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी.



तुला

21 सितंबर से 20 अक्टूबर

इस सप्ताह आपका परिश्रम बढ़ेगा. आपके व्यवसाय में बदलाव का समय रहेगा और प्रदर्शन भी अच्छा रहेगा. किसी पुरानी संपत्ति के क्रय-विक्रय से आगे की योजना बनेगी. सामाजिक क्षेत्र में भी प्रसिद्धि बढ़ेगी. विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. स्वास्थ्य में हल्का उतार-चढ़ाव महसूस करेंगे. पैसे के लेन-देन से बचें.



वृश्चिक

21 अक्टूबर से 20 नवंबर

इस सप्ताह कई समस्याओं से निजात मिलेगी और आप उत्साहित रहेंगे. आर्थिक दृष्टिकोण से मिलानुला फल वाला समय रहेगा. पारिवारिक सुख भी बढ़ेगा. मित्र-बंधु और परिवारीजनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को उन्नति से संबंधित समाचार मिलेगा. तेज़ मसाले वाला खाना खाने से बचें, अन्यथा आपके स्वास्थ्य पर कुप्रभाव बनेगा.



धनु

21 नवंबर से 20 दिसंबर

इस सप्ताह आपके परिश्रम के अनुपात में सामान्य फल प्राप्त होगा. पारिवारिक तौर पर नई परेशानी दिख सकती है. नौकरीपेशा और व्यापारी दोनों वर्ग आर्थिक रूप से अच्छा करेंगे. सामाजिक रूप से व्यर्थ के खर्च से बचें. धार्मिक कार्यों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी. साझेदारी में व्यापार करने वाले लोग थोड़े तनाव में रहेंगे.



मकर

21 दिसंबर से 20 जनवरी

इस सप्ताह आपके मान-सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. आप वाहन चलाने में सावधानी रखें. स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा परेशानी वाला समय रहेगा. संपत्ति का खरीद अच्छी तरह से सोच कर करें. पारिवारिक तौर पर थोड़ा उतार-चढ़ाव महसूस करेंगे. नौकरीपेशा लोग इस सप्ताह प्रशंसा के हकदार रहेंगे.



कुंभ

21 जनवरी से 20 फरवरी

इस सप्ताह आप बिना वजह परेशान रहेंगे. पारिवारिक सुख अच्छी तरह से प्राप्त रहेगा और संतान सुख भी सर्वोत्तम रहेगा. आर्थिक दृष्टिकोण से आप अच्छा करेंगे. स्वास्थ्य भी कुल मिलाकर अच्छा रहेगा. विद्यार्थी वर्ग के लिए सफलता पाने का समय रहेगा. केवल इस सप्ताह अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें.



मीन

21 फरवरी से 20 मार्च

इस सप्ताह आप धेरू-बातों में ज्यादा ध्यान देंगे और कुछ अनुसुलझी समस्याओं को भी आसानी से सुलझा लेने में सफल रहेंगे. इस सप्ताह आपके खर्च भी बढ़े रहेंगे. व्यापारी अपने व्यापार के विस्तार के लिए नए सहयोगी तलाश करेंगे. आपका स्वास्थ्य कुल मिलाकर अच्छा रहेगा. नई परियोजनाओं पर कार्य करने का मौका मिलेगा.

cshekhar_3@hotmail.com



भारत जिस तरह अमेरिका के सहयोगी के रूप में अपनी पहचान बढ़ाता जा रहा है, उससे तो यह होना तय ही था.

पुतिन की भारत यात्रा

इतनी खामोशी क्यों

भारत और रूस के बीच संबंध की शुरुआत उस समय हुई थी, जिस समय रूस सोवियत संघ का हिस्सा था. भारत आज़ाद हुआ और सोवियत संघ ने न केवल भारत के औद्योगीकरण में उसकी सहायता की बल्कि भारत को सामरिक शक्ति बनाने में भी उसने अहम भूमिका निभाई. हालांकि सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी और उसे अपनी आर्थिक स्थिति मज़बूत करने के लिए पश्चिमी देशों के सहयोग की आवश्यकता थी, जिसके कारण उसका झुकाव पश्चिमी देशों की ओर हो गया था, लेकिन उसने फिर से भारत की अहमियत को समझा और भारत तथा रूस के बीच संबंध सुधरने शुरू हो गए. हालांकि दोनों देशों के बीच संबंध अच्छे हैं, लेकिन रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन की हाल में हुई यात्रा के समय जिस प्रकार का रवैया अपनाया गया, उस पर विचार करने की ज़रूरत है.



राजीव कुमार

feedback@chauthiduniya.com

भारत और रूस के बीच 13 वीं शिखर वार्ता के लिए रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन भारत आए. पुतिन का भारत दौरा भले ही 18 घंटे का रहा हो, लेकिन सामरिक और आर्थिक समझौतों के लिहाज़ से इसे काफी महत्वपूर्ण माना जा सकता है. भारतीय प्रधानमंत्री के साथ उनकी मुलाकात में द्विपक्षीय मुद्दों के साथ-साथ वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा हुई. भारतीय प्रधानमंत्री और रूसी राष्ट्रपति ने परमाणु ऊर्जा में सहयोग की विस्तृत समीक्षा की. दोनों नेताओं के बीच रक्षा, अंतरिक्ष, व्यापार एवं निवेश, विज्ञान प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और पर्यटन संबंधी द्विपक्षीय मुद्दों पर वार्ता हुई तथा कई समझौते भी किए गए. भारत ने रूस के साथ 42 नए एसयू-30 एमकेआई लड़ाकू विमान और 71 एमआई-17वी-5 मध्यम भार वाले हेलीकॉप्टरों की खरीद के लिए 22 हजार करोड़ रुपये का सौदा किया. 42 एसयू-30 एमकेआई के उत्पादन के लिए 13 हजार करोड़ रुपये के अनुबंध के तहत रूस भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को तकनीकी किटों की आपूर्ति करेगा तथा इन विमानों को भारत में ही असेंबल किया जाएगा. इस अनुबंध के तहत भारतीय वायुसेना को अगले चार से पांच सालों में एसयू-30 एमकेआई की मौजूदा संख्या 170 से बढ़कर 272 हो जाएगी. इन विमानों को ब्रह्मोस क्रूज़ मिसाइल से भी लैस किया जा सकता है. भारत जिन 71 एमआई-17वी-5 हेलीकॉप्टरों को रूस से खरीदेगा, उसमें 59 हेलीकॉप्टर वायुसेना को दिए जाएंगे तथा 12 हेलीकॉप्टरों को अर्द्धसैनिक बलों के सुपुर्द किया जाएगा. अर्द्धसैनिक बल इन हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल नक्सलवादी तथा अलगाववादी ताकतों के विरुद्ध करेंगे. इन हेलीकॉप्टरों के वायु सेना में शामिल हो जाने के बाद वायुसेना एमआई-17 और एमआई-8 जैसे मौजूदा बेड़ों को हटाएगा. कुडमकुलम परमाणु विजली परियोजना के बारे में भी दोनों देशों के नेताओं के बीच काफी विस्तृत बातचीत हुई. दोनों देशों के बीच हुए समझौते और वैश्विक मुद्दे जैसे आतंकवाद और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन, अफ़ग़ानिस्तान पर आगे की रणनीति आदि के संदर्भ में यह शिखर वार्ता काफी सफल कही जा सकती है.

लेकिन रूस के राष्ट्रपति के आगमन को जिस तरह भारत ने उपेक्षित किया, वह किसी स्तर पर सही नहीं कहा जा सकता है. रूस इस देश का परंपरागत मित्र रहा है. उसने उस समय भारत का साथ दिया है, जब विश्व की अन्य दूसरी शक्तियां इससे अपना मुंह मोड़ रही थीं. रूस ने कश्मीर के मुद्दे पर भारत

भारत और रूस के बीच समझौते

- 1-विदेश कार्यालय परामर्श 2013-14 पर प्रोटोकॉल:** यह प्रोटोकॉल दोनों देशों के विदेश कार्यालयों के बीच घनिष्ठ राजनीतिक परंपरा को जारी रखने के लिए है. यह दोनों देशों के बीच 17 विषयों पर विस्तृत आदान-प्रदान को रेखांकित करता है. द्विवाषिक प्रोटोकॉल तंत्र दो विदेश कार्यालयों के अलग-अलग प्रकोष्ठों के बीच संपर्क तथा समझ को बढ़ावा देता है. इस पर भारत के विदेश मंत्री सलमान खुरशीद और रूस के विदेश मंत्री एस लावारोव ने हस्ताक्षर किए.
- 2- विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार में सहयोग ज्ञापन:** यह शैक्षिक, अनुसंधान एवं विकास तथा औद्योगिक संस्थाओं को शामिल करते हुए संयुक्त कार्यक्रमों या परियोजनाओं के माध्यम से नवाचार तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को गहन करने में सुविधा प्रदान करेगा. इसके लिए एक कार्य समूह का गठन भी किया जाएगा. इस ज्ञापन पर भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जयपाल रेड्डी तथा रूस के शिक्षा एवं विज्ञान मंत्री दमित्री लिवानोव ने हस्ताक्षर किए.
- 3- भारत और रूस के संस्कृति मंत्रालय के बीच 2013-15 के लिए विनिमय कार्यक्रम-** दोनों देश फिल्म, अभिलेखागार, संग्रहालय, साहित्य एवं भाषा तथा पारस्परिक महोत्सवों के माध्यम से सांस्कृतिक संपर्क को बढ़ावा देंगे. इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग के एक महत्वपूर्ण आईकॉन कुल्लू (हिमाचल प्रदेश) में रोचि एस्टेट के विरासत का परीक्षण एवं संवर्द्धन करना भी है. इस पर भारत के संस्कृति मंत्री सीके कटोच और रूस के संस्कृति मंत्री ब्लादिमीर मेदिंस्की ने हस्ताक्षर किए.
- 4- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन-** इसके अनुसार महत्वपूर्ण द्विपक्षीय परियोजनाओं या कंपनियों या निजीकरण के समय 2 बिलियन डॉलर तक निवेश किया जा सकता है. इस पर भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन प्रदीप चौधरी और रूस के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रतिष्ठान के महानिदेशक किरील दमित्री ने हस्ताक्षर किए.
- 5- बीएसएनएल/ एमटीएनएल एवं ग्लोनास के बीच समझौता ज्ञापन-** इस मार्गदर्शी परियोजना की सफलता भविष्य में आपदा प्रबंधन, लंबी दूरी के संचार और दूर संचार के क्षेत्र में व्यापक अंतर्दृष्टि प्रदान करेगी. इस पर बीएसएनएल के सीएमडी आरके उपाध्याय और एमटीएनएल के सीएमडी एके गर्ग तथा रूस के ओएस. एनआईएस के महानिदेशक अलेक्जेंडर चुब ने हस्ताक्षर किए.
- 6- एमआई-17वी-5 हेलीकॉप्टर के लिए संविदा-** 2010 में 59 एमआई-17वी-5 हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए समझौता हुआ था, जिसे बढ़ाकर 71 कर दिया गया था. यह संविदा इसी आर्डर के संबंध में है.
- 7- एसयू-30 एमकेआई एयरक्राफ्ट के लाइसेंस उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी किट संबंधी संविदा-** वार्षिक शिखर बैठक 2011 में 42 अतिरिक्त एसयू-30 एमकेआई एयरक्राफ्ट यूनिटों के लाइसेंस विनिर्माण पर हस्ताक्षर हुआ था. यह संविदा इसी के संदर्भ में है.
- 8- टीसीएस और एनआईएस के बीच सामरिक सहयोग करार-** यह सॉफ्टवेयर विकास, प्रणाली एकीकरण, उत्पादन इंजीनियरिंग, पेशेवर सेवाओं में टीसीएस (टाटा कंसलटेंसी सर्विस, भारत) और एनआईएस (नेशनल इंफोमेशन सिस्टम, रूस) के बीच साझेदारी संबंध स्थापित करेगा. सहयोग के क्षेत्र सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं, दूर संचार प्रणालियां, विनिर्माण आदि होंगे.
- 9-एसपीएल तथा ओएओ के बीच संयुक्त उद्यम करार-** इस संयुक्त उद्यम का उद्देश्य भारत में रूसी मॉडलों के हेलीकॉप्टर के विनिर्माण के लिए आधुनिक औद्योगिक सुविधा स्थापित करना है. यह संयुक्त उद्यम रूस से भारत के लिए उच्च प्रौद्योगिकी के रोटरक्राफ्ट उत्पादों के लिए एक औद्योगिक आधार के रूप में काम करेगा तथा घरेलू अंतरिक्ष उद्योग के विकास में योगदान देगा.
- 10- एल्डर फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड मुंबई तथा रूसी फार्मा इको के बीच करार-** यह संयुक्त उद्यम दोनों देशों में दवाओं के निर्माण, विपणन एवं वितरण में शामिल होगा. इसके अंतर्गत करीब 100 मिलियन डॉलर का निवेश किया जाएगा. इस संयुक्त उद्यम में 51 प्रतिशत शेयर फार्मा इको के होंगे तथा 49 प्रतिशत शेयर एल्डर फार्मा का होगा. ■

का हमेशा सहयोग किया है और जब भी यह मुद्दा सुरक्षा परिषद में आया, तो रूस ने इस पर वीटो किया है, जबकि कश्मीर के मुद्दे पर अमेरिका और कई पश्चिमी देशों का रवैया हमेशा दुलमुल रहा है. जब अमेरिका पाकिस्तान का सहयोग कर रहा था, तब भी सोवियत संघ जिसमें प्रधान रूस ही था, भारत के साथ खड़ा था. चीन और भारत के बीच युद्ध के समय भी सोवियत संघ भारत के साथ ही था. रूस ने हमेशा भारत की सहायता की है. सुरक्षा परिषद में स्थाई सदस्यता का मुद्दा हो या फिर परमाणु ऊर्जा के लिए यूरेनियम खरीदने का या फिर विश्व बैंक या आईएमएफ में प्रतिनिधित्व बढ़ाने का मामला, रूस ने भारत का समर्थन किया है. लेकिन भारत की स्थिति यह है कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति को भारत आना होता है तो पूरे देश में इसकी चर्चा होती है. भारत सरकार की तैयारियों से ही पता चल जाता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति भारत आने वाला है. मीडिया में उसकी चर्चा ज़ोर-शोर से होती है. लेकिन जब रूस के राष्ट्रपति भारत आए तो लोगों को उनकी खबर खोजनी पड़ती है. इसे मीडिया में भी अपेक्षानुकूल तवज्जो नहीं दी गई. यह बात अलग है कि उस समय भारत में दूसरी तरह का माहौल था, युवा अपनी सुरक्षा और न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद रूस के राष्ट्रपति को तो उचित सम्मान मिलना ही चाहिए था. भारत को रूस की आवश्यकता है. चीन की नीतियों और हकतों के विरुद्ध भारत को रूस से ही समर्थन मिल सकता है, क्योंकि रूस का भी चीन के साथ सीमा विवाद है. हालांकि पाकिस्तान के साथ इधर कुछ समय से रूस की नज़दीकियां बढ़ रही हैं, लेकिन यह भारत की रूस संबंधी नीतियों का ही नतीजा है.

भारत जिस तरह अमेरिका के सहयोगी के रूप में अपनी पहचान बढ़ाता जा रहा है, उससे तो यह होना तय ही था. लेकिन अब भी जब पाकिस्तानी आतंकवाद की बात होती है, तो रूस भारत का स्पष्ट समर्थन करता है, जबकि अमेरिका की नीति दुलमुल होती है. अगर रूस के साथ हमारा केवल व्यवसायिक जुड़ाव रहा तो फिर रूस का भी हमारे साथ ऐसा ही जुड़ाव रहेगा. लेकिन अगर भारत उसे अपना सच्चा मित्र बनाना चाहता है, तो इसके लिए दोनों देशों की जनता के बीच भावनात्मक जुड़ाव स्थापित करना होगा. एक-दूसरे के नेताओं के आगमन पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना होगा, ताकि उनके नेताओं को भी लगे कि भारत उसका वास्तविक मित्र है. पुतिन के संबंध में भारत सरकार की उपेक्षा का दोहराव नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे दोनों देशों के बीच संबंधों में प्रगाढ़ता का अभाव हो जाएगा और इसका खामियाज़ा भारत को भुगतना पड़ेगा. ■



देश का पहला इंटरनेट टीवी

हर दिन 50,000 से ज़्यादा दर्शक

▶ दो टूक-संतोष भारतीय के साथ ब्लैक एंड व्हाइट रोज़ाना 1 बजे पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ़ इंडिया

▶ स्पेशल रिपोर्ट नायाब हैं हम-उर्दू के मशहूर शायरों, गीतकारों के साथ मुलाकात साई की महिमा



एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301 www.chauthiduniya.tv



यहां की स्थानीय आबादी की परेशानियां और मुद्दे आज भी यथावत हैं. इन सबके बीच यहां की युवा पीढ़ी विशेषकर लड़कियां शिक्षा के माध्यम से अपने सपनों को साकार करने में लगी हुई हैं.

साई बाबा और सोमदेव स्वामी

अब एक अन्य संशयालु व्यक्ति की कथा सुनिए, जो बाबा की परीक्षा लेने आया था. काका साहेब दीक्षित के भ्राता श्री भाई जी नागपुर में रहते थे. जब वह 1906 में हिमालय गए थे, तब उनका गंगोत्री घाटी के नीचे हरिद्वार के समीप उत्तर काशी में एक सोमदेव स्वामी से परिचय हो गया. दोनों ने एक-दूसरे के पते लिख लिए. पांच वर्ष पश्चात सोमदेव स्वामी नागपुर आए और भाई जी के यहां ठहरे. वहां श्री साई बाबा की कीर्ति सुनकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और उनके दर्शन करने की तीव्र उत्कंठा भी. मनमाड और कोपरगांव निकल जाने पर वह एक तांगे में बैठकर शिरडी के लिए चल पड़े. शिरडी के समीप पहुंचने पर उन्होंने दूर से ही मस्जिद पर दो ध्वज लहराते हुए देखे. सामान्यतः देखने में आता है कि भिन्न-भिन्न संतों के बर्ताव, रहन-सहन और बाह्य सामग्रियों में काफी अंतर होता है, परंतु केवल इसी से उनकी योग्यता का आकलन कर लेना बड़ी भूल है. सोमदेव स्वामी कुछ भिन्न प्रकृति के थे. उन्होंने जैसे ही ध्वजों को लहराते देखा तो वह सोचने लगे कि बाबा संत होकर इन ध्वजों में इतनी दिलचस्पी क्यों रखते हैं, क्या इससे उनका संतपन प्रकट होता है? ऐसा प्रतीत होता है कि यह संत अपना कीर्ति का इच्छुक है. अतएव उन्होंने शिरडी जाने का विचार त्याग कर अपने सहयात्रियों से कहा, मैं तो वापस लौटना चाहता हूं. तब वे लोग कहने लगे कि फिर व्यर्थ ही इतनी दूर क्यों आए, अभी केवल ध्वज देखकर तुम इतने उद्विग्न हो उठे हो, तो जब शिरडी में रथ, पालकी, घोड़ा और अन्य सामग्रियां देखोगे, तब तुम्हारी क्या दशा होगी? स्वामी को अब और भी अधिक घबराहट होने लगी. उन्होंने कहा, मैंने अनेक साधु-संतों के दर्शन किए हैं, परंतु यह संत कोई बिरला ही है, जो इस प्रकार ऐश्वर्य की वस्तुएं संग्रह कर रहा है. ऐसे साधु के दर्शन न करना ही उत्तम है, ऐसा कहकर वह वापस लौटने लगे. तीर्थयात्रियों ने प्रतिरोध करते हुए उन्हें आगे बढ़ने की सलाह दी और समझाया, तुम यह संकुचित मनोवृत्ति छोड़ दो. मस्जिद में जो साधु हैं, वह इन ध्वजाओं एवं अन्य सामग्रियों या अपनी कीर्ति का स्वप्न में भी सोच-विचार नहीं करते. यह सब तो उनके भवतगण प्रेम एवं भक्ति के कारण उन्हें भेट करते हैं. अंत में वह शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करने के लिए तैयार हो गए.

मस्जिद के मंडप में पहुंचते ही वह द्विजित हो गए. उनकी आंखों से अभुधारा बहने लगी, कंठ रुंध गया, सभी दृष्टि विचार हवा हो गए और उन्हें अपने गुरु के शब्दों की स्मृति हो आई कि मन जहां अति प्रसन्न और आकर्षित हो जाए, उसी स्थान को अपना विश्राम धाम समझना. वह बाबा की चरण रज में लोटना चाहते थे, परंतु जैसे ही वह उनके समीप गए, बाबा क्रोधित होकर जोर-जोर से चिल्लाकर कहने लगे, हमारा सामान हमारे साथ रहने दो, तुम अपने घर वापस लौट जाओ. ऐसे संत के दर्शन ही क्यों करने चाहिए, जो मस्जिद पर ध्वजाएं लगाकर रखे. क्या ये संतपन के लक्षण हैं. एक क्षण भी यहां न रुको.

अब उन्हें अनुभव हो गया कि बाबा ने उनके हृदय की बात जान ली है और वे कितने सर्वज्ञ हैं. उन्हें अपनी योग्यता पर हंसी आने लगी और पता चल गया कि बाबा कितने निर्विकार एवं पवित्र हैं. उन्होंने देखा कि वह किसी को हृदय से लगाते हैं, किसी को हाथ से स्पर्श करते हैं, किसी को सांत्वना देकर प्रेम दृष्टि से निहारते हैं और किसी को उदी प्रसाद देकर सुख-संतोष पहुंचा रहे हैं, तो फिर मेरे साथ ऐसा रूखा बर्ताव क्यों? अधिक विचार करने पर वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इसकी वजह उनके आंतरिक विचार थे और उन्हें अपना आचरण सुधारना चाहिए. बाबा का क्रोध तो उनके लिए वरदान है. अब यह कहना व्यर्थ होगा कि वह बाबा की शरण में आ गए और उनके परम भवत बन गए.

नाना साहेब चांदोरकर

एक बार नाना साहेब म्हालसापति और अन्य लोगों के साथ मस्जिद में बैठे हुए थे, तभी बीजापुर से एक सभ्रांत यवन परिवार श्री साई बाबा के दर्शनार्थ आया. कुलवतियों की लाज रक्षण भावना देखकर नाना साहेब वहां से निकल जाना चाहते थे, परंतु बाबा ने उन्हें रोक लिया. स्त्रियां आगे बढ़ीं और उन्होंने बाबा के दर्शन किए. उनमें से एक महिला ने अपने मुंह से घृष्ट हटाकर बाबा के चरणों में प्रणाम करके फिर घृष्ट डाल लिया. नाना साहेब उसके सौंदर्य से आकर्षित हो गए और एक बार पुनः वह छटा देखने के लिए लालायित हो उठे. नाना के मन की व्यथा जानकर उन लोगों के चले जाने के पश्चात बाबा उनसे कहने लगे, नाना, क्यों व्यर्थ में मोहित हो रहे हो, इंद्रियों को अपना कार्य करने दो. हमें उनके कार्य में बाधक नहीं बनना चाहिए. भगवान ने यह सुंदर सृष्टि निर्माण की है. अतः हमारा कर्तव्य है कि हम उसके सौंदर्य की सराहना करें. यह मन तो क्रमशः ही स्थिर होता है और जब सामने का द्वार खुला है, तब हमें पिछले द्वार से क्यों प्रविष्ट होना चाहिए. चित्त शुद्ध होते ही किसी कष्ट का अनुभव नहीं होता. यदि हमारे मन में कुविचार नहीं है तो हमें किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं. नेत्रों को अपना कार्य करने दो. इसके लिए तुम्हें लज्जित और विचलित नहीं होना चाहिए. उस समय शामा भी वही थे. उनकी समझ में नहीं आया कि आखिर बाबा के कहने का तात्पर्य क्या है. इसलिए लौटते समय इस विषय में उन्होंने नाना से पूछा. उस परम सुंदरी के सौंदर्य को देखकर जिस प्रकार नाना मोहित हुए और यह जानकर बाबा ने उन्हें जो उपदेश दिए, उसे उन्होंने शामा को इस प्रकार समझाया, हमारा मन स्वभावतः चंचल है, पर हमें उसे लंपट नहीं होने देना चाहिए. इंद्रियां चाहे भले ही चंचल हो जाएं, परंतु हमें अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण रखकर उसे अशांत नहीं होने देना चाहिए. इंद्रियां तो अपने विषय पदार्थों के लिए सदैव चेष्टा करती हैं, पर हमें उनके वशीभूत होकर उनके इच्छित पदार्थों के समीप नहीं जाना चाहिए. क्रमशः प्रयत्न करते रहने से इस चंचलता को नियंत्रित किया जा सकता है.



यद्यपि उस पर पूर्ण नियंत्रण संभव नहीं है तो भी हमें उसके वशीभूत नहीं होना चाहिए. प्रसंगानुसार हमें उसका वास्तविक रूप से उचित गति अवरोध करना चाहिए. सौंदर्य तो आंखें सेंकने का विषय है, इसलिए हमें निडर होकर सुंदर पदार्थों की ओर देखना चाहिए. यदि हमारे अंदर किसी प्रकार के कुविचार न आए तो इसमें लज्जा और भय की आवश्यकता ही क्या है. यदि मन को निरिच्छ बनाकर ईश्वर के सौंदर्य को निहारो तो इंद्रियां सहज और स्वाभाविक रूप से अपने वश में आ जाएंगी और विषयानंद लेते समय भी तुम्हें ईश्वर की स्मृति बनी रहेगी. यदि उसे इंद्रियों के पीछे दौड़ने दोगे और उनमें लिप्त रहोगे तो तुम्हें जन्म-मृत्यु के पाश से कदापि छुटकारा नहीं मिलेगा. विषय पदार्थ इंद्रियों को सदा पथभ्रष्ट करने वाले होते हैं. अतएव हमें विवेक को सारथी बनाकर मन की लगाम अपने हाथ में लेकर इंद्रिय रूपी घोड़ों को विषय पदार्थों की ओर जाने से रोक लेना चाहिए. ऐसा विवेक रूपी सारथी हमें विष्णु-पद की प्राप्ति करा देगा, जो हमारा यथार्थ में परम सत्य धाम है और जहां गया हुआ प्राणी फिर कभी यहां नहीं लौटता. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

करगिल में महिला शिक्षा

अजरा खातून

feedback@chauthiduniya.com

हमारे देश में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, जो अपने ऐतिहासिक महत्व के कारण पहचाने जाते हैं. कोई अपनी नैसर्गिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, तो किसी की पहचान उसकी समृद्ध विरासत होती है. करगिल भी देश का एक ऐसा क्षेत्र है, जिसने इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज कराया है. वर्ष 1999 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर करगिल सुर्खियों में आया. इससे पूर्व करगिल के बारे में देश और दुनिया को बहुत कम जानकारी थी. यह क्षेत्र जम्मू-कश्मीर का एक अंग है. पश्चिमी लद्दाख के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों तक फैला यह जिला उत्तर-पूर्वी कश्मीर में है. श्रीनगर से 204 किलोमीटर और लेह से 234 किलोमीटर की दूरी पर बसा करगिल 14,036 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है. महान हिमालयाई पर्वतीय शृंखलाओं के निचले हिस्से में स्थित होने के कारण यह देश के अन्य भागों से अधिक ठंडा है. यहां साल के आधे से अधिक महीने बर्फबारी होती रहती है. ऐसे समय में यहां पहुंचना अत्यंत कठिन हो जाता है. दूसरे शब्दों में कहा जाए तो छह महीने तक यह समूचा क्षेत्र देश और दुनिया से कट जाता है. इस दौरान यहां पहुंचने का एकमात्र साधन वायुसेना का हेलीकॉप्टर होता है.

अपनी विरल प्राकृतिक वनस्पतियों के लिए प्रसिद्ध इस इलाके में 8000 से 18000 फीट की ऊंचाइयों तक पहाड़ हैं. यहां की आबादी दूर-दराज स्थित देहातों में रहती है और जीवन निर्वाह के लिए कृषि अथवा पशुपालन पर निर्भर करती है. करगिल युद्ध में पाकिस्तान को शिकस्त देने में भारतीय फ़ौजियों के साथ-साथ स्थानीय निवासियों ने भी सशक्त भूमिका निभाई थी. बावजूद इसके यहां की स्थानीय आबादी की परेशानियां और मुद्दे आज भी यथावत हैं. इन सबके बीच यहां की युवा पीढ़ी विशेषकर लड़कियां शिक्षा के माध्यम से अपने सपनों को साकार करने में लगी हुई हैं. हालांकि लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने की ऐसी आजादी पहले नहीं थी. हज़ारों वर्षों से दुनिया के अन्य क्षेत्रों की तरह करगिल में भी यह धारणा आम थी कि लड़की को शिक्षा दिलाना समय और धन को बर्बाद करने से अधिक कुछ नहीं है. उन्हें घर के भीतर कैद रहने और घरेलू कामकाज सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था, जबकि लड़कों को शिक्षा की पूरी आजादी थी. 1981 की जनगणना के अनुसार, कुल साक्षरता दर 18.86 प्रतिशत थी, जिनमें महिला शिक्षा का मात्र तीन प्रतिशत योगदान था. ज़िले में एकमात्र गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के अलावा शायद ही लड़कियों का कोई स्कूल था. करगिल के ट्रांस, चिकितान, ताधुसुरु और जन्सकार जैसे ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में लड़कियों का दाखिला नगण्य था.

नब्बे की दहाई के शुरुआती हिस्से में राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहल करते हुए एक योजना शुरू की. इस संदर्भ में लड़कियों की शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए शिक्षकों के एक समूह को यह

ज़िम्मेदारी सौंपी गई कि वह दूर-दराज स्थित देहात में जाकर शिक्षा की महत्ता के प्रति लोगों को जागरूक करें. इसके लिए सबसे पहले प्राथमिक स्तर पर 6 से 11 वर्ष की आयु वाले बालक-बालिकाओं को स्कूल तक लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया. केवल महिलाओं को शिक्षा देकर ही समाज को इसके पिछड़ेपन और रसातल से निकाला जा सकता है. महिलाओं की शिक्षा में ही एक स्वस्थ और सामाजिक रूप से सतर्क समाज की कुंजी निहित है. इन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सरकार ने पहली से दसवीं कक्षा तक स्कूल जाने वाली प्रत्येक छात्रा को

छात्रवृत्ति देने के अतिरिक्त निःशुल्क यूनिफ़ॉर्म, पुस्तकें और अन्य सहायता देना प्रारंभ किया. राज्य शिक्षा विभाग ने इस योजना को शत-प्रतिशत कामयाब बनाने के लिए महिलाओं के एक ऐसे समूह का भी सहारा लिया, जो सामाजिक रूप से जागरूक और शैक्षणिक रूप से उन्नत थी. शिक्षा विभाग की मुख्य पदाधिकारी कनीज़ फ़ातिमा ने लड़कियों के शिक्षा के प्रति लोगों की सोच को बदलने में बड़ी भूमिका अदा की है.

लड़कियों को शिक्षा दिलाने वाले मिशन की प्रगति के बारे में उन्होंने बताया कि प्रथागत परंपराओं से जकड़े



करगिल की लड़कियां शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्षेत्र से बाहर निकल रही हैं. वह न केवल पढ़ाई, बल्कि स्कूल, ज़िला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले संगीत, चित्रकारी, परिचर्चा और खेलकूद में भी अपनी असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही हैं. इस दिशा में राज्य सरकार की पहल भी सराहनीय है. क्षेत्र में महिला शिक्षकों की संख्या को बढ़ाने के लिए टीचर ट्रेनिंग प्रोग्रामों में महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है. परिणामस्वरूप छात्राओं के दाखिले की बढ़ोतरी और ड्रॉप आउट की दर में ज़मीन आसमान का अंतर आ चुका है.

अभिभावकों को पहले समझाने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, परंतु धीरे-धीरे मेहनत रंग लाई और आज कई दूर-दराज क्षेत्रों में भी लड़कियों का स्कूली दाखिला 100 प्रतिशत तक पहुंच गया है. वह कहती हैं कि सालकोट, संकू, चिकतन, ट्रास और बटालिक जैसे दूर देहातों में लड़कियों को स्कूल जाते देख हमें सबसे ज्यादा खुशी होती है. करगिल में लड़कियों के सामाजिक उत्थान के लिए किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए जम्मू और कश्मीर सरकार ने उनका सम्मान किया है. इसके अतिरिक्त उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठितियों और सम्मेलनों में करगिल की महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया है.

आज करगिल की लड़कियां शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्षेत्र से बाहर निकल रही हैं. वह न केवल पढ़ाई, बल्कि स्कूल, ज़िला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले संगीत, चित्रकारी, परिचर्चा और खेलकूद में भी अपनी असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही हैं. इस दिशा में राज्य सरकार की पहल भी सराहनीय है. क्षेत्र में महिला शिक्षकों की संख्या को बढ़ाने के लिए टीचर ट्रेनिंग प्रोग्रामों में महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है. परिणामस्वरूप छात्राओं के दाखिले की बढ़ोतरी और ड्रॉप आउट की दर में ज़मीन आसमान का अंतर आ चुका है. केंद्र सरकार द्वारा चलाए जाने वाले केंद्रीय विद्यालयों और जवाहर नवोदय विद्यालय तथा इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूलों जैसे कई स्कूल आज यहां उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं. यदि आंकड़ों की बात की जाए तो वर्तमान में यहां 358 सरकारी स्कूल, 236 प्राथमिक स्कूल, 47 मिडल, 12 सीनियर बेसिक, 33 हाई, एक लोअर हाई और 3 उच्च माध्यमिक स्कूलों का नेटवर्क फैल चुका है. शिक्षा के प्रति यह लोगों के नज़रिये में बदलाव का ही संकेत है कि आज माता-पिता अपनी बेटियों को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए दिल्ली, चंडीगढ़, हैदराबाद और पुणे भेजने में संकोच नहीं कर रहे हैं.

इतनी बड़ी सफलता के बावजूद शिक्षा में सामान्य कमी, स्कूलिंग के सीमित साधन, संचार की कमी, समुदाय की कम भागीदारी, अभिभावकों की कम आमदनी, अच्छे शिक्षकों की कमी, सख्त मौसम और स्कूल एवं घर के बीच सामान्य से अधिक दूरी आदि कई समस्याएं हैं, जो लड़कियों की शिक्षा को लोकप्रिय बनाने में सबसे बड़ी बाधा बन रही हैं. करगिल ज़िले के प्रतिनिधि कई संगठितियों में भाग ले रहे हैं, बेहतर होगा यदि वे इन संगठितियों में ज़िले को विशेष ध्यान दें, जो लद्दाख क्षेत्र का सबसे कठिन और दुर्गम इलाका है. आवश्यकता है कि ज़िले के स्थानीय संपन्न लोगों और स्थानीय लोगों के हितों के लिए कार्य करने वाले विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बीच समन्वय को मज़बूत किया जाए. यदि इन संगठनों का मकसद लद्दाख का अध्ययन और संस्कृति का ज्ञान और इसका उद्धार करना है, तो करगिल ज़िले को नज़रअंदाज़ नहीं किया जाना चाहिए. (चरखा) ■



नैयर न केवल अपनी लेखनी से बल्कि विपक्षी दलों के नेताओं के साथ घुल मिलकर इंदिरा को पद से हटाने का उपक्रम कर रहे थे।




अनंत विजय

सब कुछ बचा रहेगा

अभिज्ञानशकुन्तलम का एक श्लोक है—यद्यत्साधु न चित्रे स्यात् क्रियते तत्तदर्थम्। तथापि तस्या लावण्यं रेखाया किंचिदन्वितम्। यह बात उस प्रसंग में कही गई है जब राजा दुष्यंत ने शकुन्तला की एक पेंटिंग बनाई थी। उस पेंटिंग को देखने के बाद दुष्यंत ने कहा था कि अगर चित्र में जो जैसा है वैसा नहीं बन पाता है, तो उसे अलग तरीके का बना दिया जाता है। भारत के प्रख्यात पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता कुलदीप नैयर की आत्मकथा 'बिंबांड द लाइंस पढ़ते हुए मुझे अभिज्ञानशकुन्तलम का यह श्लोक याद आ रहा था। अपनी इस पूरी आत्मकथा में कुलदीप नैयर ने तत्तदर्थम् का भरपूर इस्तेमाल किया है, यानी अगर किताब से तथ्य न बन पाए तो उसे अन्यथा कर दो, अपने हिसाब से उसकी व्याख्या कर दो। कुलदीप नैयर ने अपनी आत्मकथा बिंबांड द लाइंस में इस तरीके का जमकर इस्तेमाल किया है। कहीं वह तथ्यों को बेहतर तरीके से पेश कर बेहतर बनाने देते हैं, तो कहीं जो तथ्य बनती हैं उससे कुछ और ही निकल कर सामने आ जाता है। जैसे अपनी आत्मकथा में विश्वनाथ प्रताप सिंह के प्रधानमंत्री बनने के दौरान और बाद की परिस्थितियों की जो तस्वीर वह पेश करते हैं, वह इसी तत्तदर्थम् का नमूना है, जिस पर आगे विस्तार से चर्चा है।

कुलदीप नैयर भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारों में से एक हैं। इसके पहले भी उनकी कई किताबें प्रकाशित होकर ख़ासी चर्चित हो चुकी हैं। दो हजार छह में जब उनकी किताब स्कूप छपकर आई थी तो उससे यह अंदाज़ा हो गया था कि कुलदीप नैयर अपनी आत्मकथा लिख रहे हैं और वह जल्द ही प्रकाशित होने वाली है। कुलदीप नैयर की आत्मकथा के छपकर आने के बाद से उनकी सरकारी पत्रकार की छवि और मज़बूत हो गई है। नैयर ने अपने करियर की शुरुआत एक उर्दू दैनिक से की, लेकिन उनका करियर सरकारी पब्लिसिटी के लिए बनाए गए प्रेस इंफ़ॉर्मेशन ब्यूरो की नौकरी करने के बाद से ही परवान चढ़ा। पहले वह उस वक़्त के गृह मंत्री गोविन्द वल्लभ पंत के सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए, फिर उनको लाल बहादुर शास्त्री के साथ काम करने का मौक़ा मिला। इस दौरान कुलदीप नैयर ने अख़बारों के लिए लिखना जारी रखा था। उन्होंने अपनी आत्मकथा में स्वीकार किया है कि स्वतंत्र न्यूज़ एजेंसी यूनआइ ज़्वान करने के बाद भी वह अनौपचारिक रूप से लाल बहादुर शास्त्री को उनकी छवि मज़बूत करने के बारे में सलाह देते रहते थे। अपनी आत्मकथा के अध्याय—लाल बहादुर शास्त्री एज ए प्राइम मिनिस्टर में पृष्ठ 141 पर उन्होंने स्वयं माना है कि उनकी स्टोरी से मोरारजी देसाई को काफ़ी नुक़सान हुआ। जवाहर लाल नेहरू की मौत के बाद जब पूरा देश शोक में डूबा था, उसी वक़्त कुलदीप नैयर ने यूनआइ की टिकर में एक ख़बर लगाई—पूर्व वित्त मंत्री मिस्टर मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री पद की दौड़ में उतरने वाले पहले शख्स हैं। ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने अपने करीबियों को इस बारे में बता दिया है। यह भी माना जा रहा है कि देसाई चुनाव के पक्ष में अड़े हुए हैं और वह किसी भी कीमत पर रस से बाहर नहीं होंगे। इसी ख़बर में दूसरी लाइन लिखते हैं—वीर पोर्टफ़ोलियो के मंत्री लाल बहादुर शास्त्री भी प्रधानमंत्री पद के दूसरे उम्मीदवार माने जा रहे हैं। हालांकि वह अनिच्छुक बताए जा रहे हैं। शास्त्री के करीबियों के मुताबिक़ वह चुनाव टाल कर आम सहमति के पक्ष में हैं। कुलदीप



समीक्ष्य कृति: बिंबांड द लाइंस, एन ऑटोबायोग्राफी लेखक: कुलदीप नैयर प्रकाशक: रोली बुक्स, नई दिल्ली मूल्य: 595 रुपये

पुलिसवाले उनको गिरफ़्तार करके निकल रहे होते हैं, तो वायरलेस पर मैसेज देते हैं— शेर पिंजरे में आ गया है। उसके बाद जिस तरह से पुलिस का आला अधिकारी उनके पास आता है और उनके लेखन की तारीफ़ों के पुल बांध देता है। कुलदीप नैयर की आत्मकथा को पढ़ते हुए जब वह अपनी तारीफ़ों के पुल बांध रहे होते हैं, तो उन प्रसंगों को पढ़ते हुए हिंदी के

वरिष्ठ कवि विनोद कुमार शुक्ल की एक कविता की कुछ पंक्तियाँ जो कुछ इस तरह से हैं—जाते-जाते कुछ भी नहीं बचेगा जब/तब सब कुछ पीछे बचा रहेगा/और कुछ भी नहीं में/सबकुछ हौना बचा रहेगा, बरबस याद आने लगती हैं। नैयर ने अपनी आत्मकथा में अपनी प्रशंसा के अलावा आज़ाद भारत के कई दिलचस्प प्रसंगों को भी कलमबद्ध किया है। जैसे जब नोबोकोव का मशहूर उपन्यास लोलिता का प्रकाशन हुआ तो लाल बहादुर शास्त्री ने फ़ौरन उसको भारत में प्रतिबंधित करने की वकालत करते हुए उस वक़्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखा। अपनी आदत के मुताबिक़ नेहरू ने अगले ही दिन लाल बहादुर शास्त्री को विस्तार से पत्र लिखकर लोलिता को प्रतिबंधित करने से मना कर दिया। नेहरू ने साथ ही यह दलील भी दी कि डीएच लॉरेंस का लेडी चैटलीज़ लवर भी बाज़ार में मौजूद होना चाहिए। नैयर लिखते हैं कि शास्त्री नैतिकतावादी तो नहीं थे, लेकिन रूढ़िवादी थे। इस प्रसंग में उन्होंने लेनिनग्राद में बैले नृत्य के प्रसंग का उदाहरण देते हुए बताया कि लाल बहादुर शास्त्री कैसे असहज हो गए थे। उन्होंने नृत्य के बीच में जब शास्त्री से पूछा कि कैसा लग रहा है, तो शास्त्री ने जवाब दिया कि पूरे नृत्य के दौरान वह इस वजह से असहज रहे कि नर्तकियों के पांव ऊपर तक खुले थे और वह अपनी पत्नी के साथ बैठे थे।

कुलदीप नैयर की आत्मकथा इस मायने में भी थोड़ी अरम है कि उसमें आज़ाद भारत की राजनीति का इतिहास है, थोड़ा प्रामाणिक लेकिन बहुधा सुनी सुनाई बातों पर आधारित। कुलदीप नैयर स्कूप के लिए जाने जाते रहे हैं, लेकिन उनकी स्कूप कई बार सुनी सुनाई बातों या राजनीतिक गॉसिप का अंग रहे हैं। जैसे संजय गांधी की मौत के बाद एक जगह नैयर लिखते हैं— इंदिरा गांधी ने रुघंटनास्थल का एक बार फिर से दौरा किया और कोई चीज़ ढूँढ़कर अपने पास रख ली। वह क्या चीज़ थी, यह आजतक रहस्य बना हुआ है। क्या वह संजय के स्विच खाते का नंबर था? संजय गांधी की मौत के बाद इस तरह की अफ़वाहें काफ़ी फैली थीं, तो गॉसिप को स्कूप की चारणी में पेश करने का काम भी नैयर ने अपनी पत्रकारिता में किया और उसको अपनी आत्मकथा में भी तमगो की तरह से प्रस्तुत किया। जैसे एक जगह वह लिखते हैं कि जब जस्टिस सिन्हा ने इंदिरा गांधी के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया था तो उनके फ़ैसले के बारे में जानने के लिए उनकी धार्मिक प्रवृत्तियों को देखते हुए साधु-संन्यासियों का इस्तेमाल किया गया। कोई प्रमाण नहीं, लेकिन कोई खंडन करने वाला भी नहीं। उसी तरह से जब जस्टिस सिन्हा ने अपने फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील करने के लिए इंदिरा गांधी को पंद्रह दिनों का समय दिया था। नैयर ने लिखा—एक स्थानीय वफ़ादार वकील वीएन खरे ने खुद ही अपनी तरफ़ से अपील दाखिल की (पृष्ठ 224)। यहां तो ठीक था, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक लाइन लिख दी कि खरे बाद में भारत के मुख्य न्यायाधीश बने। इस तरह से उन्होंने वीएन खरे की वफ़ादारी को उनकी योग्यता बता दिया। संदेह पैदा कर गए।

कुलदीप नैयर भारत के सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले पत्रकारों में से एक हैं। उनकी योग्यता और उनकी साख़ पर कोई सवाल भी नहीं है। उनकी लगभग चार सौ पन्नों की यह किताब आज़ाद भारत का राजनीतिक इतिहास हो सकती थी, लेकिन नैयर साहब ने कई जगह सुनी सुनाई बातों और घटनाओं का वर्णन किया है, जिसको भविष्य के इतिहासकार मार्गेंगे या नहीं, इसमें संदेह है। जैसे उन्होंने अपने स्टेटमेंट से हटाए जाने का जो प्रसंग लिखा है और उसी प्रसंग को लेकर जो अन्य संपादकों की किताबें हैं वे अलग-अलग तथ्य बयान करती हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कुलदीप नैयर की इस किताब को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाए। इसमें कई घटनाओं का प्रामाणिक और फस्ट हैंड चित्रण है। अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि बिंबांड द लाइंस उनकी आत्मकथा है, लेकिन इसमें वह बिंबांड और बिटवीन द लाइंस के बीच उलझ कर रह गए हैं जिससे उनकी पत्रकार की छवि पुष्ट होने की बजाय दरकती है। ■

(लेखक IBNT से जुड़े हैं)
anant.ibn@gmail.com

मेवात के जोहड़ और गंवई दस्तूर

फिरदौस खान | firdaus@chauthiduniya.com

भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसलिए प्राचीनकाल से ही यहां तालाबों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तालाब उपयोगी होने के साथ-साथ भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग भी रहे हैं। भारत में जल देवता को पूज्य मानते हुए तालाबों की पूजा-अर्चना की जाती रही है। आज भी गांव-देहात में मंगल कार्यों के मौकों पर महिलाएं इकट्ठी होकर तालाबों को पूजती हैं। पुराने ज़माने में जहां लोग प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग करते हुए उनका संरक्षण भी किया करते थे, वहीं आज के दौर में इन्होंने प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग करके विनाशकारी माहौल पैदा किया जा रहा है। प्राकृतिक संसाधनों के अति दोहन की वजह से ही आज जल, जंगल और ज़मीन पर ख़तरे के बादल छाये हुए हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी प्राकृतिक संसाधनों की उपयोगिता को जानते और समझते थे, तभी उन्होंने कहा था कि कुदरत सभी की ज़रूरतों को पूरा कर सकती है, लेकिन एक व्यक्ति का भी लालच पूरा नहीं कर सकती। लेकिन आज व्यक्ति के लालच की वजह से कहीं सूखे, तो कहीं बाढ़ के हालात बन गए हैं।

राजकमल प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक मेवात का जोहड़ में मेवात के जोहड़ों पर रोशनी डाली गई है। इसके साथ ही मेवात में आज़ादी के आंदोलन और विभाजन, मेवात को लेकर महात्मा गांधी के सपने, मेवात में रचनात्मकता को चुनौतियाँ और मेवात के इतिहास के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। हरियाणा के फ़िरौज़पुर ज़िरका, नूंह, पत्तल, सोता, फ़रीदाबाद, गुडगांव, राजस्थान के रामगढ़, किशनगढ़, खैरपल, तिजारा, कुम्हेर, डींग, पहाड़ी और उत्तर प्रदेश के आगरा और मथुरा के यमुना तट के हिस्से को मेवात इलाका कहा जाता है। बक़ौल लेखक राजेन्द्र सिंह, महात्मा गांधी का मेवात में जोहड़ पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा अपने जीते जी मेवात के लिए किए गए समर्पण की दास्तान है। महात्मा गांधी ने मेवात को बचाने-बसाने के लिए 19 दिसंबर, 1947 को सोहना (हरियाणा) और नोगावा

(राजस्थान) के बीच घासेडा गांव में जाकर राजस्थान के अलवर-भरतपुर से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़-मथुरा-आगरा बागपत से आए और हरियाणा के मेवाँ की सभा में जाकर उहाँ यहीं बसे रहने को कहा। जब ये लोग अच्छे से अपनी जगह बसे रहे तो पाकिस्तान एक बहुत से मेव वापस आकर मेवात में बसे। उन्होंने अपनी पुरानी धरती मेवात में वापस जाने की मांग की। बापू के विश्वास से उजड़ता मेवात बच गया। जो उजड़े थे, वे वापस आकर बस गए। यह मेवाँ का मेवात बन गया। भारत की राजधानी ख़ासकर राष्ट्रपति भवन मेवाँ के गांव उजाड़ कर अंग्रेजों ने बनाया था। जिन्हें आज मेव कहते हैं, वे मीणा, राजपूत, गुर्जर, अहीर, त्यागी, जाट थे, जो धर्म परिवर्तन कर मुसलमान बन गए थे। ये अरावली पहाड़ियों की कंदराओं, चोटियों पर छुपकर रहना पसंद करते थे। पहाड़ियों में अपने घर बनाकर रहते थे। झोपड़ी को चारों तरफ से घेरकर पेड़ों के झुरमुट में रहना इन्हें पसंद था। इनका जीवन जंगल, जंगली जानवरों के शिकार पर चलता था। इसलिए अरावली पर्वत शृंखलाएं इनके लिए अनुकूल थीं। मेवाती में इसे काला पहाड़ कहते हैं। इस पहाड़ी क्षेत्र के बहुत से गांव जोहड़ से पानीदार बने हुए थे। जोहड़ ही इनका सबकुछ है।

हमारे पूर्वज जानते थे कि तालाबों से जंगल और ज़मीन का पोषण होता है। भूमि के कटाव एवं नदियों के तल में मिट्टी के जमाव को रोकने में भी तालाब मददगार होते हैं। इसलिए वे वर्षा के जल को उसी स्थान पर रोक लेते थे। उनकी जल के प्रति एक विशेष प्रकार की चेतना और उपयोग करने की समझ थी। इस चेतना के कारण ही गांव के संगठन की सुझबुझ से गांव के सारे पानी को विधिवत उपयोग में लेने के लिए तालाब बनाए जाते थे। इन तालाबों से अकाल के समय भी पानी मिल जाता था। इनके निर्माण, रखरखाव, मरम्मत आदि के कामों से गांव के संगठन को मज़बूत बनाने में मदद मिलती थी। मेवात आज भी तालाबों को खरा मानता है। उन्हें बनाता-संभालता है। उनके घरेलू सभी काम तालाब से पूरे होते हैं, और सभी ग्रामवासी मिलकर मेहनत करके जोहड़ बनाते थे। तालाबों के रखरखाव के लिए गांव के लोग सर्वसम्मति से कुछ नियम भी बनाते थे, जिसे गंवई दस्तूर कहा जाता था। ये दस्तूर गंवई बही में भी लिखे जाते थे या मौखिक परंपरा के जरिये पीढ़ी-दूर-पीढ़ी चलते जाते थे। गांव में आने वाले बाहरी व्यक्ति को भी इन गंवई दस्तूर का पालन करना पड़ता था। अलवर ज़िले के गांवों के गंवई दस्तूर के मुताबिक़, तालाब की आगोर में कोई जूता लेकर प्रवेश नहीं करता था। शौचादि के हाथ अलग से पानी लेकर आगोर के बाहर ही धोए जाते थे। आगोर में किसी गांव सभा की अनुमति के बिना मिट्टी खोदना मना होता था। हर साल जेष्ठ माह में पूरा गांव ही मिलकर आगोर से मिट्टी निकालता था। आगोर से ही नहीं, बल्कि तालाब के जलग्रहण क्षेत्र तक में शौचादि के लिए जाना मना था। किसी प्रकार गंदगी फैलाने वाले को तालाब की सफ़ाई करके प्रायश्चित्त करने का सुझाव दिया जाता था। प्रायश्चित्त के लिए तालाब की पाल पर पेड़ लगाने तथा उसके बड़ा होने तक उसकी देखभाल करने की परंपरा थी। तालाब के जलग्रहण क्षेत्र से मिट्टी कटकर नहीं आए और तालाब में जमा नहीं हो, इसकी व्यवस्था तालाब बनाते समय ही कर दी जाती थी। इससे लंबे समय तक तालाब उथले नहीं हो पाते थे। जब तालाब की मरम्मत करने की ज़रूरत होती थी, पूरा गांव मिल-बैठकर, तय करके इस काम को करता था। तालाब से निकलने वाली मिट्टी खेतों में डालने या कुम्हारों के काम आती थी। तालाब को गांव की सार्वजनिक संपत्ति माना जाता था। गांव के लोग जब किसी दूसरे गांव को जाते थे, तो सबसे पहले वह तालाब को अपने गांव की

संपत्ति में गिनाया करते थे। गांव का जैसा तालाब होता था, वैसा ही उस गांव को माना जाता था। गांव का तालाब अच्छा है तो उस गांव को समृद्ध, संगठित, शक्तिशाली माना जाता था। यह भी कि वह गांव अपने महत्वपूर्ण निर्माण लेने में सक्षम है, यह मान लिया जाता था। यह परंपरा 1860 तक चली। इसके बाद अंग्रेजों ने इन परंपराओं को ख़त्म करने के लिए कई योजनाएं बनाईं। अंग्रेजों की नीतियों ने रंग दिखाना शुरू किया और ग्राम समाज के टूट जाने के कारण तालाबों का निर्माण, रखरखाव और मरम्मत बंद हो गईं। तालाबों के साथ-साथ गांव के संगठन भी बिखरने लगे। इसके बावजूद आज भी मेवात का सामुदायिक संगठन देश के दूसरे हिस्सों से इस मामले में काफ़ी अच्छा है।

बड़े बांध बनाने पर भारत सरकार 2008 तक अरबों-खरबों रुपये खर्च कर चुकी है। इन योजनाओं से दो करोड़ हेक्टेयर ज़मीन सिंचित होने का सरकारी दावा किया गया था, लेकिन हकीकत में आज कितनी ज़मीन की सिंचाई ये योजनाएं कर रही हैं, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। देश में तालाबों की उपेक्षा करने की भूल आज भी की जा रही है। 1950 में देश के कुल सिंचित क्षेत्र की 17 फ़ीसद सिंचाई तालाबों से की जाती थी। तालाबों में पाए गए शिलालेख इसका प्रमाण हैं। पिछले बरसों के भयंकर अकाल ने एक फिर तालाबों की याद दिलाई है। इसलिए गत वर्षों में छोटे-बड़े दस हजार से ज़्यादा तालाब, जोहड़, बांध बनाए गए या उनकी मरम्मत कराई गई है। इन पर तक़रीबन 15 करोड़ रुपये खर्च हुए। मिसाल के

तौर पर गोपालपुर गांव को ही लें, जहां 1986 में सिंचाई और पीने के पानी वाले कुएं सूख गए थे। ज़मीन में कुछ पैदा ही नहीं हो रहा था। तभी इस गांव के तालाबों के निर्माण का काम शुरू किया गया और 1987 के जून तक तीन बड़े तालाब बनाए गए। गांव वाले इन्हें बांध कहते हैं। इनके निर्माण वर्षों में दस हजार रुपये की कीमत का गेहूं दिया गया। जुलाई 1987 में इस इलाके में कुल 13 सेंटीमीटर वर्षा हुई। यह सारी वर्षा एक साथ ही 48 घंटे के अंदर हो चुकी थी। इनके पानी से ज़मीन पुनः सजल हुई और गांव के आसपास के 20 कुओं का जलस्तर बढ़कर ऊपर आ गया। वर्षा का पानी अपने साथ जंगल और पहाड़ियों से पत्ते आदि बहाकर ले आया था, जो तालाबों की तली में बैठ गया। बड़े तालाब खेतों की ज़मीन पर बने हुए थे। इसलिए नवंबर तक तालाबों का पानी तो नीचे की ज़मीन की सिंचाई करने के काम में ले लिया गया और तालाब के पेटे में गेहूं की फ़सल बो दी गई। एक फ़सल में केवल इन तालाबों की ज़मीन से ही तीन सौ किंटल अनाज पैदा हुआ, जिसकी कीमत तक़रीबन पौन लाख होती है। इसके अलावा तालाब में पूरे साल पानी भरा रहा। इसे पशुओं के पीने के काम में लिया गया और तालाब के चारों तरफ़ उगी घास पशुओं के चारे के रूप में इस्तेमाल की गई। इसके साथ ही वातावरण भी हराभरा रहा।

हमारे देश में ऐसी अनगिनत मिसालें मिल जाएंगी, जब लोगों ने खुद पहल करते इस तरह के बेहतरीन कामों को अंजाम दिया है। बहरहाल, यह किताब मेवात के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मुहैया कराती है। चूंकि किताब के लेखक राजेन्द्र सिंह अपने विद्यार्थी जीवन से ही संपूर्ण क्रांति आंदोलन से जुड़े रहे हैं और आजकल गंगा नदी की अवरलता और निर्मलता के लिए संघर्षरत हैं। उन्होंने जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। फ़िलहाल वह भारत सरकार के नदी जोड़ योजना के पर्यावरण विशेषज्ञ समिति एवं योजना आयोग के अंतर मंत्रालय समूह और राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के सदस्य हैं। इस किताब में उनके कार्यों की झलक भी साफ़ दिखाई पड़ती है। यह कहना ग़लत न होगा कि यह किताब जल संरक्षण के प्रति पाठकों को जागरूक करती नज़र आती है। ■



समीक्ष्य कृति: मेवात का जोहड़ लेखक: राजेन्द्र सिंह प्रकाशक: राजकमल प्रकाशन कीमत: 400 रुपये

काव्य दुनिया

लिखती हूँ एक ख़त, तुम्हारे नाम

आज सुबह मैंने देखा है इक़ ख़ाब तुम हो उदास, आंखें हैं पुरआब दुआएं करते हो मेरे लिए, देते हो मुझे श्रद्धांजलि मेरी अम्मा को समझाते हुए, मेरे अब्बा को देते तसल्ली

मैं सिर्फ़ उनकी बेटी नहीं, इस कायनात की बेटी हूँ मैं सिर्फ़ एक सिमटी हुई आवाज़ नहीं तुम्हारे सीनों में परवाज़ करती हुई गूँगी हूँ मैं मेरे हावों पे तबस्सुम अब ढूढ़ना न तुम सुख़ आंखों की बहतश में कहीं हो गई हूँ गुम नाजुक कलाइयों को, मुस्कुराहटों को, शोरिबियों को बहतश के सौदाग़रों ने ख़ून से रंग दिया है

निकली थी घर से बे-सर-ओ-सामान था ख़ाब एक सीने में कि मुझे भी कुछ बनना है अपने अब्बा का सहारा, अपनी अम्मा का दर्द दूर करना है हूँ मैं सीता की, इब्बा की, मरियम की बेटी हूँ मैं तुम्हारे नैनो में बसी, मोती-सी बेटी

बस कुछ दिन और ज़ख्म हैं, कुछ और रातें सगरम हूँ कुछ मेहनत और... अम्मा! ज़िन्दगी की धूप छंटेंगी, सवरा रात के दामन को चीरता हुआ एक नया कल तेकर आग़ा

उस रात की सर्व ख़ामोशी मेरे आग़ोश में दफ़न है सर्व हूँ जज्बात मेरे, तुम्हारी महफ़िल की नज़र हूँ मेरी आबरू पाश-पाश, मेरे सीने में चुबन है मेरी हिफ़ाज़त न कर सके तुम, बस यही छोटा-सा गिला है रेज़ा-रेज़ा करके पांव तले मेरी इज़्जत को तार-तार करके जनाज़ा उठाए मेरी अस्मत् का पृथ्वी हूँ एक सवाल तुमसे क्या ज़िदा रहने की भी कीमत चुकानी पड़ती है? क्या मेहनत के पसीने की खुशबू भी तुम्हें आबरू-रेज़ी की तरफ़ खींचती है? क्या मेरी आंखों के समंदर में तुम्हें दर्द नहीं दिखता? दिखती नहीं तुम्हें एक शमा, जो आंशियों के मुकाबिल जुए रहती है मेरी पेशानी की सिलबटें क्या तुम्हें अपने गुरूर की चाहटों-सी लगती हैं जिसे तुमने लम्बे भर में उतार फेंका?

मेरा आज़ाद मुक्तक़बिल क्या तुम्हारी मुट्ठी में कैद है? मेरा टिमटिमाता-सा सूरज क्या तुम्हारी आंशियों की ज़द में है? सवाल पृथ्वी हूँ मैं तुमसे

कह दो कि तुम्हारी तरकियां, तुम्हारे उसूल, तुम्हारे कानून सब मेरी सासों से उलझ कर टूट गए हैं? कह दो कि जिस नन्हीं कली को तुम जन्म देते हो उसकी हिफ़ाज़त खुदा पे छोड़ देते हो? कह दो कि तुम्हारे आदाब-ओ-जवाबित मेरे ख़ून के रंग से और नुमाया दिखाई देते हैं

मेरे जिस्म की लाचारी, मेरा चाक़ दामन मेरी ख़ामोशियां, मेरा दर्द, मेरी आहें मेरी चीज़, वो मंज़र, वो वहाशियाना निगाहें सभी तुम्हारी महफ़िलों के चिराग़ों को लूह देते हैं मेरी सिसकती हुई आवाज़ तुम्हारे मैख़ानों में टोते हुए रसव को जिला देती हैं मेरी पुरनम आंखों के प्यालों से तुम्हारी मय में सुरुर् आता है

कह दो कि तुम्हारी तमाम बातें फ़वत् फ़रेब हूँ कह दो कि मेरी दर्द-आमेज़ दास्तां तुम्हें ज़ेब है

-जुहर विन सग़ौर, आईएएस, उत्तर प्रदेश

किताब मिली

पुरतक गॉड पार्टिकल का रहस्य

लेखक विपुल विनोद, नमन विनोद

प्रकाशक हिन्दू पब्लिशिंग बुक्स

मूल्य 100 रुपये

यह पुस्तक वैज्ञानिक चमत्कार ईश्वर के अंश की खोज पर आधारित है।

लेखक और प्रकाशक इस कॉलम के लिए अपनी किताबें हमें भेज सकते हैं।

चौथी दुनिया | एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301
ईमेल: feedback@chauthiduniya.com



सोनी के नए जेड स्मार्टफोन को लेकर बाज़ार में पहले से काफी अफवाहें उड़ रही हैं.

महिंद्रा की वेरिटो सिडान मिनी

महिंद्रा और रेनाल्ट ने मिलकर पहली बार लोगन सिडान कार को पेश किया था, लेकिन उस कार को उतनी खास लोकप्रियता हासिल नहीं हुई थी. बाद में दोनों कंपनियों अलग हो गईं और महिंद्रा ने उसी प्लेटफार्म पर अपनी बेहतरीन कार वेरिटो को पेश किया था. अब कंपनी वेरिटो के कॉम्पैक्ट संस्करण को पेश करने जा रही है.

भा रतीय बाज़ार में एक से बढ़कर एक शानदार एसयूवी वाहनों को पेश करने वाली देश की प्रमुख एसयूवी वाहन निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने हाल ही में कार बाज़ार में अपना क़दम रखा है. कंपनी ने हाल ही में अपनी बेहतरीन सिडान कार वेरिटो को पेश किया था, अब कंपनी वेरिटो मिनी को बाज़ार में उतारने की योजना बना रही है. प्राप्त जानकारी के अनुसार कंपनी मार्च माह में वेरिटो का नया छोटा रूप पेश करेगी.

महिंद्रा और रेनाल्ट ने मिलकर पहली बार लोगन सिडान कार को पेश किया था, लेकिन उस कार को उतनी खास लोकप्रियता हासिल नहीं हुई थी. बाद में दोनों कंपनियों अलग हो गईं और महिंद्रा ने उसी प्लेटफार्म पर अपनी बेहतरीन कार वेरिटो को पेश किया था. अब कंपनी वेरिटो के कॉम्पैक्ट संस्करण को पेश करने जा रही है. जिसका न केवल आकार छोटा होगा, बल्कि उसकी कीमत

भी मौजूदा मॉडल के मुकाबले कम होगी. नई वेरिटो का आकार कम होने के कारण उस पर लगने वाली एक्सआईज ड्यूटी कम होगी, जिससे उसकी कीमत कम होगी. हालांकि कंपनी ने अभी इस कार की कीमत के बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की है लेकिन उम्मीद की जा रही है कि नई वेरिटो की कीमत मौजूदा मॉडल की तुलना में लगभग 50,000 रुपये तक कम होगी.

महिंद्रा के अध्यक्ष और सीईओ पवन गोयनका ने इस नई कार को पेश करने की योजना का खुलासा किया है. महिंद्रा की यह नई कार मारुति सुजुकी की स्विफ्ट डिजायर के कॉम्पैक्ट वर्जन को कड़ी टक्कर दे सकती है. वेरिटो कॉम्पैक्ट महिंद्रा की तरफ से यह दूसरा कॉम्पैक्ट वाहन होगा इसके पूर्व कंपनी ने हाल ही में जायलो का कॉम्पैक्ट वर्जन क्वांटो पेश किया है. कंपनी इस कार के प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रही है, और जल्द ही इस कार को बाज़ार में पेश करेगी. ■



चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

ब्लैकबेरी जेड 10



फु ल टच स्क्रीन फोन ब्लैकबेरी जेड 10 नए साल मतलब वर्ष 2013 में आपके साथ आने को तैयार है. रिम का नया ब्लैकबेरी 10 ऑपरेटिंग सिस्टम फुल टचस्क्रीन फोन ब्लैकबेरी जेड 10 के साथ दुनिया के प्रमुख शहरों में 30 जनवरी को आ रहा है. भारत में भी इसके लांचिंग की संभावना है.

अनवायर्डव्यू और एट इविलिक्स ने ब्लैकबेरी जेड 10 की पहली तस्वीर पोस्ट करते हुए कहा कि रिम अपना पारंपरिक चार अंकों का मॉडल नंबर का उपयोग न कर छोटा और आकर्षक नाम को तरजीह दे रहा है. जेड 10 दो रंगों काले और सफेद में उपलब्ध होगा. ■

एप्पल की नई आईवाच



आ पने आने वाले आईफोन 6 की तो कई कांसेप्ट डिजाइन देखी होंगी, लेकिन क्या आपने एप्पल की आईवाच देखी है जो एप्पल आईफोन में दिए गए आईओएस पर रन करेगी. एप्पल की नई आईवाच साधारण वाच की तरह नहीं होगी. इसके बैक में एक सिम स्लॉट भी दिया गया है जिसकी मदद से यूजर आईवाच में इंटरनेट भी एक्सेस कर सकेगा. साथ ही इसमें एक कैमरा भी दिया गया है जो फोटो कैप्चरिंग के साथ वीडियो रिकार्डिंग भी करता है. ■

सोनी का जेड स्मार्टफोन

अ भी तक मार्केट में 720 पिक्सल सपोर्ट एचडी स्मार्टफोन मौजूद उपलब्ध थे, लेकिन सोनी सीईएस 1080 पिक्सल से लैस सोनी का एक्सपीरिया जेड स्मार्टफोन लांच करने वाला है. सोनी के नए जेड स्मार्टफोन को लेकर बाज़ार में पहले से काफी अफवाहें उड़ रही हैं. अनुमान लगाया जा रहा है सोनी के नए स्मार्टफोन की कीमत 37,850 रुपये के आसपास हो सकती है. ई प्राइज डॉट कॉम वेबसाइट ने एक्सपीरिया जेड में 5 मेगापिक्सल कैमरा, 1080 पिक्सल सपोर्ट, 2 जीबी रैम, 12 मेगापिक्सल रियर कैमरा, 1.5 गीगाहर्ट्ज ओएस के साथ एंड्रॉयड 4.1 जैलीबीन ओएस दिया गया है. कीमत को देखते हुए अगर सोनी अपने जेड स्मार्टफोन को इंडिया में लांच करती है तो उसे प्राइज के मामले में कड़ा मुकाबला झेलना पड़ सकता है. ■

एंड्रॉयड का वीलाॅक्स टैब 8


एं ड्रॉयड मार्केट में टैबलेट की होड़ सी लगी हुई है, सभी इंडियन मैन्यूफैक्चरर अब अपनी नज़रें आने वाले टैबलेट पर लगी हुई हैं. इन्हीं में से एक है कार्बन जो हाल ही में स्मार्टटैब 8 लांच करेगा. कंपनी अपने नए टैब से काफी उम्मीदें लगाए हुए है, अगर इसके फीचरों पर आप नज़र डालें तो टैब 8 में 10 इंच की स्क्रीन, जैलीबीन ओएस प्लेटफार्म दिया गया है.

साथ में 1.5 गीगाहर्ट्ज ड्यूल कोर कोर्टेक्स ए9 प्रोसेसर, 1 जीबी रैम, 1.51 जीबी इंटरनल मेमोरी जिसे यूजर 32 जीबी तक एक्सेस कर सकता है. टैब में 3 मेगापिक्सल का रियर और वीजीए फ्रंट कैमरा भी दिया गया है जो वीडियो कॉलिंग सपोर्ट करता है. टैब में लगी 4500 एमएएच की बैटरी 7 घंटे का बैटरी बैकप देती है. इसमें फीचर एंड्रॉयड 4.1 जैलीबीन ओएस, 1024 एक्स 768 पिक्सल रेज्यूल्यूशन सपोर्ट, वाईफाई, ब्लूटूथ, एचडीएआई, यूएसबी पोर्ट सपोर्ट, 4500 एमएएच बैटरी है. इसकी अनुमानित कीमत 6500 रुपए से लेकर 8500 रुपए के बीच है. ■



एचपी की एंवी सीरीज

ए चपी ने विंडोज 8 पर चलने वाले कई टैबलेट्स और कंप्यूटर लान्च किए हैं. एंवी एक्स2 एक अल्ट्राथिन इंटेल ऑटम पावर्ड विंडोज 8 नोटबुक है. इसमें से कीबोर्ड और एक्स2 को अलग कर देने पर यह 11.6 इंच का टैबलेट बन जाता है. कंपनी कीबोर्ड के साथ इस डिवाइस में 14 घंटे का बैटरी बैकअप का दावा कर रही है. यह



एंवी अल्ट्राबुक4, 14 इंच का डिवाइस है, जिसमें मल्टी-टचस्क्रीन और तीसरी पीढ़ी का इंटेल कोर आई5 प्रोसेसर लगा हुआ है.

डिवाइस बीट्स ऑडियो, एचडी वेबकैम, आठ मेगापिक्स का कैमरा और एनएफसी के साथ आ रही है. कीबोर्ड के बिना इस डिवाइस का वजन केवल 700 ग्राम है. एंवी अल्ट्राबुक4, 14 इंच का डिवाइस है, जिसमें मल्टी-टचस्क्रीन और तीसरी पीढ़ी का इंटेल कोर आई5 प्रोसेसर लगा हुआ है. यद्यपि, अल्ट्राबुक के रूप में इस डिवाइस का वजन 2.16 किलोग्राम है और यह आठ घंटे की बैटरी लाइफ का दावा कर रही है. कंपनी ने एंवी 23 को भी लान्च किया है, जो एक ऑल इन वन पीसी है. इसमें 23 इंच के एचडी डिस्प्ले में इंटेल कोर आई5 प्रोसेसर और 1टीबी का स्टोरेज है. इसकी कीमत 71,990 रुपये (एंवी 23 ऑल इन वन) और 59,990 रुपये (एंवी एक्स2 और एंवी अल्ट्राबुक) है. ■

मैजिकॉन एमनोट

इसमें स्काइप, फेसबुक, ट्विटर, एंग्री बर्ड्स और फ्रूट निंजा जैसे चर्चित ऐप्स प्रीलोडेड हैं. इसकेअन्य फीचर्स में एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर, वाई-फाई, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और 2,000 एमएएच का बैटरी पावर शामिल हैं.

मै जिकॉन इम्पेक्स ने एमनोट के लिए निजी टेलीकॉम कंपनी एयरसेल के साथ समझौता किया है. इस डुअल सिम फोन में एक गीगाहर्ट्ज के डुअल कोर प्रोसेसर, 1.6 करोड़ रंगों वाले पांच इंच के डब्ल्यूवीजीए डिस्प्ले, एक रेयूलर फ्रंट कैमरा और एक 8.0 मेगा पिक्सल का रियर कैमरा है, जिसमें ऑटो-फोकस और फ्लैश है. एंड्रॉयड 4.0 (आईसक्रीम सैंडविच) ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाला यह हैंडसेट 3जी को सपोर्ट करता है और दूसरे डिवाइसों के साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी शेयर करने के लिए यह वाई-फाई हॉटस्पॉट क्रिएट कर सकता है. इसमें स्काइप, फेसबुक, ट्विटर, एंग्री बर्ड्स और फ्रूट निंजा जैसे चर्चित ऐप्स प्रीलोडेड हैं. इसकेअन्य फीचर्स में एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर, वाई-फाई, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और 2,000 एमएएच का बैटरी पावर शामिल हैं. एयरसेल कनेक्शन के साथ इस हैंडसेट को खरीदने पर तीन माह के लिए 250 मिनट का टॉक टाइम, 250 एसएमएस और एक जीबी डाटा का ऑफर मिल रहा है. हैंडसेट के लिए 4 जीबी का मेमोरी कार्ड और चमड़े का कवर भी उपलब्ध है. इस पर 18 महीने की वारंटी मिल रही है. इसकी कीमत 9,999 रुपये तय की गई है. ■



आईसीसी महिला विश्वकप

फिसके सिर सजेगा ताज



सुजी वेदस



मोरिसा एरमुवीरा



मिताली राज



मिगान हू प्रीज



जोडी क्लरक्स

नवीन चौहान

navinchauhan@chauthiduniya.com

आ आईसीसी महिला विश्वकप की मेज़बानी इस बार भारत कर रहा है। यह तीसरा मौका है जब भारत में महिला विश्वकप आयोजित किया जा रहा है। दुनिया की शीर्ष आठ महिला क्रिकेट टीमों आईसीसी महिला विश्वकप का ताज हासिल करने के लिए एक-दूसरे से भिड़ेंगी। 28 जनवरी से 17 फरवरी के बीच इस प्रतियोगिता के 25 मैच मुंबई के पांच स्थलों वानखेड़े स्टेडियम, बांद्रा कुर्ला परिसर, क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया, मिडिल इनकम ग्रुप क्लब ग्राउंड और डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले जाएंगे। टूर्नामेंट का डे-नाइट फाइनल क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया मैदान में 17 फरवरी को खेला जाएगा।

इंग्लैंड (1973 और 1993), भारत (1978 और 1997), न्यूजीलैंड (1982 और 2009), ऑस्ट्रेलिया (1988 और 2009) दो-दो बार और दक्षिण अफ्रीका (2005) एक बार महिला विश्वकप की मेज़बानी कर चुका है। पहली बार महिला विश्वकप 1973 में इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि पुरुषों का पहला क्रिकेट विश्वकप 1975 में इंग्लैंड में ही आयोजित किया गया था। लेकिन आज तक महिला क्रिकेट अपनी पहचान बनाने में जुटा हुआ है। 2005 में महिला क्रिकेट के आईसीसी में विलय के बाद महिला विश्वकप का क्रम कुछ बड़ा हुआ है। 2009 में पहली बार आईसीसी ने महिला विश्वकप आयोजित किया था। यह दूसरा मौका है जब आईसीसी की छत्रछाया में महिला विश्वकप आयोजित किया जा रहा है। महिला विश्वकप के कार्यक्रम की घोषणा करते हुए आईसीसी के अध्यक्ष एलेन इसाक ने कहा था कि आईसीसी महिला विश्वकप महिला क्रिकेट के लिए महत्वपूर्ण है। भारत में शीर्ष आठ महिला टीमों के एक दिवसीय क्रिकेट के प्रारूप में आयोजन किया जाना दुनिया के इस हिस्से में महिला क्रिकेट के विकास के लिए सचमुच अहम होगा।

2009 में हुए आईसीसी महिला विश्वकप में शीर्ष चार स्थानों पर रहने वाली इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और भारत की टीमों ने स्वतः ही 2013 के विश्वकप के लिए क्वालीफाई कर लिया था। बाकी की चार टीमों को विश्वकप के लिए क्वालीफाई करना पड़ा है। वर्ष 2011 में नवंबर-दिसंबर में बांग्लादेश में हुए विश्वकप क्वालीफायर में विजेता बनने वाली वेस्टइंडीज टीम ने विश्वकप में अपनी जगह पक्की की थी। वहीं पाकिस्तान श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका की टीमों क्वालीफायर्स में शीर्ष चार टीमों में जगह बना पाने की वजह से 2013 के विश्वकप में शिरकत करती दिखाई देंगी। यहां आठ टीमों को ए और बी दो ग्रुपों में बांटा गया है। दोनों ग्रुपों में से तीन-तीन टीमों सुपर सिक्स राउंड में भिड़ेंगी। इसके बाद शीर्ष दो टीमों के बीच खिताबी मुकाबला होगा। 2009 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ महिला विश्वकप इंग्लैंड ने जीता था। ऑस्ट्रेलिया ने अक्टूबर में श्रीलंका में हुए टी-20 विश्वकप के फाइनल में इंग्लैंड को मात दी थी। इसलिए खिताब की रक्षा करती टीम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही टीमों का पलड़ा इस बार भी भारी नज़र आ रहा है। अब तक नौ बार आयोजित हुए महिला विश्वकप में ऑस्ट्रेलिया का दबदबा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने विश्वकप में 87.31 प्रतिशत मैचों में जीत दर्ज की है। अब तक हुए नौ विश्वकप में वह सात में फाइनल में पहुंची है और पांच बार (1978, 1982, 1988, 1997 और 2005) विजेता बनने में कामयाब हुई है, जबकि इंग्लैंड छह बार फाइनल में पहुंचा है और तीन बार (1973, 1993 और 2009) विजेता बना है। वहीं न्यूजीलैंड टीम चार बार फाइनल में जगह बना चुकी है, लेकिन एक बार (2000) ही वह विजेता बन सकी है। भारतीय टीम ने 2005 में दक्षिण अफ्रीका में हुए विश्वकप के फाइनल में जगह बनाई थी। तब उसका विश्व विजेता बनने का सपना पूरा नहीं हो सका था। वीमेन इन ब्लू के पास इस बार अपनी घरेलू परिस्थितियों में विश्वकप विजेता बनने का अच्छा मौका है। इसके लिए भारतीय टीम की कप्तान स्टाव वल्लेबाज़ मिताली राज को सौंपी गई है। वह चौथी बार विश्वकप में खेलती नज़र आएंगी। हाल में जारी की गई आईसीसी रैंकिंग में मिताली बल्लेबाज़ों की सूची में पहले नंबर पर हैं। टीम में पूर्व कप्तान झूलन गोस्वामी जैसे कई अनुभवी खिलाड़ियों को जगह दी गई है। इंग्लैंड की चार्लोट एडवर्ड लगातार पांचवीं बार विश्वकप में खेलती दिखाई देंगी। एडवर्ड 2008 में आईसीसी वीमेन



साना मीर



चेरलॉट एडवर्ड्स



शशिकला श्रीवर्धने

भारतीय टीम- मिताली राज (कप्तान), हरमनप्रीत कौर, झूलन गोस्वामी, अमिता शर्मा, गौहर सुलताना, एम प्रिशुकाभिनी, सुलक्षणा नाइक, एकता बिष्ट, मोना मेशराम, रासनारा परवीन, निरंजना नागराज, पूनम रावत, रीमा मल्होत्रा, करुणा जैन और सुभलक्ष्मी शर्मा।

ग्रुप ए	ग्रुप बी
इंग्लैंड (ए1)	ऑस्ट्रेलिया (बी1)
भारत (ए2)	न्यूजीलैंड (बी2)
वेस्टइंडीज (ए3)	पाकिस्तान (बी3)
श्रीलंका (ए4)	दक्षिण अफ्रीका (बी4)

सभी टीमों की कप्तान

ऑस्ट्रेलिया	जोडी क्लरक्स
इंग्लैंड	चैरॉट एडवर्ड्स
भारत	मिताली राज
न्यूजीलैंड	सुजी वेदस
वेस्टइंडीज	मोरिसा एरमुवीरा
पाकिस्तान	साना मीर
श्रीलंका	शशिकला श्रीवर्धने
दक्षिण अफ्रीका	मिगान हू प्रीज

महिला विश्वकप का कार्यक्रम

- 31 जनवरी : भारत बनाम वेस्टइंडीज (दिन रात्रि)
- 01 फरवरी : ऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तान
- 02 फरवरी : न्यूजीलैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका (दिन रात्रि)
- 03 फरवरी : इंग्लैंड बनाम श्रीलंका
- 04 फरवरी : न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान
- 05 फरवरी : ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका
- 06 फरवरी : भारत बनाम इंग्लैंड
- 07 फरवरी : श्रीलंका बनाम वेस्टइंडीज
- 08 फरवरी : पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका
- 09 फरवरी : ऑस्ट्रेलिया बनाम न्यूजीलैंड (दिन रात्रि)
- 10 फरवरी : भारत बनाम श्रीलंका, वानखेड़े स्टेडियम
- 11 फरवरी : इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज (दिन रात्रि)

सुपर सिक्स

- 09 फरवरी : ए2 बनाम बी2 (दिन रात्रि)
- 10 फरवरी : ए3 बनाम बी3
- 11 फरवरी : ए1 बनाम बी1 (दिन रात्रि)
- 12 फरवरी : ए4 बनाम बी4 (सातवां बनाम आठवां प्ले ऑफ)
- 13 फरवरी : ए3 बनाम बी2
- 14 फरवरी : ए2 बनाम बी1 (दिन रात्रि)
- 15 फरवरी : ए1 बनाम बी3
- 16 फरवरी : ए1 बनाम बी2
- 17 फरवरी : ए2 बनाम बी3
- 18 फरवरी : पांचवां बनाम छठा प्ले ऑफ
- 19 फरवरी : तीसरा बनाम चौथा प्ले ऑफ
- 20 फरवरी : फाइनल (दिन रात्रि)

महिला विश्वकप के रिकॉर्ड

सर्वाधिक रन	डेबी हॉवले (न्यूजीलैंड)	1501	1982-2000
सर्वाधिक औसत	केरन रॉल्टन (ऑस्ट्रेलिया)	74.92	1997-2000
एक पारी में सर्वाधिक रन	विल्डा क्लार्क (ऑस्ट्रेलिया)	229*	1997
एक टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन	डेबी हॉवले (न्यूजीलैंड)	456	1997
सर्वाधिक विकेट	लेन फुल्लसन (ऑस्ट्रेलिया)	39	1982-88
सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी	जैकी लॉर्ड (न्यूजीलैंड)	6/10	1982
एक टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट	लेन फुल्लसन (ऑस्ट्रेलिया)	23	1982
सर्वाधिक कैच	जैनीटी ब्रिटिन (इंग्लैंड)	19	1982-97

प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनी थीं। उन्होंने विश्वकप में अब तक 912 रन बनाए हैं। वह विश्वकप में सर्वकालिक अधिक रन बनाने वाली की सूची में ऑस्ट्रेलिया की विल्डा क्लार्क और कैरेन रॉल्टन के बाद तीसरे स्थान पर हैं। सभी टीमों में अनुभवी खिलाड़ियों को वरीयता दी गई है। लगभग हर टीम में एक दो खिलाड़ी ऐसे हैं, जो तीसरी बार विश्वकप में शिरकत कर रही हैं। ऐसे में नए और पुराने खिलाड़ियों के संतुलन वाली टीमों का मुकाबला रोचक होगा। भले ही आईसीसी भारत में इस आयोजन से महिला क्रिकेट की लोकप्रियता में बढ़ोत्तरी के दावे कर रहा है, लेकिन केवल मुंबई के कई स्टेडियमों में बीसीसीआई के मैचों का आयोजन महिला क्रिकेट को लोकप्रिय नहीं बना सकेगा। अभी भी महिला क्रिकेट महानगरों तक ही सीमित है। छोटे क्रिकेट आयोजन स्थलों में विश्वकप का आयोजन किया जाता, तो जमीनी स्तर पर महिला क्रिकेट की लोकप्रियता बढ़ती। लेकिन फायदे का सौदा न होने के कारण बीसीसीआई ने पूरी प्रतियोगिता को मुंबई केंद्रित ही रखा। खैर, अब देखा है कि क्या वीमेन इन ब्लू मेन इन ब्लू की तरह अपनी मेज़बानी में और खासकर मुंबई में विश्वकप विजेता बन पाती है। उस पल का हर किसी को इंतज़ार रहेगा। ■

ग्लेन मैग्रा आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज़ गेंदबाज़ ग्लेन मैग्रा को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट फेडरेशन ने हॉल ऑफ फेम सूची में शामिल करने का फैसला किया है। वह आईसीसी की हॉल ऑफ फेम सूची में जगह पाने वाले 68वें पुरुष खिलाड़ी और 18वें ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं। 2 जनवरी, 2009 को इस रैंकिंग को आईसीसी ने फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन के (एफआईसीसी) के साथ क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का सम्मान करने और मान्यता देने की शुरुआत की थी। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की ओर से 124 टेस्ट मैच खेले और 21.64 की औसत से 563 विकेट लिए। वह टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की ओर से सर्वाधिक विकेट लेने वालों में शेन वार्न (708) के बाद दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने एक दिवसीय मैचों में भी 380 विकेट लिए हैं। इसके साथ ही वह 1999, 2003 और 2007 का विश्वकप जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम के सदस्य भी रहे हैं। ■



टोनी ग्रेग का निधन

इंग्लैंड के पूर्व टेस्ट कप्तान और मराहूर कमेंटरेटर टोनी ग्रेग का 66 वर्ष की उम्र में कैंसर की वजह से निधन हो गया। दक्षिण अफ्रीका केपटाउन में जन्मे टोनी ग्रेग ने इंग्लैंड की ओर से 58 टेस्ट में 40.43 की औसत से 3599 रन बनाए और 141 विकेट भी चटकाए। उन्होंने 22 वनडे मैचों में 16.81 की औसत से 269 रन बनाए और 19 विकेट भी हासिल किए। अक्टूबर में उन्हें फेफड़े में कैंसर होने का पता चला था। शुरुआती जांच में उनको ब्रोकॉइडिस बताया गया था, वह भी उसके अंतिम दौर में था। पिछले साल नवंबर-दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया-दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज के दौरान उन्होंने अपनी बीमारी के बारे में ज़िक्र किया था। ■



चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

हीरो हॉकी इंडिया लीग

हीरो मोटो कॉर्प हॉकी इंडिया लीग का आधिकारिक टाइटल स्पॉन्सर बन गया है। पहली हॉकी इंडिया लीग 14 जनवरी से 10 फरवरी तक आयोजित की जा रही है। इसमें पांच टीमों दिल्ली वेव



राइडर्स, जेपी पंजाब राइडर्स, पटेल-यूनीएक्सल रांची राइडर्स और डार्वर मुंबई मैजीशियन टीमों भाग लेंगी। लीग के

HIV-AIDS अब लाइलाज नहीं
Destroys HIV Virus, increases CD4 Cells (T Cells), Back to normal life
Bhagwati Constop
AIDS की अपूर्व आयुर्वेदिक औषधि
G.M.P. Certified co.
Bhagwati Ayurved Pvt. Ltd
Boring Road, Patna-1
Contact
Patna-08102155655, 0612-2570712/2923343
Email: bhagwatiayurved@gmail.com
इस्तेमाल करें, फर्क महसूस करें

परिनीति हुई अक्षय से दूर

प्रियंका चोपड़ा की बहन परिनीति चोपड़ा ने चंद फिल्मों से ही काफी ख्याति पा ली है. यशराज की खोज कड़ी जाने वाली परिनीति ने बॉलीवुड में सशक्त बैनर से रुदम रखा है तो ज़ाहिर है कि उन्हें उसकी हर बात माननी पड़ेगी. अब वह बात रोकर मानी जाए या फिर हंस कर, लेकिन जो खबर आ रही है उससे तो यही लगता है कि परिनीति चोपड़ा दिल से काफी दुखी है. वजह है कि यशराज बैनर के साथ कमिटमेंट करने के कारण वह अपने फेवरेट सितारे अक्षय कुमार के साथ काम नहीं कर पा रही है. दरअसल परिनीति चोपड़ा को अक्षय कुमार के साथ काम करने की दिली इच्छा थी. साउथ की रीमेक बन रही थी जिसे विपुल शाह बना रहे थे. खबर है कि परिनीति चोपड़ा को फिल्म ऑफर भी हुई थी, लेकिन यशराज के नियमों के मुताबिक वह बाहर फिल्मों में तब तक नहीं कर सकती हैं. जब तक वह यशराज की फिल्मों में कर रही हैं. बेचारी परिनीति चोपड़ा अब यशराज से पंगा तो ले नहीं सकती है. इसलिए उन्होंने विपुल शाह को फिर कभी सोचकर मना कर दिया. ऐसा भी सुनने में आया है कि खुद अक्षय कुमार ने भी आदित्य चोपड़ा से बात की, लेकिन आदित्य ने उनकी भी नहीं सुनी. इसलिए परिनीति को और भी दुख हो रहा है. अब फिल्म में परिनीति की जगह सोनाक्षी सिन्हा को ले लिया गया है. इन दिनों परिनीति चोपड़ा यशराज की दो फिल्मों में काम कर रही हैं. इसके अलावा वह टीवी के विज्ञापनों में भी खूब दिखाई पड़ रही हैं. खैर, परिनीति आप निराश मत होइए आपको आगे भी मौका मिलेगा, क्योंकि हिंदी फिल्मी दुनिया में हीरो जल्दी बूढ़े नहीं होते हैं, इसलिए आप काम करते रहिए, आगे आपको अक्षय कुमार के साथ फिल्म ज़रूर मिल जाएगी. ■



गोविंदा की पेंडिंग फिल्म रिलीज

जल्द ही गोविंदा फिल्मों में नज़र आएंगे. इनकी यह फिल्म काफ़ी समय से पेंडिंग पड़ी हुई थी, जो जल्द ही रिलीज हो जाएगी. यह कुछ कारणों से रिलीज होने के लिए टलती जा रही थी. दरअसल, फिल्ममेकर के सी बोकाडिया ने यह फिल्म काफ़ी पहले बनाई थी, लेकिन उन्हें इसके लिए बायर्स ही नहीं मिले थे और लंबे समय से फिल्म की रिलीज लटक गई थी. लेकिन अब किसी तरह से फिल्म को रिलीज करना मैनेज हो गया है. ज़ाहिर है, फिल्म में आज को देखते हुए थोड़ा मसाला ऐड करना बहुत ज़रूरी था. ऐसे में बोकाडिया ने फिल्म में प्रियंका का एक मस्त सा आइटम नंबर डाला है. वैसे भी इन दिनों हर फिल्म में आइटम नंबर की धूम देखने को मिल जाती है, तो बोकाडिया ने भी इसे फिल्म के लिए ज़रूरी समझा. यही नहीं, उन्होंने प्रियंका के साथ काफ़ी पोर्शन री-शूट भी किया. लेकिन ऐसे में वह फिल्म के हीरो गोविंदा को भूल गए. उन्हें गोविंदा के साथ कुछ भी री-शूट करने की ज़रूरत बिल्कुल महसूस नहीं हुई. यही

नहीं, गोविंदा को यहां तक भी नहीं पता कि उनकी फिल्म को रिलीज करने का प्लान किया जा रहा है जो उन्होंने कई साल पहले प्रियंका के साथ की थी. सूजों की मानें, तो फिल्ममेकर को लग रहा है कि गोविंदा तब से आज तक काफ़ी बदल गए हैं. ऐसे में उनके साथ री-शूट करना कोई फायदे का सौदा नहीं होता. लेकिन आज की प्रियंका बेशक फिल्म में नई जान डाल देती. इस बारे में गोविंदा ने कहा, न तो मुझे इस बारे में कुछ पता है और न ही बोकाडिया जी की तरफ से मुझे कोई कॉल आया है. ऐसे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता.

उधर, बोकाडिया यहां तक कह रहे हैं कि हो सकता है कि गोविंदा की तरफ से फिल्म के डिस्ट्रिब्यूशन राइट्स भी खरीद लिए जाएं. गौरतलब है कि इस फिल्म के लिए प्रियंका ने अपनी पेंडिंग पेमेंट तक नहीं ली. यही नहीं, जो आइटम नंबर फिल्म के लिए उन्होंने शूट किया है, वह भी पूरी तरह फ्री ही किया है. ■



सोनम का नया प्रेमी

बॉलीवुड में फैशन आइकॉन के तौर पर जानी जाने वाली सोनम कपूर अब अपने नये प्रेमी आयुष्मान खुराना के साथ व्यस्त हैं. जी हां, सोनम फिल्मी पढ़ें पर आयुष्मान खुराना के साथ प्रेमिका के किरदार में नज़र आएंगी. अनिल कपूर की बेटियां सोनम ने संजय लीला भंसाली की फिल्म सांवरिया से अपने करियर की शुरुआत बतौर अभिनेत्री की थी. वहीं अभिनेता जॉन अब्राहम की फिल्म विकी डोनर से आयुष्मान ने बतौर लीड हीरो करियर की शुरुआत की थी. सोनम और आयुष्मान इन दिनों यशराज फिल्मस की फिल्म रांझना की शूटिंग में व्यस्त हैं. इस फिल्म के बाद वो यशराज फिल्म की अगली फिल्म अनाम में भी दोनों साथ साथ दिखेंगे. इन दोनों के अलावा ऋषि कपूर भी इस फिल्म में नज़र आएंगे. ऋषि कपूर ने सोनम कपूर के पिता की भूमिका निभाई है. फिल्म में सोनम कपूर और आयुष्मान खुराना एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और साथ ही दोनों की सोच है कि बिना पैसे के भी प्यार के सहारे ज़िंदगी गुजारी जा सकती है. दूसरी तरफ ऋषि कपूर का मानना है कि ये सब बकवास है और बिना पैसे के प्यार का कोई अस्तित्व नहीं. आयुष्मान खुराना इससे पहले विकी डोनर फिल्म में मुख्य किरदार के रूप में नज़र आ चुके हैं और उनकी एक्टिंग की काफ़ी तारीफ भी की गई है. अब जल्द नुपुर अस्थाना के निर्देशन में बनने वाली इस फिल्म में भी वह सोनम कपूर के साथ नज़र आएंगे. इस फिल्म की शूटिंग फरवरी माह में होगी. देखते हैं कहीं यह दोनों प्रेमी का किरदार निभाते निभाते रीयल लाइफ में प्रेमी न बन जाए. यह तो आने वाला समय ही तय करेगा. ■



रेडियो जाँकी बनीं करिश्मा

कि सी अभिनेत्री का फिल्में छोड़ देने के बाद दोबारा एंटी करना बहुत ही मुश्किल काम है. अब देखिए रीयल लाइफ की तरह रील लाइफ में भी करिश्मा कपूर अपनी नई पारी शुरू करने के चक्कर में हैं. जी हां, करिश्मा कपूर ने जहां फिल्म डेजर्स इश्क से बॉलीवुड में वापसी की है, वहीं अब वह रेडियो जाँकी बन गई हैं. करिश्मा कपूर को आप अब रेडियो जाँकी के तौर पर 92.7 बिग एफएम के शो बिग मेमसाब में 24 मार्च तक सुन सकेंगे. अपने इस रोल के बारे में बात करते हुए करिश्मा कपूर ने कहा कि वह बहुत खुश है अपने इस रोल से. उन्हें हमेशा से कुछ अलग करने का मन करता है, इसलिए जाँकी का काम करते उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है. मालूम हो साल 1991 में फिल्म प्रेम क़ैदी से भारतीय सिनेमा में रुदम रखने वाली अभिनेत्री करिश्मा कपूर की गिनती बॉलीवुड की शीर्ष अभिनेत्रियों में होती थी. लेकिन संजय कपूर से साल 2003 में शादी करके उनकी दूसरी पत्नी बनने के बाद करिश्मा ने फिल्मों को अलविदा कह दिया लेकिन अब करिश्मा और संजय के बीच में कुछ ठीक नहीं हैं. संजय का किसी मॉडल के साथ लव-अफेयर है, जिसके कारण संजय-करिश्मा का रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया है, बात तलाक तक आ पहुंची है, इसलिए करिश्मा ने फिर से करियर की ओर ध्यान देना शुरू किया है. हालांकि अभी उनके पास पहले जैसा काम नहीं है, उनकी कमबैक फिल्म डेजर्स इश्क भी सुपर प्लॉप हुई है. ऐसे में करिश्मा ने फिल्म छोड़कर रेडियो की तरफ रुख किया है. देखते हैं उनके जाँकी रोल को लोग कितना पसंद करते हैं? ■



उत्पीड़ित महिला के किरदार में चित्रांगदा

कटीली काया और चंद फिल्मों के ज़रिये बॉलीवुड में तेज़ी से अपनी पहचान बनाने वाली अभिनेत्री चित्रांगदा सिंह इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म इंकार को लेकर ख़ासी चर्चा में है. सुधीर मिश्रा की इस फिल्म से उन्हें ख़ासी उम्मीद है. फिल्म कारपोरेट जगत के उस कड़वे सच को कहती है, जिसमें एक बेहद काबिल महिला का उसके वर्किंग प्लेस पर शारीरिक उत्पीड़न होता है. इस फिल्म में चित्रांगदा सिंह के हीरो अर्जुन रामपाल हैं. चित्रांगदा सिंह ने कहा कि यह फिल्म महिला उत्पीड़न की वर्दनाक दास्तां है. चित्रांगदा ने बताया कि मेरा पूरा ध्यान इंकार पर लगा हुआ है. सुधीर की अन्य फिल्मों की तरह इसकी भी पटकथा शानदार है. यौन उत्पीड़न मामले के बीच इसमें एक प्रेम कहानी पिरोई गई है. मैं इसको लेकर काफी उत्साहित हूँ. हजारों ख्वाहिशें ऐसी जैसी गंभीर फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बाद मशहूर हुई चित्रांगदा की दो साल पहले पहली व्यवसायिक फिल्म देसी ब्यांज आई थी. रोल छोटा था लेकिन दीपिका पादुकोण पर भारी था. फिल्म में दूसरी अभिनेत्री दीपिका पादुकोण थी. सुधीर मिश्रा के संबंधों को लेकर चर्चा में रहने वाली चित्रांगदा को देखकर कोई कह नहीं सकता है कि वह एक बंद की मां है. सुधीर मिश्रा के बारे में पूछे जाने पर चित्रांगदा सिंह ने कहा मेरा और उनका रिश्ता गुरु और शिष्या का है, जो लोग इस रिश्ते पर शक करते हैं उनका दिमाग पूरी तरह से खराब है. ■



मल्टीस्टार फिल्मों से खुश जैकलीन

हर अभिनेत्री को फिल्म में मुख्य भूमिका निभाना अच्छा लगता है, लेकिन कुछ हीरोइनों को मल्टीस्टार फिल्मों में काम करना अच्छा लगता है. देखिए ऐसा ही कुछ श्रीलंकाई अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिज ने जब से बॉलीवुड में रुदम रखा है तब से ही उन्होंने मल्टीस्टार फिल्मों में काम किया है, लेकिन इस बात को लेकर जैकलीन को कोई गम नहीं है कि उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि उन्हें ढेर सारे स्टार वाली फिल्म में काम करने में मज़ा आता है. उन्हें कई सारे सितारों के बीच में खुद को साबित करने का मौका मिलता है. जैकलीन इन दिनों रेस 2 में बिजी है. रेस 2 में उनके साथ सैफ अली ख़ान, जान अब्राहम, अमीषा पटेल और दीपिका पादुकोण हैं. यह फिल्म 25 जनवरी को रिलीज हो रही है. रेस 2 को लेकर जैकलीन काफी उत्साहित हैं. उन्होंने कहा है कि यह फिल्म उनके करियर को नया मोड़ देगी. इससे पहले भी जैकलीन फर्नांडिज ने कहा था कि मर्डर 2 की कामयाबी के बाद से ही लगातार फिल्में मिल रही हैं और वह इस बात से बेहद खुश हैं. फ़िलहाल इन दिनों चर्चा है कि जैकलीन को विशाल भारद्वाज की फिल्म डायन के लिए भी साइन किया गया है और करने वाली बात यह है कि इस रोल के लिए कभी रानी मुखर्जी को साइन किया गया था. अब वह किरदार रानी के इनकार करने पर जैकलीन को दिया जा रहा है. जी हां, सबसे पहले विशाल ने इस फिल्म के लिए रानी से संपर्क किया था. लेकिन उनके इनकार के बाद उन्होंने विद्या से बात की. विद्या के पास तारीखों की कमी होने के कारण अब वह किरदार जैकलीन को दिया गया है. देखते हैं कि जैकलीन डायन बनने में कामयाब हो पाएंगी या नहीं, यह तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा. ■



चौथी दुनिया

बिहार
झारखंड



14 जनवरी-20 जनवरी 2013

www.chauthiduniya.com



मात्र 7 लाख में
घर

www.vastuvihar.org

Contact Us :

Patna:- 7488538118/19/20/21

Bokaro:- 7488538181/82

Dhanbad:- 7488535261/62

Ranchi:- 7488535220/21

Call Vastu Vihar Any City :

080-10-222222 or SMS Type VASTUVIHAR & Send To 56677



विधायकों की शामत



सरोज सिंह

feedback@chauthiduniya.com

बिहार में इन दिनों माननीय विधायकों की बेचारी की चर्चा राजनीतिक गलियारों से बाहर निकलकर गांव के चौपालों में भी गूँजने लगी है। ऐसा इसलिए भी हो रहा है चूंकि माननीय विधायक खुद यह स्वीकार कर रहे हैं कि जनता के कल्याण के लिए कुछ नहीं बचा है। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। विधायक फंड खत्म हो जाने के बाद तो बेचारी और भी बढ़ गई है। जनता चापाकल मांगे या सड़क विधायकगण एक ही राग अलापते हैं कि क्या करें, हमारे हाथ में अब कुछ है ही नहीं। हम तो बेचारे हो गए हैं।

भाजपा विधायक और बिहार विधानसभा शुन्यकाल समिति के सभापति अरुण कुमार सिंह कहते हैं कि विधायक की क्या बात करते हैं, इस शासन में नौकरशाही का इस क़दर मन बढ़ा हुआ है कि मुख्य सचिव की बात विभागीय प्रधान सचिव नहीं सुनते हैं। ऐसे में विधायकों का कितना सुनते होंगे। इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। विधायक तो बेचारे बन गए हैं। सियासी जानकार उनकी इस शिकायत से इतने फ़ाक़ रखते हैं। कई विधायक नाम नहीं उजागर करने की शर्त पर कहते हैं कि क्षेत्र में विधायकों का काफी बुरा हाल है। विधायक फंड खत्म होने के बाद कार्यकर्ताओं का टोटा हो गया है। उनसे बेहतर स्थिति तो ग्राम पंचायतों के मुखिया की है। विधायक के साथ कार्यकर्ता रहे भी तो क्यों? फंड रहा नहीं, इसलिए कार्यकर्ताओं के लिए भी कमाने खाने का जुगाड़ ख़त्म हो गया। थाना पुलिस में विधायक की कोई पैरवी सुनी नहीं जाती है। नागरिक प्रशासन के प्रखंड कार्यालय से लेकर ज़िला तक यही हाल है। प्रायः हर जगह का रेट तय है। पॉकेट डीली कर कोई अदना व्यक्ति अपना मनमाफिक काम करा सकता है। टका धर्म के इस माहौल में उन्हें विधायकों की चिंता की कोई आवश्यकता ही नहीं है। सत्ताधारी दल के मगध इलाके से आने वाले एक विधायक कहते हैं कि इन जैसे कार्यकर्ता से विधायक बने राजनीतिक प्राणियों की जान संसत में है। वेतन भत्ता कुल मिलाकर तक्ररीबन अस्सी से पचासी हजार मिलता है। इसमें बीस हजार गाड़ी के ऋण के किस्त में चला जाता है। तीस से पैंतीस हजार क्षेत्र भ्रमण के लिए ईंधन में खर्च हो जाता है। इसके बाद क्षेत्र से आने वाले लोगों का पटना आवास पर स्वागत, बीमार लोगों के इलाज आदि। क्षेत्र में शादी-ब्याह, मुंडन, मरनी-हरनी का न्यूता वगैरह में हाजिरी बजाने तथा चुमावन के तौर पर कुछ न कुछ राशि अनिवार्य रूप से देने में काफी खर्च होता है।

एक विधायक तो कहते हैं कि इन खर्चों के अतिरिक्त एक वाहन चालक का मासिक वेतन आठ हजार रुपये एवं एक निजी सहायक का वेतन पंद्रह हजार रुपये देने के बाद क्या बच सकता है। इसके अलावा पार्टी का दायित्व, पार्टी के कार्यक्रम, अधिकार रैली में योगदान में विधायकों को कर्ज़ उठाना पड़ गया है। इस पर भी दिल्ली में होने वाली रैली के लिए तैयारी करने को कहा गया है। ऐसे में विधायकों का जीना मुहाल है। उनको दैनंदिन कार्य और पारिवारिक दायित्व पूरा करने के लिए भी दूसरे का मुँह ताकना पड़ रहा है। राजनीति में शुचिता की बात करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह दिखता ही नहीं है। विधायकों को बंधुआ मजदूर बना दिया गया है। उन्हें न अपनी राय रखने की आज़ादी है न जनसरोकार के सवाल उठाने की स्वतंत्रता। विधायकों के स्थानीय विकास कोश को समाप्त कर उन्हें बिल्कुल पंगु बना दिया गया है। भरोसा था कि उसके बदले बनी मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के माध्यम से उन्हें अपने क्षेत्र में विकास योजनाओं की अनुशंसा कर विकास का भागी बनने का अवसर मिलेगा, लेकिन उसकी बनी मार्ग-दर्शिका ने उनकी इस मंशा पर भी पर पानी फेर दिया। इसमें विधायक की भूमिका बेगलाम

नौकरशाही के समक्ष सिर्फ़ दांत निपोरने तक ही सीमित है। हालात यह है कि सामान्यतः पैंतीस से चालीस पंचायतों के निर्वाचित जनप्रतिनिधी विधायकों को प्रखंड और पंचायत के कार्यालयों में बैठने तक का ठौर मयस्सर नहीं है। ऐसे में अधिकारी तो दूर सरकारी अमले का बाबू भी उनको सुनने को राजी नहीं है। जबकि पंचायती राज संस्थानों के जनप्रतिनिधियों का दरबार लगता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के यहां भी उनका प्रवेश मुश्किल से हो पता है। बताया जाता है कि दर्जनों ऐसे विधायक हैं जिनकी अब तक वनदूवन मुलाकात नीतीश कुमार से नहीं हो पाई है। विधायकों का कहना है कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना उन पर थोपी जा रही है। इस स्थिति में उनकी अनुशंसा की क्या ज़रूरत है। ज़िले में योजना चयन के लिए हुई बैठकों में जब प्रखंडवार मिलने वाली राशि से मॉडल पंचायत भवन एवं आंगनबाड़ी केंद्र प्राथमिकता के आधार पर बनाए जाने की बात आई थी। तब

भाजपा विधायक और बिहार विधानसभा शुन्यकाल समिति के सभापति अरुण कुमार सिंह कहते हैं कि इस शासन में नौकरशाही का इस क़दर मन बढ़ा हुआ है कि मुख्य सचिव की बात विभागीय प्रधान सचिव नहीं सुनते हैं। ऐसे में विधायकों का कितना सुनते होंगे। विधायक तो बेचारे बन गए हैं। सियासी जानकार उनकी इस बात से इतने फ़ाक़ रखते हैं। कई विधायक नाम नहीं उजागर करने की शर्त पर कहते हैं कि क्षेत्र में विधायकों का काफी बुरा हाल है। विधायक फंड खत्म होने के बाद कार्यकर्ताओं का टोटा हो गया है। उनसे बेहतर स्थिति तो ग्राम पंचायतों के मुखिया की है।

अधिकांश विधायकों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। 80 से 90 लाख रुपये की राशि विधानसभावार प्रतिवर्ष मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत मिलनी है। इसमें एक मॉडल पंचायत भवन तथा एक आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण आवश्यक कर दिया गया है। पंचायत सरकार भवन में 65 से 70 लाख खर्च आना है। इसके बाद अन्य विकास कार्य के लिए राशि कहाँ से आएगी? जब पंचायत सरकार भवन ही प्राथमिकता के आधार पर बनाना है तो विधायकों से योजना मांगना हास्यास्पद ही है। क्षेत्र की जनता जनप्रतिनिधि से उम्मीद रखती है कि सड़क, नाला और सार्वजनिक स्थलों पर पेयजल आदि सुविधाएं उपलब्ध हो। कई ऐसी भी सड़कें तथा संपर्क पथ हैं जिसके टूटने के बाद छोटी-मोटी राशि से मरम्मत की जाती है, लेकिन वर्तमान गाड़ लाइन से जनप्रतिनिधि को क्षेत्र में आम लोगों का कार्य कराना संभव नहीं है। इस स्थिति में योजना का चयन करना बेमतलब की कवायद है। एक विधानसभा क्षेत्र में तक्ररीबन तीन दर्जन पंचायत होते हैं, उपलब्ध योजना राशि से

किसी एक पंचायत में ही पंचायत भवन और आंगनबाड़ी केंद्र भवन का निर्माण हो सकता है। यह विधायकों के लिए काफी दुविधाजनक होगा। वह किस पंचायत के नाम की अनुशंसा करे, क्योंकि एक कार्यकाल में वह सिर्फ़ पांच पंचायत को लाभ दिलवा पाएगा। लिहाजा, इसे शेष पंचायत के लोगों का आक्रोश बेवजह झेलना पड़ेगा। पंचायत भवन और आंगनबाड़ी केंद्र ही बनवाना है तो राज्य स्तर पर एक केंद्रीकृत योजना बनाकर इस उद्देश्य को सुगमतापूर्वक पूरा किया जा सकता है। हालांकि, इन तमाम विधायकों को निविदा के आधार पर काम करवाने में कोई आपत्ति नहीं है। टेंडर के आधार पर काम होगा। इसलिए ठेका हासिल करने की होड़ में ठेकेदार योजना प्राकलन से काफी कम राशि पर निविदा डालेंगे। लिहाजा वह काम शायद ही पूरा कर पाएंगे। अगर पूरा करेंगे तो इसकी गुणवत्ता क्या होगी, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। विधायकों को प्रतिवर्ष अपने क्षेत्र के प्रत्येक पंचायत में पांच चापाकल और नगर निकाय के प्रत्येक वार्ड में दो चापाकल बांटने का अधिकार मिला है। इसमें भी इन्हें सिर्फ़ अनुशंसा का ही अधिकार है।

विधायक फंड खत्म होने के बाद शुरू हुए मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना में होगा, वही जो अधिकारी चाहेंगे। अब तो एक चापाकल, बिजली टॉसफॉर्मर और अन्य तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी प्रशासनिक अमले पर निर्भर रहना पड़ेगा। इस के भी दो वर्ष हो गए, कोई काम ही नहीं हुआ है। छेदी पासवान जैसे बागी तेवर वाले विधायक तो सीधे मुख्यमंत्री पर निशाना साधते रहे हैं। वह कहते हैं कि सरकार के इस क़दम से साबित हो गया कि राज्य के सारे विधायक भ्रष्ट हैं। अगर वह चोर हैं तो उनके द्वारा चुना गया चोर दरवाज़े से आया नेता कैसे शरीफ़ हैं। नीतीश कुमार दावा कर सकते हैं कि उनकी सरकार का कौन सा विभाग भ्रष्टाचार से बिल्कुल मुक्त है। अगर नहीं है तो इन तमाम विभागों का बजट क्यों नहीं रोका गया। सिर्फ़ विधायक फंड को ही निशाना क्यों बनाया गया। इस योजना के कारण ही जनता की कई समस्याओं का आसानी से निवारण हुआ है। इस्तीफ़ा देने का एलान कर चुके राज्यसभा सदस्य एवं जदयू के नेता उषेंद्र कुशवाहा ने सबसे पहले इस पर सवालियां निशान लगाया। उनके अनुसार सिर्फ़ इस बिना पर की उक्त योजना में भ्रष्टाचार होता है, उसे बंद कर देना उचित क़दम नहीं माना जा सकता है। भ्रष्टाचार के नाम पर योजनाओं पर रोक लगाई जाएगी तो सारे विकास कार्य ठप्प हो जाएंगे। प्रायः सभी योजनाओं एवं विकास कार्यों में भ्रष्टाचार एवं अनियमितता की शिकायतें आती हैं। भ्रष्टाचार के समुल नाश के लिए प्रशासनिक मशीनरी को दुरुस्त किया जाना चाहिए। उसकी कमियों को दूर किया जाना चाहिए। वैसे भी सीधे जनता से निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की निधि को खत्म करना उचित नहीं है। इस निधि को समाप्त करना था तो राज्यसभा एवं विधान परिषद सदस्यों का किया जा सकता था। कुछ विधायकों ने दबी जुबान नीतीश कुमार के ऐसे कदमों की कड़ी आलोचना की। उनका दर्द है कि उनके पिछले कार्यकाल में नौकरशाहों के समक्ष जनप्रतिनिधियों की धेले भर भी औकात नहीं रहने दिया था। वहीं इस बार विधायक फंड का सफ़ाया कर विधायक, विधान पाषंडों को प्रशासनिक अधिकारियों के रहमोकरम पर छोड़ दिया गया है। कुछ विधायक तो कहते हैं कि पूरे राज्य के लिए विधायकगण विधानसभा में विधेयक पर मुहर लगाते हैं। वहीं विधायकों के मामले में राज्य सरकार कैबिनेट के बैठक में ही फ़ैसला कर लेती है। मुख्यमंत्री की मंशा सही होती तो वह विधानसभा की बैठक बुला कर इस मुद्दे पर खुली बहस करवाते, विधायकों की राय ली जाती। तदुपरांत निर्णय लिया जाना चाहिए था। जबकि राज्य सरकार ने इस मामले में एकतरफ़ा निर्णय लेकर लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है। मान्य लोकतांत्रिक परंपराओं का हनन किया गया है। आखिर करें तो क्या बेचारे विधायक जी. ■



पूर्वी चंपारण जिला मुख्यालय के छोटा बरियारपुर स्थित विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाले बाल-बटुक आईएस, आईपीएस, डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बल्कि विद्वान बनना चाहते हैं।

सुनील सौरभ

feedback@chauthiduniya.com

ऐतिहासिक शहर उपेक्षित है

धार्मिक पर्यटन स्थल के तौर पर जाना जाने वाला प्राचीन शहर गया आज भी अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। विकास की तमाम संभावनाओं, आधारभूत संसाधनों के बावजूद पूरी दुनिया में मोक्षधाम के रूप में प्रसिद्ध शहर गया को धार्मिक पर्यटन स्थल का दर्जा नहीं मिल पाया है। बदलते परिवेश में भी यह शहर अपनी सांस्कृतिक, सामाजिक परंपराओं से बहुत अलग नहीं हो पाया है। चार भागों में बंटा यह शहर कभी अपने बेहतर नागरीय व्यवस्था यानी हर और सड़क, सफाई की समुचित व्यवस्था, अद्वितीय सिस्टम के लिए जाना जाता था, लेकिन बढ़ती आबादी, बेतरतीब तरीके से बसते मुहल्ले ने इस शहर की समस्याओं को और बढ़ा दिया है। बिहार के एक बड़े नगर निगम के रूप में गया को जाना जाता है। यहां 54 वार्डों का नगर निगम है, लेकिन यह नगर निगम खुद समस्याओं से ग्रस्त है। महापौर, उपमहापौर, स्थायी सशक्त कमेटी तथा कुछ वार्ड पार्षदों, नगर आयुक्त और नगर निगम कर्मियों के बीच आपसी तालमेल का अभाव तथा स्वार्थपरक राजनीति ने कथित रूप से अंतरराष्ट्रीय शहर का दावा करने वाले इस प्राचीन शहर का बेड़ा गंकर दिया है। विकास की बजाय यहां का हर जनप्रतिनिधि अपने तथा अपने सगे-संबंधियों के कल्याण की बात अधिक सोचता है। कोई भी कार्य हो इसमें गुणवत्ता को नजरअंदाज कर अधिक राशि कमाने की ही कोशिश की जाती है। गया नगर निगम के सफाईकर्मियों समेत सभी कर्मियों का वेतन कई महीनों का बकाया है। वेतन की मांग को लेकर नगर निगम कर्मियों को बराबर हड़ताल करना पड़ता है। इस शहर की यह स्थिति तब है। जबकि इस शहर के विधायक सूबे के नगर विकास मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार हैं। शहरवासियों के लिए सर्वसुलभ रहने वाले प्रेम कुमार लंबे समय 1990 से गया का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यहां की एक-एक समस्याओं से वाकिफ हैं। फिर भी जब वह सूबे के लोग स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री थे, तब गया शहर को भीषण पेयजल संकट का सामना करना पड़ा था। आज जब वह नगर विकास मंत्री हैं तो गया शहर अतिक्रमण, फुटपाथी दुकानदारों का आतंक शहर के व्यस्ततम बाजारों-हृदय स्थलों पर बेतरतीब फुटपाथ का निर्माण, तालाबों का अतिक्रमण कर गाय-भैंस का आश्रय स्थल तथा उपले सुखाने का स्थल, बनी सड़क को ही दोबारा बनाना वगैरह कार्य हो रहे हैं। जबकि मंत्री प्रेम कुमार के फंड से ही कई बार रामसागर तालाब, बिसार तालाब, वैतरणी तालाब, रूकमिणि तालाब, ब्रह्म सरोवर, रामशिला सरोवर आदि में से कई के जीर्णोद्धार कार्य किए गए हैं। कभी शहर की सुंदरता तथा गर्मी से राहत दिलाने वाली इन तालाबों में बिसार तालाब, रामसागर तालाब, दिधी तालाब



की सबसे खराब स्थिति है। शहर में पवित्र शहीद स्थल के रूप में श्रद्धा का केंद्र गांधी मंडप, कोतवाली तथा धामीटोला स्थित शहीद स्मारक भी अतिक्रमण का शिकार है। इन स्थानों पर चाट-पकौड़े तथा दानुन बेचे जाते हैं। ये तो हर्ड अंग्रेजों के बसाए नवीन गया की बात। तंग गलियों वाली प्राचीन गया जिसे अंदर गया भी कहते हैं, की हालत तो और भी खराब है। विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले के समय ही इस क्षेत्र की स्थिति कुछ ठीक रहती है। शेष सालों भर इस क्षेत्र की ओर किसी का भी ध्यान नहीं जाता है। तीसरा भाग है मानपुर का जो फल्गु नदी के किनारे बसा है। जहां का पटवा टोली बिहार का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। यह हथकरघा तथा पावरलूम के जरीए सूती कपड़े के निर्माण का एक बड़ा केंद्र है, लेकिन गया शहर का हिस्सा होने के बाद भी इससे सीतेलेपन का व्यवहार किया जाता है। यही स्थिति शहर के पश्चिमी छोर पर स्थित डेल्हा से भी सौतेलेपन का व्यवहार विकास के मामले में किया जाता है। इस शहर की स्थिति इतनी दयनीय हो गई की लाचार होकर गया के सांसद हरि मांडी को अपने ही दल से

पीसीसी सड़क बनाने का काम हो या चापाकल लगाने का, फव्वारा निर्माण हो या तालाबों का जीर्णोद्धार, फुटपाथ निर्माण हो या अन्य कोई विकास कार्य सूबे के नगर विकास मंत्री के कुनबे में शामिल शहर के कुछ लोग ही इन कार्यों को करते रहे हैं। भले ही इन कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठता रहा हो। वर्ष 1990 से लेकर अब तक गया शहर में विधायक मद की राशि से किए गए कार्यों को देखा जाए तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि करोड़ों-करोड़ खर्च के बाद भी अधिकांश कार्य अच्छी स्थिति में नजर नहीं आता है। छोटा चापाकल हो या बड़ा चापाकल, नाला गोली निर्माण हो या पीसीसी, तालाबों पाकों का सौंदर्यीकरण हो जीर्णोद्धार या फिर पौधा लगाने का कार्य, इन कार्यों में कहीं भी गुणवत्ता नहीं रहने के कारण आज ये सभी काम नजर नहीं आता है। कहने का मतलब यह कि विश्व में प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में गया-बोधगया जाना जाता है, लेकिन सरकारी स्तर पर या जनप्रतिनिधियों का कोई प्रयास इस शहर को बेहतर बनाने में नजर नहीं आ रहा है।

प्रमोद प्रभाकर

feedback@chauthiduniya.com

विधायक राम सेवक हजारी की मौत के बाद कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव को लेकर हर दल के नेता टिकट की दावेदारी को लेकर क्षेत्र में दौरा कर अपनी-अपनी बंशी बजा रहे हैं। हर दल से चार-पांच उम्मीदवार अपनी दावेदारी क्षेत्र की जनता के सामने पेश करने में लगे हैं। वहीं जदयू महादलित प्रकोष्ठ के नेता उपेंद्र कुमार दास ने तो अभी से लगभग 80 बूथों पर अपनी कमेटी बनाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने अपना दावा पेश कर दिया है। चुनाव के लिए दिन रात एक कर वोटों से मिलना जुलना भी शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी ओर कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र निवासी सह जदयू दलित प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राम बालक पासवान ने भी मैदान में कूदकर अपनी दावेदारी के लिए जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी वारिसनगर विधायक सह जिलाध्यक्ष अशोक कुमार मुन्ना, पूर्वमंत्री रामनाथ ठाकुर एवं उजियारपुर सांसद अश्वमेध देवी के समक्ष टिकट की दावेदारी पेश कर रखी है।

वहीं राम बालक पासवान का मानना है कि अगर आलाकमान क्षेत्र के नेता से हटकर किसी अन्य को टिकट देने का काम करते हैं तो उसे वर्ष 2009 के उपचुनाव में जिस तरीके से बाहरी प्रत्याशी पराजित हुआ था, उसी प्रकार वर्ष 2013 के उपचुनाव में मुंह की खानी पड़ेगी। वहीं महादलित प्रकोष्ठ के नेता उपेंद्र कुमार दास का कहना है कि, मैं बसपा से जिलाध्यक्ष तीन बार और जिला प्रभारी दो बार रह चुका हूँ। कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के डेढ़ लाख महादलित मतदाता, घैंतीस हज़ार मुसलमान, पचास हज़ार सर्वर्ण और 60 कुशवहा मतदाताओं के बीच एक समाज सेवी नेता के रूप में मेरी एक अलग पहचान है। मेरे टिकट की दावेदारी की पेशी मुख्यमंत्री के यहां इन तमाम जाति के मतदातागण के द्वारा किया जाएगा। उपेंद्र दास का यह भी मानना है कि अगर पार्टी के अंदर परिवारवाद हुआ तो कल्याणपुर विधानसभा की जनता धूल चटाने का काम करेगी। जबकि उपेंद्र कुमार दास बसपा को छोड़कर जदयू में 31 मार्च 2012 को अपने समर्थकों के साथ शामिल हुए थे तो उस समय लगभग 31 जिलाध्यक्ष एवं पांच हज़ार समर्थकों के साथ राज्य

कल्याणपुर उपचुनाव

दावेदारी के लिए जंग



दुर्गेश राय

राम बालक पासवान

उपेंद्र कुमार दास

अनीता राम

सभा सदस्य सह जदयू राष्ट्रीय महासचिव आरसीपी सिंह की मौजूदगी में जदयू प्रदेश कार्यालय में सदस्यता ग्रहण की थी। वहीं जदयू प्रदेश महासचिव दुर्गेश राय ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिसे भी टिकट देंगे हम उन्हें तन मन धन से जीताकर विधानसभा भेजने का काम करेंगे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मुख्यमंत्री के दस अच्छे कार्यकर्ताओं में दुर्गेश राय का नाम लिया जाता है, लेकिन ये वाद विवाद एवं

टीका टिप्पणी से हमेशा दूर रहने का काम करते हैं। समस्तीपुर के सांसद महेश्वर हजारी ने बताया कि विधायक मेरे पिता राम सेवक हजारी के मृत्यु के बाद टिकट मुख्यमंत्री मेरे ही परिवार को देंगे, लेकिन क्षेत्र में चर्चा के दौरान यह भी बताया गया है कि स्व. राम सेवक हजारी के द्वितीय पुत्र राजेश्वर हजारी अलग से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में अनीता राम ने भी विधानसभा क्षेत्र में जन संपर्क अभियान

उपेंद्र कुमार दास बसपा को छोड़कर जदयू में 31 मार्च 2012 को अपने समर्थकों के साथ शामिल हुए थे तो इस समय लगभग 31 जिलाध्यक्ष एवं पांच हज़ार समर्थकों के साथ राज्य सभा सदस्य सह जदयू राष्ट्रीय महासचिव आरसीपी सिंह की मौजूदगी में जदयू प्रदेश कार्यालय में सदस्यता ग्रहण की थी। वहीं जदयू प्रदेश महासचिव दुर्गेश राय ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिसे भी टिकट देंगे हम उन्हें तन मन धन से जीताकर विधानसभा भेजने का काम करेंगे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर मुख्यमंत्री के दस ओल्ड इज गोल्ड कार्यकर्ता होंगे तो इसमें से एक दुर्गेश राय का नाम लिया जाता है, लेकिन ये वाद विवाद एवं टीका टिप्पणी से हमेशा दूर रहने का काम करते हैं।

शुरू किया है। वहीं लोजपा के अखाड़े में इतने पहलवान नजर आ रहे हैं कि आपस में ही उठा पटक की नौबत बन गई है। इस आग में घी डालने का काम राजद उम्मीदवार कर रहे हैं। पटना में रामविलास पासवान के दामाद मृणाल के भी यहां से उपचुनाव लड़ने की चर्चा है। कल्याणपुर में इस बात पर भी विचार हो रहा है कि किसी भी विवाद से बचने के लिए बेहतर होगा कि मृणाल को ही टिकट दे दिया जाए ताकि लोजपा एवं राजद के कार्यकर्ता एकजुट होकर यहां का किला फतह कर सकें। गौरतलब है कि मृणाल की राजद कार्यकर्ताओं में भी अच्छी पैठ है। लालू प्रसाद भी उन्हें पसंद करते हैं।

वेद विद्यालय उदासिनता का दंश झेल रहा है



चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को जिंदा रखने एवं वैदिक संस्कारों का ज्ञान देकर बाल-बटुकों को देश का जिम्मेदार नागरिक बनाने वाला बिहार का इकलौता वेद विद्यालय सरकार की नज़रों से काफ़ी दूर है। पूर्वी चंपारण के जिला मुख्यालय के छोटा बरियारपुर स्थित इस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाले बाल-बटुक आईएस, आईपीएस, डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बल्कि विद्वान बनना चाहते हैं। आधुनिकता के इस दौर में जहां हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि उनके बच्चे शहरों में जाकर बड़े स्कूलों में पढ़ लिखकर ऑफिसर बनें और अधिक से अधिक पैसे कमाएं, वहीं इस विद्यालय के छात्र आधुनिकता से काफ़ी अलग हैं। यहां पढ़ने वाले सभी बाल बटुक गेरुआ वस्त्र पहनते हैं और वेद मंत्र पढ़ते हैं। आज जहां समस्त सरकारी तथा गैर सरकारी शिक्षण संस्थान व्यवसायिक शिक्षा पर बल दे रही हैं और अभिभावकों का शोषण कर रही हैं, वहीं यह विद्यालय सरकारी उपेक्षा का शिकार होने के बावजूद भारतीय सभ्यता का गवाह बनता जा रहा है। वर्ष 2002 में सुशील कुमार पांडेय द्वारा स्थापित इस शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान, वेद विद्यालय के विकास की चिंता न तो सरकार को है और न ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों को। केंद्र सरकार द्वारा इस विद्यालय को सहयोग तो मिला है, लेकिन वह राशि उंट के मुंह में जिरा साबित हो रही है। इस विद्यालय के बाल बटुक संसाधन के अभाव में अनेक तरह की परेशानियों से जूझते हैं और अभी

भी फुस की झोपड़ी में पढ़ाई करते हैं। संस्था के प्राचार्य सुशील कुमार पांडेय बताते हैं कि सरकार एवं शिक्षा विभाग का सहयोग अगर मिला होता तो यह विद्यालय गुरुकुल परंपरा के अनुसार त्रिकाल संध्या अग्निकार्य आदि दिनचर्या के साथ छात्रों को वैदिक सस्वर उच्चारण की मौखिक शिक्षा के लिए पूरे देश में जाना जाता है। यहां संस्कृत संभाषण, ज्योतिष कर्मकांड एवं योग आदि का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। दूसरी तरफ पंडित उगम पांडेय महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. प्रो. कर्मात्मा पांडेय बताते हैं कि सरकार की शिक्षा नीति स्पष्ट नहीं होने के कारण इस तरह की परेशानी होती है। वह कहते हैं कि भारतीय सभ्यता को जिंदा रखने के लिए सरकार को इस तरह के विद्यालयों को सहयोग करनी चाहिए। भारतीय सभ्यता रहेगा तभी हमारी प्रतिष्ठा बचेगी। पश्चिमी सभ्यता ने जिस तरह से भारतीय सभ्यता पर हमला बोला है और जो नुकसान हो रहा है उसे बचने के लिए इस तरह के विद्यालयों पर सरकार को विशेष ध्यान देनी चाहिए। यहां यह भी बता दें कि पूरे बिहार में यही एक वेद पाठशाला है, जहां चारों वेदों की पढ़ाई के साथ-साथ उपनिषद, ज्योतिष, व्याकरण, योग एवं व्यवहारानुकूल संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, गणित एवं समाजशास्त्र की पढ़ाई निःशुल्क की जाती है। वर्तमान में पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, शिवहर, वैशाली एवं पड़ोसी देश नेपाल के 110 छात्र आवासीय तथा गैर आवासीय रूप से अध्ययन कर रहे हैं। उनके वेश-भूषा, रहन सहन दैनिक दिनचर्या को देखकर मुहल्ले का नाम महर्षी नगर विख्यात हो गया है।

इंडियन इंस्टीच्युट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एण्ड रिसर्च
हेल्थ इंस्टीच्युट रोड, बेठार, पटना-९

(बिहार सरकार, भारतीय युनवांस परिषद, भारत सरकार तथा आई.ए.पी.से मान्यता प्राप्त)

मगय विद्वविद्यालय, बोधगया से संबन्धन प्राप्त

<p>We Impart:-</p> <p>POST GRADUATE COURSES:</p> <p>MPT Master of Physiotherapy</p> <p>MOT Master of Occupational Therapy</p> <p>MPO Master of Prosthetic & Orthotic</p> <p>MASLP Master of Audiology & Speech Language Pathology</p> <p>BPT Bachelor of Physiotherapy</p> <p>BOT Bachelor of Occupational Therapy</p> <p>BPO Bachelor of Prosthetic & Orthotic</p> <p>BASLP Bachelor of Audiology & Speech Language Pathology</p> <p>BMRT Bachelor of Radio Imaging Technology</p> <p>BMLT Bachelor of Medical Laboratory Technology</p> <p>B.Ed. (Special Education)</p> <p>B.Ophth. Bachelor of Ophthalmology</p>	<p>संस्थान द्वारा संचालित निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएँ</p> <ul style="list-style-type: none"> स्वास्थ्य परीक्षण एवं परामर्श टीकाकरण फिजियोथेरापी अक्यूपेशनल थेरापी स्पीच थेरापी नेत्र जाँच सभी प्रकार की विकलांगता पोलियो, लकवा, गठिया, हड्डी, जोड़ एवं नस से संबंधित सभी प्रकार के रोगों की जाँच एवं उपचार हकलाना, तुतलाना सहित गुं-बहरों की जाँच एवं उपचार हियरिंग-एड मानसिक विकलांगता तथा मंद बुद्धिपता जाँच एवं उपचार कृत्रिम हाथ, पैर, कैलीपर, पोलियो के जुते, वैशाखी, सर्वाइकल कॉलर, वेल्ड आदि का निर्माण एवं वितरण लाचार विकलांगों को तिपहिया-साकिल तथा व्हीलचेयर विकलांगों की शल्य चिकित्सा, सर्जिकल करेक्शन रियायती दर पर पैथोलोजिकल जाँच, एक्स-रे, इ.सी.जी. तथा शल्य
--	---


1 Yr. ABRIDGED DEGREE For DPT & DOT

फोन नं. : 0612-2253290, 2252999, फैक्स: 0612-2253290, email. iiber_beur@gmail.com, www.iiber.org



महाकुंभ

सरकार की अग्नि परीक्षा



दर्शन शर्मा

feedback@chauthiduniya.com

इलाहाबाद में हो रहे महाकुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार के लिए अग्निपरीक्षा की तरह है. सरकार का दावा है कि वह श्रद्धालुओं को पूरी सुरक्षा और सुविधा मुहैया कराएगी. संगम पर स्वच्छ जल में डुबकी लगाने का अवसर श्रद्धालुओं को जरूर मिलेगा. श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की परेशानी न हो और सारी गतिविधियां सामान्य तरीके से चल सकें इसके लिए सरकार ने हाईटेक व्यवस्था की है. 14 जनवरी से शुरू हो रहा महाकुंभ मेला 55 दिनों तक चलेगा. महाकुंभ मेले का क्षेत्रफल तकरीबन 1930 हेक्टेयर है. उत्तर प्रदेश सरकार ने मेले के चप्पे-चप्पे की सुरक्षा के लिए पुख्ता प्रबंध किए हैं. नगर विकास मंत्री आजम खां के अनुसार कुंभ मेला क्षेत्र को 14 सेक्टरों में बांटा गया है. 2001 के कुंभ और 2007 में हुए अर्धकुंभ में आयोजन स्थल को 11-11 सेक्टरों में विभाजित किया गया था. इस बार वाहनों की पार्किंग के लिए 99 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं, जबकि 2001 में 35 एवं 2007 में 44 पार्किंग स्थल बनाए गए थे. इस बार कुंभ मेला परिक्षेत्र में 30 अस्थाई पुलिस थाने स्थापित किए गए हैं. कुंभ मेले की सुरक्षा की जिम्मेदारी 12461 पुलिस कर्मियों को सौंपी गई है. 2001 व 2007 में 28-28 थाने बनाए गए थे और क्रमशः 9965 व 10913 पुलिस कर्मियों को सुरक्षा में तैनात किया गया था. महाकुंभ में सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश पीएसी की बाढ़ कंपनी सहित 46 कंपनियों और आरएफएफ(रेपिड एक्शन फोर्स) सहित केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 40 कंपनियां भी तैनात हैं. 2001 और 2007 के कुंभ मेले की निगरानी के लिए तुलना में इस बार अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. 2001 के कुंभ मेले में ऐसी कोई व्यवस्था सरकार ने नहीं की थी लेकिन 2007 में 19 सीसीटीवी कैमरों की मदद से सुरक्षा को चाकचौबंद बनाने की कोशिश की गई थी. आग लगाने जैसी घटना से बचाव के लिए मेला परिक्षेत्र में 30 फायर स्टेशन भी बनाए गए हैं.

राज्य सरकार ने महाकुंभ के दौरान इलाहाबाद नगर और मेला क्षेत्र में 24 घंटे बिजली आपूर्ति करने का फैसला किया है. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गया है. उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक एपी मिश्र के अनुसार महाकुंभ की महत्ता को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है. 24 घंटे विद्युत आपूर्ति बनी रहे इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है. केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के आदेशों एवं ग्रिड सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में यह आदेश लागू होगा. पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इस बार महाकुंभ में रोशनी के लिए सीएफएल लगाने का फैसला किया गया है. सरकार के इस फैसले से लाखों यूनिट बिजली की बचत होगी और बल्बों की तुलना में बेहतर रोशनी भी मिलेगी. एक लाख सीएफएल के साथ 22 हजार स्ट्रीट लाइट प्वाइंट लगाए गए हैं. घाटों पर सौ हाई मास्क लगे हैं. महाकुंभ क्षेत्र में करीब सात किलोमीटर एलटीइ(लो टेंशन इलेक्ट्रीसिटी) लाइन और 65 किलोमीटर लंबी हाई टेंशन लाइन लगाई गई है. वहीं चार सौ किलो वाट क्षमता वाले 50 सब स्टेशन बनाए गए हैं. एक लाख से अधिक अस्थायी विद्युत कनेक्शन दिये जा रहे हैं. मेले के झूंसी क्षेत्र में हनुमानगंज से विद्युत आपूर्ति की जा रही है. इसके लिए करीब 17 किमी लंबी नई लाइन खींची गई है.

मेला क्षेत्र में आने वालों के लिए 40 नलकूप लगाए जाएंगे. जिसमें रोजाना 80 हजार लीटर पेयजल की आपूर्ति होगी. इसके लिए पांच ओवर हेड टैंक भी बनाए गए हैं. कल्पवासियों, साधु संतों एवं तीर्थ यात्रियों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न वितरण के लिए 16 हजार 200 मीट्रिक टन गेहूँ तथा 96 मीट्रिक

टन चावल का आवंटन किया गया है. मेले में स्नान के दौरान होने वाली किसी भी अग्रिय घटना से निपटने के लिए शासन ने नई तकनीकी युक्त 71 नावें खरीदी हैं. इसके साथ ही गोताखोरों की भी पूरी व्यवस्था की गई है. प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के अनुसार पीएसी के 10 जवानों को कोलकाता सी एक्सप्लोरर एजेंसी ने गोताखारी का प्रशिक्षण दिया है. इन सभी को कुंभ मेले में तैयार किया जा रहा है. कुंभ मेले में सुरक्षित बस संचालन के लिए परिहवन निगम प्रबंधन ने मोबाइल चेकिंग स्कवायड की स्थापना की है. मेले के दौरान इलाहाबाद की ओर जाने वाले आठ सड़क


मार्गों पर बसों के सुव्यवस्थित संचालन, यात्री सुविधा, दुर्घटना, जाम की स्थिति आदि से निपटने के लिए मोबाइल स्कवायड तैनाती किए गए हैं. चेकिंग स्कवायड के यातायात अधीक्षक के मोबाइल नंबर पास के पुलिस थाने व पुलिस चौकी में भी उपलब्ध रहेंगे, जिससे जरूरत पड़ने पर तत्काल पुलिस सहायता ली जा सके. मोबाइल चेकिंग स्कवायड संबंधित मार्गों पर अनाधिकृत स्थानों पर रोडवेज बसों को नहीं रोकने सहित दुर्घटना व जाम की स्थिति से निपटने के लिए सहायता दल को सहयोग करेंगे. मेला स्थल से 25 किमी की दूरी पर चेकपोस्ट के निकट चेकिंग स्कवायड तैनात किए गए हैं.

महाकुंभ में पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए पॉलीथीन के प्रयोग पर रोक लगाई गई है. इसके लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए रोडवेज की बसों के अंदर स्टीकर लगाए जाएंगे. इसके अलावा परिवहन निगम प्रबंधन ने कुंभ मेले में जाने वाली बसों के लिए 7 हजार स्टीकर अलग से छपवाए हैं. यात्रियों की सुविधा के लिए परिवहन निगम की ओर से हेल्लोलाइन नंबर के स्टीकर बस के अंदर नए सिरे से लगाए जाएंगे. सफर के दौरान किसी प्रकार की असुविधा की शिकायत के लिए बसों के अंदर नए सिरे से हेल्लोलाइन नंबर के स्टीकर लगाए जाएंगे.

महाकुंभ में होने वाले पहले स्नान के लिए श्रद्धालु बेताब हैं. लेकिन गंगा नदी का हाल बेहाल है. गंगा की अवरिल धारा गंगा सागर में पहुंचने से पहले ही निर्बल होती जा रही है. उद्योग धंधों के गंदे कचरे से गंगा मैली हो गई है. नालों ने इसके निर्मल जल को दूषित कर दिया है. औद्योगिक इकाइयों में लगने वाले फिल्टर प्लांट सफेद हाथी बन गए हैं. कारखानों का रसायन चोरी से नदियों में बहा दिया जाता है. गंगा भी इससे अछूती नहीं है. रासायनिक पानी के जल में मिलने के कारण गंगा को साफ रखने वाली जलीय जीवों की संख्या भी में भी तेजी से कमी आ रही है. राज्य सरकार की मंशा है कि हिंदुओं की धार्मिक आस्था को ठेस न लगे. इसलिए मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी को गंगा किनारे औद्योगिक इकाइयों को बंद कराने के निर्देश जारी किए हैं. साथ ही गंगा में बहाए जा रहे प्रदूषित पानी को रोकने का निर्देश दिए हैं. सूत्रों के मुताबिक हापुड़ जिले में सिंभावली शुगर मिल व डिस्टलरी और स्थाना कस्बे में एक दुग्ध प्लांट का रसायन युक्त पानी 18 गांवों से होकर जनपद हापुड़ के गांव पूठ के पास गंगा में डाला जा रहा है. गांव पूठ के लोगों का मानना है कि गंदे नाले के रासायनिक प्रदूषकों के कारण गंगा मैली हो रही है, जिससे गंगा नहाने क्या आचमन करने योग्य भी नहीं रह गई है. आजकल की युवा पीढ़ी की इस तरह के आयोजन से आस्था गंगा की बिगड़ती हालत को देखकर खत्म होती जा रही है.

सरकार के ऊपर महाकुंभ के सफल आयोजन का दबाव है. इसके लिए उसने तैयारियां पूरी कर ली है. कुंभ मेले की अवधि सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है. इतने लंबे समय तक भक्तों को सभी सुविधाओं सुचारू रूप से प्रदान कर पाना सरकार के लिए आसान नहीं होगा. कुंभ मेले को उन आरोपों की छाया से बचा पाना भी सरकार के लिए आसान नहीं होगा. ऐसे भी सरकार क़ानून व्यवस्था को लेकर बहुत सारे आरोपों का लगातार सामना करना पड़ रहा है. देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार देश के करोड़ों हिंदु भक्तों की आशाओं पर कितनी खरी उतरती है. ■

राज्य सरकार ने महाकुंभ के दौरान इलाहाबाद नगर और मेला क्षेत्र में 24 घंटे बिजली आपूर्ति का करने का फैसला किया है. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गया है. पावर कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक एपी मिश्र के अनुसार महाकुंभ की महत्ता को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है. 24 घंटे विद्युत आपूर्ति बनी रहे इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है. केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के आदेशों एवं ग्रिड सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में यह आदेश लागू होगा. पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इस बार महाकुंभ में रोशनी के लिए सीएफएल लगाने का फैसला किया गया है. सरकार के इस फैसले से लाखों यूनिट बिजली की बचत होगी और बल्बों की तुलना में बेहतर रोशनी भी मिलेगी.



सभी फोटो-प्रभात चण्डेय



2013

बेटी बचाओ वर्ष

राजकुमार शर्मा	feedback@chauthiduniya.com
-----------------------	----------------------------

दिल्ली में हुई बलात्कार की घटना के बाद देश भर में हुए विरोध प्रदर्शन और महिलाओं के खिलाफ अपराधों में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए धार्मिक संस्थाओं ने भी समाज को जागरूक बनाने का बेड़ा उठा लिया है. उत्तराखंड की श्री जयराम संस्थाओं कन्या भूषण हत्या को जन्म्य अपराध करार करते हुए वर्ष 2013 को कन्या बचाओं



वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया है. हरिद्वार में भूषण हत्या रोकने के लिए व्यापक जन जागरण अभियान चलाने का फैसला किया गया है. इस संस्था के प्रमुख उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रमुख कुमुपति रहे ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी इस अभियान को इलाहबाद महाकुंभ में डुबकी लगाने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को भूषण हत्या न करने का प्रण कराएंगे. कुंभ मेले

जल नीति पर राज्य ने केंद्र से सहयोग मांगा

राजकुमार शर्मा	feedback@chauthiduniya.com
-----------------------	----------------------------


उत्तराखंड राज्य ने अपनी जल नीति के लिए केंद्र से सहयोग मांगा है. राज्य के सिंचाई मंत्री यशपाल आर्य और भारत सरकार में केंद्रीय जल मंत्री हरीश रावत की जुगलबंदी का लाभ तो हिमालयी राज्य उत्तराखंड जल के मामले में आत्म निर्भरता हो जाएगा. उत्तराखंड में खासकर वनटीय क्षेत्रों में हर गांव में चूक डैम बनाकर जल संरक्षण और शहरी क्षेत्रों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य बनाने पर जोर दिया गया है. सिंचाई मंत्री यशपाल आर्य ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री हरीश रावत से राज्य की विषय



परिस्थितियां देखते हुए सिंचाई और जल संरक्षण उपायों के लिए केंद्रीय योजनाओं में धील देने की प्रैरवी है. नई दिल्ली में प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की छठवाँ बैठक में सिंचाई मंत्री यशपाल आर्य ने राज्य को ग्रीन बोस देने का मुद्दा भी उठाया.

सिंचाई मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड का हिमालयी क्षेत्र गंगा, यमुना, रामगंगा, शारदा और टॉम जैसी बड़ी नदियों का उद्गम क्षेत्र है. देण के अन्य क्षेत्रों की संपन्नता और खुशहाली इन उद्गम स्थलों के बेहतर संरक्षण और संवर्धन से ही संभव है. नदियों के बूते ही राज्य का 65 फीसदी भाग बनाछादित है. इस क्षेत्र के संरक्षण के एखज में राज्य को ग्रीन बोस मिलना चाहिए. सिंचाई मंत्री ने बताया कि उत्तराखंड को 85.57 मिलियन घनमीटर वर्षा जल मिलने के बावजूद महज प्रदेश की 45 फीसदी कृषि भूमि ही सिंचित है. वर्षा जल को संचित करने के साधनों

चौथी दुनिया



कई अखाड़े शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती की सोच को सकारात्मक और जस्ती बताते हुए उनके पक्ष में खड़े हैं।

अजय कुमार	feedback@chauthiduniya.com
------------------	----------------------------

उत्तर प्रदेश सरकार विगड़ती कानून व्यवस्था के कारण विपक्ष के निशाने पर है. आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र कानून व्यवस्था के मसले को बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो खाली नहीं जाने देना चाहती है. मायावती ने एक बार फिर समाजवादी सरकार को कठघरे में खड़ा करके इस बात के संकेत भी दे दिए हैं. नए साल की खुशियां मना रहे समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को अपने अंदाज में घेरते हुए मायावती ने लाचार मुख्यमंत्री की अनुवाइं वाली गुंठों की सरका बताया है. लखनऊ में उनके नेतारों से साफ लग रहा था कि वह कानून व्यवस्था की बहाली को चुनावी मुद्दा बनाने के मुड में हैं. यही 2014 के लोकसभा चुनावों में सपा के लिए कमजोर कड़ी साबित हो सकता है. इसी मुद्दे पर वह बसपा सपा को आसानी से घेर सकती है.

सपा के लिए ध्वस्त कानून व्यवस्था इस हिसाब से भी जुबदायी साबित हो रही है क्योंकि पिछली बार 2007 में प्रदेश की सत्ता पर काबिज मुलायम सिंह की अनुवाइं वाली समाजवादी सरकार को सत्ता से बेवखल करने के लिए बसपा ने प्रदेश से जललराज खस्य करने का नारा दिया था. अब बसपा सुप्रिमो अपने इस पुराने हथियार की लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र धार तेज़ करने में लगी हुई हैं. इसके साथ ही सपा सरकार को फंसाने के लिए जाल बुन रही हैं. ऐसा नहीं है कि विपक्ष या फिर बसपा को ही प्रदेश की विगड़ी कानून व्यवस्था की चिंता है, समाजवादी सरकार भी इस समस्या से निपटने की पूरजोर कोशिश कर रही है, लेकिन नौकरशाहों और पुलिस के बड़े अधिकारियों पर सरकार का प्रभावकारी नियंत्रण नहीं होने के कारण उनकी कोशिशें परिणाम में नहीं बदल पा रही हैं. इसी कारण दैनिक अखबारों के पन्ने प्रदेश में लगातार हो रही अपराधिक घटनाओं की खबरों से पटे दिखाई दे रहे हैं. इसी कारण मायावती को आजकल समाजवादी सरकार में खामियां ही खामियां नजर आ रही हैं. और वह किसी भी तरह से सपा सरकार की जगता के बीच बनी इमेज को तोड़ना चाहती हैं. नए साल की शुभआत होते ही मायावती ने सरकार पर काफी तीखा हमला बोला. उनका कहना था कि प्रदेश में अराजकता की स्थिति है. जिस सरकार के 48 में से 26 यानी 54 प्रतिशत मंत्रियों का रिकार्ड अपराधिक हो, जिस पार्टी में गुंडे बढसपात और भ्रष्टाचारी भर पड़े हों उस पार्टी से और कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती है. बहरहाल, विगड़ी कानून व्यवस्था से जुड़ रही सपा सरकार ने नए साल पर कुछ सख्त कदम उठाने की घोषणा करते अपनी साख बचाने की कोशिश जरूर की है. दिल्ली में हुई बलात्कार की घटना के बाद देश भर में हुए विरोध प्रदर्शन के बाद अखिलेश सरकार राज्य में अपराधों पर अंकुश लगाने, खासकर महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के खिलाफ सख्त नज़र आ रही है. उसकी सख्ती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अपराधों पर नियंत्रण के लिए उनसे एक साथ कई कड़े फैसल लिए हैं. इस क्रम में प्रदेश शासन ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य के किसी भी हिस्से में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले विचित्र अपराधों जैसे कि छेड़छाटी, शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न,

बलात्कार, वहेज उत्पीड़न व हत्या आदि के संबंध में यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो इस संबंध में त्वरित गति से प्रभावी वैधानिक कार्यवाही की जाए. शासन द्वारा यह भी कहा गया है कि उत्पीड़न के मामले बिना किसी हिचक के दर्ज किए जाएं. इस संबंध में किसी तरह की हीन न बरती जाए. विचल की शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी. इनना ही नहीं ऐसे अपराधों की विवेचना धारित अवधि में पूर्ण कर चार्जशीट सम्य से न्यायालय में दाखिल किए


क़ानून व्यवस्था

बसपा के रडार पर सपा



बसपा सुप्रिमो अपने इस पुराने हथियार की लोक सभा चुनाव के मद्देनज़र धार तेज़ करने में लगी हुई हैं. इसके साथ ही बसपा सपा सरकार को फंसाने के लिए जाल बुन रही हैं. ऐसा नहीं है कि विपक्ष या फिर बसपा को ही प्रदेश की विगड़ी कानून व्यवस्था की चिंता है, समाजवादी सरकार भी इस समस्या से निपटने की पूरजोर कोशिश कर रही है, लेकिन नौकरशाहों और पुलिस के बड़े अधिकारियों का प्रभावकारी नियंत्रण नहीं होने के कारण अब तक कोशिशें परिणाम में नहीं बदल पा रही हैं. इसी कारण दैनिक अखबारों के पन्ने प्रदेश में लगातार हो रही अपराधिक घटनाओं की खबरों से पटे दिखाई देते हैं. यही वजह है कि मायावती को आजकल समाजवादी सरकार में खामियां ही खामियां नजर आ रही हैं. और वह किसी भी तरह से सपा सरकार की जनता के बीच बनी इमेज को तोड़ना चाहती है.

बलात्कार, वहेज उत्पीड़न व हत्या आदि के संबंध में यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो इस संबंध में त्वरित गति से प्रभावी वैधानिक कार्यवाही की जाए. शासन द्वारा यह भी कहा गया है कि उत्पीड़न के मामले बिना किसी हिचक के दर्ज किए जाएं. इस संबंध में किसी तरह की हीन न बरती जाए. विचल की शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी. इनना ही नहीं ऐसे अपराधों की विवेचना धारित अवधि में पूर्ण कर चार्जशीट सम्य से न्यायालय में दाखिल किए



रो पिटर भी निर्मित कराए गए वह भी पारसी शैली के थे जिनमें अभी भी पैराडाइज़ और श्रीराम बसा कीर्तन सभा का प्रेशांग्रु अपने मूल रूप में है .

चौथी दुनिया

सर्वप्रथम समीक्षा होगी. महिला उत्पीड़न के मामलों में पीड़िता के बयान सीआरपीसी की धारा–164 में यथासंभव अवश्य दर्ज़ कराए जाएं तथा आवश्यकतानुसार सीआरपीसी की धारा–110 के अंतर्गत प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही की जाए. ऐसे मामलों में धारी धमराशिक के मुचलके भरए जाएं ताकि पालकों की शर्तों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके. महिला उत्पीड़न के अपराधों में अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने के उद्देश्य से पूर्व में योजित वादों एवं नए पंजीकृत वादों में डीजोरीसी (फिमिनन) तथा अभियोजन अधिकारियों के माध्यम से अहम अपराधों की प्रभावी कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए हैं.

पहिलाओं की मदद हेतु हाल ही में शूट की गई हेल्पलाइन 1090 सुपेन पावर लाइन के व्यापक प्रचार–प्रसार तथा उसके माध्यम से जनपदों को धेजे गए प्रकराणों पर शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं. कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाए रखने तथा अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु असमाजिक तत्वों का योजनबद्ध ढंग से विच्छिंत करने में विद्यमान आधुनिकतम तकनीकी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करते हुए सुविभोजित तरीके से उनका डाटा बेस तैयार किया जाएगा ताकि उनके विरुद्ध सख्त विधिक कार्यवाही की जा सके. डाटा बेस की सूचनाओं को अन्य जनपदों के साथ साझा कर अपराध निवंत्रण में उसका उपयोग किया जाए. असामाजिक तत्वों में लगी हुई है. इसके साथ ही सपा सरकार को फंसाने के लिए साहसिहो एवं लेखपालों की क्षमता का भी इस कार्य में पूर्णतया उपयोग किए जाने के निर्देश दिए गए हैं. उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव(गृह) आर.एफ. श्रीवास्तव ने बताया कि इस संबंध में प्रदेश के सभी मंडलयाकृतों, जौनल आईजी, रेंज डीआईजी., जिलाधिकारियों एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं. अपराधों की वैज्ञानिक तरीके से विवेचना तथा प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही की अपराधियों को सजा दिलाने हेतु सफल अभियोजन पर विशेष बल दिया गया है. ऐसे असामाजिक तत्व, जो दूसरों की जनम पर अतिक रूप से कब्जा कर उसका अवैध तरीके से फायदा उठाते हों, उनके विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की जाएगी और आवश्यकतानुसार ऐसे मामलों में प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही भी होगी. भू–माफिकार्यों को चिंहित कर उनके विरुद्ध पुलिस प्रशासन को नए उधे पर त्वरित कार्यवाही करने तथा संगठित अपराधियों को सूचीबद्ध करते हुए उनकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के भी निर्देश दिए गए हैं. शासन स्तर पर कहा गया है कि समय में बच्चों, युद्धों, दलितों, गणसंबंधकों एवं कमजोर वर्ग के लोगों की सुरक्षा के प्रति पुलिस पूर्ण रूप से सचेत एवं संवेदनशील रहे. यदि कहीं गुंडे खोखलें नजर आएं रहें, तो तत्काल प्रभासे वैधानिक कार्यवाही की जाए. शासन द्वारा जारी निर्देशों में यह भी कहा गया है कि यह सुनिश्चित किया जाए जारी निर्देशों में यह भी कहा गया है कि यह सुनिश्चित किया जाए पर असर डालने वाले अपराधों जैध गुंडागर्दी, दिनहहाड़े होने वाली दुस्साहसिक सारदातों, राइजनी, बैंक लूट, सन लूट आदि के मामलों में रासुका(राष्ट्रीय सुरक्षा कानून), गैंगस्टर व गुण्डा एकट आदि विधिक प्रक्रियाओं में पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही की जनपद और मंडल स्तर पर होने वाली मासिक समीक्षा बैठक में नियंत्रित किया जाए.■



सैनिकों की विधवाएं पेंशन के लिए भटक रही हैं

रेवू शर्मा	feedback@chauthiduniya.com
-------------------	----------------------------

असम राइफलस के शहीद जवानों की कुछ विधवाओं को पिछले दो साल से पेंशन नहीं मिलने का मामला संभन में आया है. बैंक के उच्चाधिकारियों से इस मामले की शिकायत की गई है. जवान की मृत्यु होने के बाद चार-पांच महीने के अंतर्गत विधवा को पारिवारिक पेंशन का भुगतान करने का प्रावधान है.

इन मामलों ऐसा लगता है कि देश की रक्षा के लिए जान छोड़ावर करने वाले सैनिकों की विधवाओं की कुछ दिने वाली कोई नई है. बैंकों की लापरवाही के कारण शहीदों की विधवाएं पेंशन के लिए दर–दर भटक रही हैं. केंद्र सरकार और राज्य सरकार हर स्तर पर सैनिक के हितोंगो होने का राग अलापती है. लेकिन इन मामलों को देखते हुए उनके वे दावे खोखलें नजर आएं रहे हैं. रुद्रप्रयाग जिले केदेवार गांव (गुप्तकाशी) की रहने वाली सुदेई देवी हों या फिर कीर्तिनगर के रिंकोली गांव की कलावती देवी. दोनों सैनिक विधवाएं पिछले दो साल से पारिवारिक पेंशन के लिए बैंकों के चक्कर पाटने को मजबूर है. पेंशन पमेंट आइं (पीपीओ) मिलने व केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय के आदेश के बावजूद पेंशन अदाकर्ता बैंक विधवाओं को पेंशन का भुगतान करने में टाल–मटोल कर रहे हैं. विधवाओं ने इसकी शिकायत भारतीय स्टेट बैंक के आंचलिक कार्यालय के उच्चाधिकारियों से भी की है.

फैज़ाबाद

प्रेक्षागृह का कार्याकल्प अधर में



राकेश कुमार यादव	feedback@chauthiduniya.com
-------------------------	----------------------------

साँझी नगरी अयोध्या–फैज़ाबाद को बीते दो दशकों से नाटकों के मंचन से वंचित होना पड़ा है. जिसका प्रमुख कारण इन दोनों शहरों में प्रेक्षागृहों की बदकाल के कॉन्सेप्टस में परिवर्तित कर दिया गया है. आजवादी के पूर्व और आजादी के बाद कई दशकों तक इन प्रेक्षागृहों में पौराणिक, ऐतिहासिक और पारसी शैली के सामाजिक नाटकों का मंचन किया जाता था, सिनेमा के आने के बाद इन तीनों प्रेक्षागृहों को सिनेमाहाल में तब्दील कर दिया गया कलात्मक भी निष्प्रयोज्य हो गए और नाटकों के मंचन हासिए पर चले गए. रंगकर्मियों के लगातार देबाव के कारण 2010 में नगर पालिका प्रशासन ने इन प्रेक्षागृह के कार्याकल्प की योजना को अमली जामा पहनना शुरू किया लेकिन वह भी विवादाों के कारण अधर में लटक गई है.

शारदासन ग्रंथ के ग्यारहवें खंड में वर्णित है कि अयोध्या के नरेश मनु ने जब राज्य सत्ता को स्वयंसेवक का दिना को अयोध्या में मंदिर –मस्जिद विवाद शुरू होने के कारण यहाँ रामंचीय गतिविधियों में सन्नाटा पसर गया. जिसके कारण प्रेक्षागृह भी निष्प्रयोज्य हो गए और नाटकों के मंचन हासिए पर चले गए. रंगकर्मियों के लगातार देबाव के कारण 2010 में नगर पालिका प्रशासन ने इन प्रेक्षागृह के कार्याकल्प की योजना को अमली जामा पहनना शुरू किया लेकिन वह भी विवादाों के कारण अधर में लटक गई है.

शारदासन ग्रंथ के ग्यारहवें खंड में वर्णित है कि अयोध्या के नरेश मनु ने जब राज्य सत्ता को स्वयंसेवक का दिना को अयोध्या में मंदिर –मस्जिद विवाद शुरू होने के कारण यहाँ रामंचीय गतिविधियों में सन्नाटा पसर गया. जिसके कारण प्रेक्षागृह भी निष्प्रयोज्य हो गए और नाटकों के मंचन हासिए पर चले गए. रंगकर्मियों के लगातार देबाव के कारण 2010 में नगर पालिका प्रशासन ने इन प्रेक्षागृह के कार्याकल्प की योजना को अमली जामा पहनना शुरू किया लेकिन वह भी विवादाों के कारण अधर में लटक गई है.

शारदासन ग्रंथ के ग्यारहवें खंड में वर्णित है कि अयोध्या के नरेश मनु ने जब राज्य सत्ता को स्वयंसेवक का दिना को अयोध्या में मंदिर –मस्जिद विवाद शुरू होने के कारण यहाँ रामंचीय गतिविधियों में सन्नाटा पसर गया. जिसके कारण प्रेक्षागृह भी निष्प्रयोज्य हो गए और नाटकों के मंचन हासिए पर चले गए. रंगकर्मियों के लगातार देबाव के कारण 2010 में नगर पालिका प्रशासन ने इन प्रेक्षागृह के कार्याकल्प की योजना को अमली जामा पहनना शुरू किया लेकिन वह भी विवादाों के कारण अधर में लटक गई है.



17वीं सदी की बात की जाय तो अवध के पहले नवाब शुजाउद्दौला ने अयोध्या नगर के पार्श्व स्थित केड़ा व बगलू के जंगलों को कटवा कर फैजावाद नगर को बसाया. उसे ही अवध की पहली राजधानी बनने का गौरव हासिल हुआ. चूँकि फैजावाद नगर के अधिकांश वाशिदे देश विदेश से लाकर बसाए गए थे इसलिए जब यहां रंगमंचीय गतिविधियां आरंभ हुई तो पारसी शैली के नाटकों को वरीयता मिली.

ने 30 लाख रुपये शासन से उपलब्ध कराए थे. तुत्काली अतिशायी अधिकारी रमाशंकर दीक्षित से विष्णु गुप्ता को तालमेल नहीं बैठता उन्होंने गुरुपुत्र ढंग से अथर्वक के सजान में लाए बिना सख सम्पापन के बाद 5 अप्रैल 2011 को शासन द्वारा मिले 30 लाख रुपयों को वापस भेज दिया. नगरपालिका के तत्कालीन अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने गुरुपुत्र ढंग से नंदरौल्य के सीनियरोंकिया योजना बनाई. योजना के अंतर्गत प्रेक्षागृह में सीनियरोंकिया के लिए उर समय सूबे के मंत्री मुना सिंह चौहान



चौधरी चरण सिंह अपने दूसरे कार्यकाल में केवल 8 महीने तक ही सत्ता पर काबिज रहे, इस दौरान कांग्रेस ने उनकी सरकार को अस्थिर किए रखा.

उत्तर प्रदेश विधानमंडल

125 वर्षों का यादगार सफ़र

आजादी के बाद विधानसभा की पहली बैठक 3 नवम्बर 1947 को हुई थी, 4 नवम्बर 1947 को विधानसभा की दूसरी बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया था कि विधानसभा का संचालन हिंदी भाषा में होगा, इसके साथ ही विधायिका के सभी कार्य भी हिंदी भाषा में ही किए जाएंगे, इस बैठक की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि बैठक में शामिल सभी सदस्यों ने हिंदी भाषा में काम करने का पुरजोर समर्थन किया था, 25 फरवरी 1948 को विधानसभा की एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें उस समय तक का सबसे ऐतिहासिक निर्णय था कि राज्यपाल तात्कालिक गवर्नर जनरल से ये अनुरोध करें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय का विलय सुप्रीम कोर्ट आफ इंडिया या मुख्य न्यायालय में कर दिया जाए.

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

उत्तर प्रदेश विधानमंडल की स्थापना के 125 वर्ष पूरे हो गए हैं, प्रदेश सरकार इस अवसर को यादगार बनाने के लिए 6 से 8 जनवरी वर्ष 2013 तक उत्तर प्रदेश विधानमंडल उत्तराखण्ड उत्तराखण्ड उत्तराखण्ड उत्तराखण्ड उत्तर प्रदेश अंग्रेजों के शासन के दौर से आज तक भारतीय राजनीति विशेष महत्व रखता है, राजनीतिक गलियारों में आज भी यह कहावत प्रचलित है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, 125 वर्ष में उत्तर प्रदेश के विधानमंडल ने क्या क्या नहीं देखा, करीब चालीस साल तक कांग्रेस ने जिसमें शासन किया, वहीं 23 साल तक वह सत्ता में वापस पहुंचने की उसकी बेवैनी भी देखी, प्रदेश में समाजवाद का इंडा भी लहराया तो दलित की बेटी को मुख्यमंत्री बनने भी देखा, रामजन्म भूमि आंदोलन का सांप्रदायिक रंग भी देखा और हिंदुत्व का भगवे रंग को सत्ता पर काबिज होते देखा, सही मायनों में यह प्रदेश की सबसे परिपक्व राजनीतिक प्रयोगशाला है.

उत्तर प्रदेश विधानसभा की पहली बैठक 08 जनवरी वर्ष 1887 में हुई थी, उस समय उत्तर प्रदेश को नार्थ वेस्टर्न अवध लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जाना जाता था, आजादी से पहले गठित हुए संयुक्त प्रांत (यूनाइटेड प्रोविंस) के लिए पहली बार विधानसभा का गठन 1 अप्रैल 1937 को हुआ था, तब विधानसभा में सदस्यों की संख्या 228 थी, उस समय विधानसभा का कार्यकाल आज की तरह पांच वर्ष ही था, तब पुरुषोत्तम दास टंडन को विधानसभा का अध्यक्ष और अब्दुल हाकिम को उपाध्यक्ष चुना गया था, आजादी के बाद विधानसभा की पहली बैठक 3 नवम्बर 1947 को हुई थी, 4 नवम्बर 1947 को विधानसभा की दूसरी बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया था कि विधानसभा का संचालन हिंदी भाषा में होगा, इसके साथ ही विधायिका के सभी कार्य भी हिंदी भाषा में ही किए जाएंगे, इस बैठक की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि बैठक में शामिल सभी सदस्यों ने हिंदी भाषा में काम करने का पुरजोर समर्थन किया था, 25 फरवरी 1948 को विधानसभा की एक बैठक बुलाई गई जिसमें उस समय तक का सबसे ऐतिहासिक निर्णय था कि राज्यपाल तात्कालिक गवर्नर जनरल से ये अनुरोध करें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय का विलय सुप्रीम कोर्ट आफ इंडिया या मुख्य न्यायालय में कर दिया जाए, उत्तर प्रदेश विधानमंडल दल के प्रथम सत्र के अंतिम दिन 2 फरवरी 1950 को गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश ने दोनों सदनों को संबोधित किया, इसके बाद विधानसभा का औपचारिक तौर पर गठन किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश के तात्कालिक राज्यपाल ने पुरुषोत्तम दास टंडन को अध्यक्ष पद की शपथ दिलाई, उसके बाद सदन के सदस्यों को शपथ दिलाई गई थी, 1950 में ही तात्कालिक विधानसभा में कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश किये गए जिसमें उत्तर प्रदेश भाषा (विधेयक और अधिनियम 1950) पारित किया गया जिसके अंतर्गत विधानसभा में पारित करने के लिए रखे जाने वाले विधेयकों की भाषा हिंदी रखे जाने का प्रावधान किया गया और लिपि देवनागरी, वर्ष 1951 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में हिंदी राजभाषा अधिनियम पारित हुआ जिसमें उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में हिंदी भाषा में काम होने और बोलचाल की भाषा हिंदी निर्धारित की गई, 11 अगस्त 1950 को विधानसभा अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन ने अपना इस्तीफा सौंप दिया, उसके बाद 21 दिसंबर 1950 को विधानसभा उपाध्यक्ष नफीमुल हसन विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए वहीं 4 जनवरी 1951 को हर्गोविंद पन्त को विधानसभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया था.

उत्तर प्रदेश के अस्तित्व में आने के बाद नवनिर्वाचित सदस्यों की पहली बैठक 19-20 मई 1952 को हुई जिसमें आत्मा राम गोविंद खरे अध्यक्ष निर्वाचित किए गए, उत्तर प्रदेश के पहले विधानसभा चुनाव में नवनिर्वाचित सदस्यों की बैठक और सत्र के दौरान सरकार ने तय किया कि अगले पांच वर्षों में प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ विकास कार्यों पर ही ध्यान दिया जाएगा, वर्ष 1967 तक विधानसभा में सदस्यों की संख्या 431 थी, जिसे बाद में घटाकर 426 कर दिया गया, जिसमें एक नामित एंग्लो इंडियन सदस्य होता था, उत्तराखंड के अलग प्रदेश बन जाने के अब इसके सदस्यों की संख्या 404 हो गई है, जिसमें एक नामित सदस्य शामिल है, 125 साल के लंबे इतिहास में उत्तर प्रदेश की राजनीति पर सबसे ज्यादा प्रभाव कांग्रेस का ही रहा है, यूनाइटेड प्रोविंस के

समय से ही कांग्रेस ने प्रदेश की सत्ता को अपने हाथों में लेकर लगातार तीस सालों तक राज किया जिसमें 17 वर्षों तक मुख्यमंत्री पद संभालने वाले पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने जुलाई 1937 से दिसंबर 1954 तक प्रदेश की कांग्रेसी सरकार की बागडोर अपने हाथों में रखी, उसके बाद केंद्रीय कांग्रेस नेतृत्व ने संपूर्णानंद को प्रदेश की बागडोर सौंपी जो दिसम्बर 1954 से दिसम्बर 1960 तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस ने अपने सभी पुराने नेताओं को प्रदेश की बागडोर संभालने का मौका दिया, प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव सुचेता कृपलानी को मिला जो 4 वर्ष तक प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं, चौधरी चरण सिंह ने अपनी पार्टी लोकदल को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचा कर कांग्रेस को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया, लेकिन धुर कांग्रेसियों से चौधरी चरण सिंह पार नहीं पा सके और दस महीनों बाद ही उन्हें

1975 तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, जब देश में आपातकाल लागू किया गया तब कांग्रेस का इस मुद्दे को लेकर काफी विरोध हुआ, वहीं इंदिरा गांधी को भी अपने राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी भूल से भी दो चार होना पडा, यह समय प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस के पतन का था, कांग्रेस वर्ष 1977 में हुए आम चुनावों में हार गई, चौधरी चरण सिंह जिन्होंने उत्तर प्रदेश में लगातार कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी की थीं, वो संयुक्त विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित किये गए थे, बाद में वह 6 महीने के लिए पर प्रधानमंत्री भी बने.

इस दौरान कांग्रेस और विपक्ष के बीच लुका-छिपी का खेल चलता रहा, इसी बीच नारायण दत्त तिवारी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके बाद प्रदेश में एक बार फिर राष्ट्रपति शासन लगा और विधानसभा चुनावों में जनता पार्टी ने अपना

बर्खास्त कर प्रदेश में एक बार फिर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, प्रदेश एक बार फिर चुनावी दहलीज पर पहुंचा, इस बार काशीराम की बहुजन समाज पार्टी और मुलायम सिंह यादव की नई पार्टी समाजवादी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा, मुलायम की सत्ता में वापसी हुई बसपा नेता मायावती की तेज़ी मुलायम सिंह का रास नहीं आई, जून 1995 में प्रदेश का चर्चित गेस्ट हाउस कांड हुआ, इसके बाद बहुजन समाज पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया, भारतीय जनता पार्टी ने मौके का फायदा उठाते हुए बसपा को अपना समर्थन दिया और मायावती को प्रदेश के मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठा दिया, पहली बार कोई दलित महिला प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हुई, यह वो समय था जब प्रदेश में अवसरवादी राजनीति का दौर शुरू हुआ, मायावती उस दौरान 5 महीने तक प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं, सत्ता के लिए खींचतान लगातार चल रही थी, उसी दौरान भाजपा ने समर्थन वापस ले लिया, प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगने का दौर एक बार फिर शुरू हो गया.

मार्च 1997 को मायावती एकबार फिर प्रदेश की मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठीं, पिछली गलती से सबक लेते हुए भाजपा ने 6-6 माह तक शासन करने का समझौता किया, भाजपा ने 6 महीने आराम से मायावती को राज करने दिया, लेकिन इस बीच प्रदेश की अन्य पार्टियां सरकार को अस्थिर करने के लिए गद्दे खोदने का काम कर रहीं थीं, एक तरफ मायावती की छह माह की पारी पूरी हो रही थी तो दूसरी तरफ विपक्षियों की रणनीति परवान चढ़ रही थी, समझौते के अनुरूप जब भाजपा को सत्ता सौंपने की बारी आई तो मायावती मुकर गई, उधर कल्याण सिंह ने बहुजन समाज पार्टी व कांग्रेस के विधायकों को तोड़कर सरकार बनाने का दावा पेश किया, कल्याण सिंह को शपथ दिलाने के बावजूद प्रदेश के तात्कालिक राज्यपाल ने बसपा से बाहर गए सदस्यों को पार्टी से अलग होने को मान्यता नहीं दी थी, जिसकी वजह से कल्याण सिंह के नेतृत्व वाली सरकार अल्पमत में आ गई, दूसरी तरफ प्रदेश सरकार इस मुद्दे को लेकर कोर्ट चली गई, मामले के कोर्ट में लंबित होने के बावजूद तात्कालिक राज्यपाल ने कल्याण सिंह को विधानसभा में बहुमत साबित करने को कहा, दूसरी तरफ कांग्रेस नेता जगदंबिका पाल को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलावा दी, प्रदेश विधान मंडल ने अपनी स्थापना के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति की सबसे शर्मनाक घटना को देखा, ये वो दिन था जब उत्तर प्रदेश विधान सभा के विशेष सत्र में सदन में दो-दो मुख्यमंत्री मौजूद थे, लेकिन सदन की कार्यवाही खत्म होने से पहले हाईकोर्ट ने जगदंबिका पाल के मुख्यमंत्री पद को असंवैधानिक बताकर पद छोड़ने का आदेश दिया, इसके बाद विधानसभा ने केसरीनाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में वो काला दिन भी देखा जब पक्ष और विपक्ष आपस में भिड़ गए, सारी संसदीय मान्यताओं को ताक पर रखकर विधायकों ने एक दूसरे पर माइक और कुर्सियां फेंकीं.

इसके बाद भाजपा ने भी कांग्रेस की तरह बार बार मुख्यमंत्री बदलने की आदत डाल ली, कल्याण सिंह को अटल बिहारी वाजपेई के साथ विवाद होने के बाद मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया, उनकी जगह रामप्रकाश गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया गया, कल्याण सिंह ने भाजपा छोड़ दी, रामप्रकाश गुप्ता से सत्ता संभली नहीं, भाजपा नेतृत्व ने गुप्ता के स्थान पर राजनाथ सिंह की ताशपोशी कर दी, विधान सभा चुनाव निकट थे, सभी पार्टियों चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई थीं राजनाथ सिंह के नेतृत्व में भाजपा चुनाव में उतरी, चुनाव के बाद एक बार फिर त्रिशंकु विधानसभा सामने आई किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल सका, अन्य पार्टियों के सहयोग से मायावती ने प्रदेश की सत्ता संभाली लेकिन वो केवल 4 महीने तक सरकार चला पाई, मायावती के त्यागपत्र देने वाले दिन ही मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और लगभग साढ़े चार साल तक सत्ता में रहने के बाद मुलायम सिंह 2007 में मायावती के हाथों सत्ता गंवा बैठे, यह सालों बाद पहला मौका था जब उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले पर सत्ता तक पहुंची मायावती पांच साल तक सत्ता पर काबिज रहीं, 2012 में हुए विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी को हरा कर सत्ता पर काबिज हुई लेकिन इस बार सत्ता का चेहरा बदल गया और मुलायम सिंह ने अपने पुत्र अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री पर बैठाया और प्रदेश को युवा नेतृत्व प्रदान किया, अब यह नेतृत्व प्रदेश को तरक्की के रास्ते पर ले जा रहा है, ■

वर्ष 1980 में देश में आम चुनावों के साथ प्रदेश के भी चुनाव कराए गए, कांग्रेस ने एक बार फिर भारी बहुमत के साथ प्रदेश की सत्ता में वापसी की, विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, तकरीबन 2 साल बाद ही कांग्रेस को नेतृत्व में परिवर्तन करते हुए श्रीपति मिश्र को मुख्यमंत्री बनाया, कांग्रेस के मुख्यमंत्री बदलने की आदत के कारण प्रदेश की सत्ता एक बार फिर एन डी तिवारी के हाथों में आ गई, कांग्रेस को वर्ष 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रचंड बहुमत मिला, 1984 से 1989 तक कांग्रेस ने प्रदेश अपनी आखिरी पारी खेली, इस दौरान तीन बार नारायण दत्त तिवारी और एक बार वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री बने, इसके बाद जनता दल ने प्रदेश और देश की बागडोर कांग्रेस के हाथों से छीन ली, प्रदेश की बागडोर समाजवाद के पुरोधा डॉ राम मनोहर लोहिया के शिष्य मुलायम सिंह यादव ने संभाली, मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्रित्व काल में ही राम जन्मभूमि का मुद्दा गर्म हुआ, भारतीय जनता पार्टी और लालकृष्ण आडवाणी की रथयात्रा ने भारतीय जनता के मन में हिंदुत्व की लहर पैदा की, आडवाणी के रथ पर सवार होकर भाजपा ने प्रदेश में हुए मध्यावधि चुनावों में प्रचंड बहुमत पाया और कल्याण सिंह प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बन गए.

मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी, उसके बाद केंद्र में बैठी कांग्रेस सरकार ने उत्तर प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया था, उसके बाद सीबी गुप्ता मुख्यमंत्री बनाए गए, कांग्रेस उन्हीं के नेतृत्व में चुनावों में उतरी, कांग्रेस से खार खाए सभी विपक्षी दलों ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा और कांग्रेस को परास्त कर दिया, चौधरी चरण सिंह ने एक बार फिर प्रदेश की सत्ता कांग्रेस से हथिया ली, चौधरी चरण सिंह अपने दूसरे कार्यकाल में केवल 8 महीने तक ही सत्ता पर काबिज रहे, इस दौरान कांग्रेस ने उनकी सरकार को दौरान अस्थिर किए रखा, इन 8 महीनों में चरण सिंह कांग्रेस और उनके नेताओं से पार नहीं पा सके और केंद्र में सत्ता के करीब रहने वाली कांग्रेस ने प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया, इसके बाद हुए चुनावों में कांग्रेस की वापसी हुई और टी एन सिंह ने 70-71 के बीच प्रदेश की बागडोर संभाली, कांग्रेस को प्रदेश में लगातार विरोध का सामना करना पड़ रहा था, दूसरी तरफ चरण सिंह लगातार कांग्रेस के खिलाफ लोगों को एक जुट किए हुए थे, वहीं कांग्रेस सरकार के अंदर ही टी एन सिंह का भारी विरोध हो रहा था, कांग्रेस ने इस विरोध को कम करने के लिए उन्हें हटाकर कमला पति त्रिपाठी को प्रदेश की बागडोर सौंप दी, 1973 में ही प्रदेश में तीसरी बार प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा, उस समय केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार थी, इंदिरा किसी भी हालत में उत्तर प्रदेश की सत्ता को अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहती थीं, प्रदेश में एक बार फिर चुनावी बिगुल बजा जिसमें साम, दाम, दंड, भेद जैसी सभी नीतियों का इस्तेमाल करके कांग्रेस ने सत्ता हासिल कर ली और हेमवतीनंदन बहुगुणा को प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया, हेमवती नंदन बहुगुणा नवम्बर 1973 से नवम्बर

परचम लहराया और रामनरेश यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, रामनरेश यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार करीब डेढ़ वर्ष तक चली जिसके बाद जनता पार्टी में आंतरिक कलह को देखते हुए बाबू बनारसी दास को मुख्यमंत्री बनाया गया, उधर कांग्रेस लगातार सत्ता में वापसी करने के प्रयास में लगी थी, वर्ष 1980 में देश में आम चुनावों के साथ प्रदेश के भी चुनाव कराये गए, कांग्रेस ने एक बार फिर भारी बहुमत के साथ प्रदेश की सत्ता में वापसी की, विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, तकरीबन 2 साल बाद ही कांग्रेस ने नेतृत्व परिवर्तन करते हुए श्रीपति मिश्र को मुख्यमंत्री बनाया, कांग्रेस के मुख्यमंत्री बदलने की आदत के कारण प्रदेश की सत्ता में पर एक बार फिर एन डी तिवारी की वापसी हुई, कांग्रेस ने वर्ष 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रचंड बहुमत हासिल किया और 1984 से 1989 तक प्रदेश में अपनी आखिरी पारी खेली, इस दौरान तीन बार नारायण दत्त तिवारी और एक बार वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री बने.

इसके बाद जनता दल ने प्रदेश और देश की बागडोर कांग्रेस के हाथों से छीन ली, प्रदेश की बागडोर समाजवाद के पुरोधा डॉ राम मनोहर लोहिया के शिष्य मुलायम सिंह यादव ने संभाली, मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्रित्व काल में ही राम जन्मभूमि का मुद्दा गर्म हुआ, भारतीय जनता पार्टी और लालकृष्ण आडवाणी की रथयात्रा ने भारतीय जनता के मन में हिंदुत्व की लहर पैदा की, आडवाणी के रथ पर सवार होकर भाजपा ने प्रदेश में हुए मध्यावधि चुनावों में प्रचंड बहुमत पाया और कल्याण सिंह प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बन गए, 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित बावरी मस्जिद ढांचा ढाया गया और कल्याण सिंह के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को

